कर्नाटक सरकार

समाज विज्ञान

SOCIAL SCIENCE

Textbook

9

नौवीं कक्षा

भाग - I

Hindi Medium

Part - I

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

Karnataka Text Book Society (R.)
6th Cross, Malleshwaram,
Bengaluru - 560 003.

ಮುನ್ನುಡಿ

2005ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು 2010 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 7 ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 1 ರಿಂದ 4 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು 5 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೋರ್ ವಿಷಯಗಳಾದ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ.

2005 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

- ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು
- ಕಂಠಪಾಠ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುವುದು
- ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
- ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ನೀತಿಯನ್ವಯ ಮಕ್ಕಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು
- ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಂದಿನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು
- ವಿಷಯಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
- ಶಾಲೆಯ ಹೊರಗಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜನೆ
- ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.

ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಅಂತರ್ಗತ ವಿಧಾನ (Integrated Approach), ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ (Constructive Approach) ಹಾಗೂ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ವಿಧಾನ (Spiral Approach) ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.

5ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜನಜೀವನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ವಿಭಾಗದ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯನಾಯಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿಎಫ್ 2005 ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಳ, ಪೌರನೀತಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು 8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಅವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳಾದ ಇಸವಿಗಳು, ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಇತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಂತೆಯೇ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಹಂತದ ಅಂತ್ಯದಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲಕರಿಗೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಮುದ್ರಕರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.),
ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವೇದನೆ

ಎಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಒದಗಿ ಬರುವುದೂ ಈ ಮಹತ್ತರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಅಡಿಯಿಡುತ್ತಾ ಹತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ತನೆಯ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ನೆಲೆಗಟ್ಟು 2005ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೃಷಿ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂತಾದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕವಲುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿಯೂ ತೆರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತಿಹಾಸ, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಕ್ಕಣೆ, ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಅವಶ್ಯಕ ಭೂಪಟ, ಸೂಕ್ತ ಕೋಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೊರತರಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ, ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ, ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್

ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ.

ರಚನಾ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಪಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಶ್ರೀ ರಾಮ್‌ಪ್ರಸಾದ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್.ಎಸ್. ಪ.ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಹರಿಹರಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಿ॥ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹೆಗಡೆ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಪೀಣ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಚ್. ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಉದಯಪುರ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಎಸ್.ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ತರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಎ.ಜಿ.ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮುನವಳ್ಳಿ, ಸವದತ್ತಿ ತಾ॥ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್. ಕೆಂಪಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವಕಾಲೇಜು, ಮಸ್ಕಲ್ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರೊ. ದೊರೈರಾಜ್ ಎಸ್.ಎನ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಇಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಿ. ಪ್ರಸಾದ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶ್ರೀ ಭೈರವೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತುಮಕೂರು.

ಪರಿಶೀಲಕರು

ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಪೂಣಚ್ಚ ತಂಬಂಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಟಿ.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಡೀನ್ (ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಶ್ರೀ ಚ.ನ. ಶಂಕರ್‌ರಾವ್, ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ರಂಗನಾಥ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್. ಕೇಶವ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ನೂರ್ ಅಫ್ಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ

ಡಾ. ಎಂ.ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು

ಡಾ. ಜಿ. ಎಸ್. ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮುಖ್ಯಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀ ಎ.ಟಿ. ರಂಗದಾಸಪ್ಪ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೂ, ಅರ್ಥಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ 2014–15 ರ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಜ್ಞರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮೂಲ ಆಶಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: "ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ನೈತಿಕಮೌಲ್ಯಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಿಕಸನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಪುನರ್ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು" – ಇದು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಆಶಯ.

ಆನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ 27 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 24.11.2014 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ವಿಷಯವಾರು ಮತ್ತು ತರಗತಿವಾರು ಮಾನದಂಡಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ರಚಿತವಾದವು. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಹೊಣೆಹೊತ್ತ ಈ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 24.11.2014ರ ಆದೇಶದಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ 19.09.2015 ರಂದು ಹೊಸ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ 'ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ' ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 2016–17 ರ ಬದಲು 2017–18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಇದೇ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿದೋಷ, ಆಶಯದೋಷಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಿತಿಗಳಾಚೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ವಿಷಯ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಅಭಿಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆನಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಅರಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಕಡೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ (NCERT) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಜ್ಞರ ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ನೀಡಿದ ತೌಲನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿರುವುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ರಚನೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗತ್ವ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಗ್ರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಷಯವಾರು ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ 27 ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಮಸ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಾಠಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದುಡಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಪ್ರೊ. ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಮೈಸೂರು.

ಸದಸ್ಯರು

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಜೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬಳ್ಳಾರಿ.

ಡಾ. ಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ.

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪ್ರೊ. ಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಈರಣ್ಣ. ಎಂ. ಅಂಬಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ತಡಕೊಡು, ಧಾರವಾಡ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಡಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಉನ್ನತ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಶೆಟ್ಟರ್, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್. ತಳವಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ದಶರಥ್ ನಾಯಕ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ.

ಡಾ. ಹಸೀನ್ ತಾಜ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಅನುವಾದಕರು

ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಟಿ. ಬಾಗಲಕೋಟಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಲಹೆಗಾರರು

ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ.ಎನ್, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಎಸ್. ಸೌಮ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತು

2014ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದೇ ವರ್ಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು 2017–18ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ತಲಪಿದವು. ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ, ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಬಂದವು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೆಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರವು 2021ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಠ್ಯಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಆಪಾದನೆ ಕೇಳಿಬಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವೆಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಂಥ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇವೆಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುವ ಪಠ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ–ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಪನಂಬಿಕೆ, ದ್ವೇಷ, ತಾತ್ಸಾರಗಳನ್ನು ಹರಡುವಂತಿರಬಾರದು. ಅವರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೂ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಉದ್ದೀಪಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೋದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಜನಪದಗಳ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಠ್ಯಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ, ಸಭ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ (1) ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಂಥ, ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಅಂಶಗಳಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು (2) ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕಾಲಪಟ್ಟಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು (3) ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಿತುಳುಕಾಡುವ ಮಾಹಿತಿಕೋಶವಾಗಿಸದೆ ಜ್ಞಾನಕೋಶಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು (4) ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ ಜಾಗ ಕೊಡಕೂಡದು (5) ಅರ್ಧಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ, ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ನಿರ್ಣಯ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಆಧಾರಗಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮುಂದಿಡಬೇಕು (6) ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು (7) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು (8) ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು – ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದೊಳಗಿನ ಹಲವು ಜಾತಿ, ಸಮುದಾಯ, ಭಾಷೆ, ಪಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾತ್ಸಾರಭಾವವನ್ನು ತಾಳುವಂಥ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಪ್ರತಿಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ವಹಿಸಿದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆದರ್ಶಸ್ಥಿತಿ. ಅದರತ್ತ ನಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವೇ ಹೊರತು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ವಿನಯದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೇ ಹೊರತು ಸಮಗ್ರ ಪುನಾರಚನೆಯಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ (2014ರಲ್ಲಿ) ರಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇಡಿಯ ಮರುಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ. ಅಂತೆಯೇ ಸಮಿತಿಯ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಆಭಾರಿ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತ, ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಪುನಾರಚಿತ ಪಠ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮದು.

ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಬೆಂಗಳೂರು

ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿ

© KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

ಪುನರ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಶ್ರೀ **ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ,** ಸದಸ್ಯರು, ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು :

ಡಾ. ರಾಜರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ, ನಿವೃತ್ತ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ತನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಡಾ. ಎನ್. ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, ವಿ.ವಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ. ರಂಗನಾಥ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಕೆ. ವಾಸುಕಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕೊಡಿಯಾಲಗುತ್ತು, ದ್ವಾರಕ, ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್, ಎರಡನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ವಿಠ್ಠಲ್ ಪೋತದಾರ, ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಯೋಜಕರು, ದಿ ಮಿಥಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ರಾಧಾ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿಎಸ್ಇಆರ್‌ಟಿ, ಬನಶಂಕರಿ 3ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ ಪಿ.ಎಲ್., ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ., ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಸಿದ್ದನಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ–1.

ಅನುವಾದಕರು :

ಡಾ. ವಿಜಿ. ಎಸ್., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲು, ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ.

ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ.ವಿ., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. GHS, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಸುಮಂಗಳ ಆರ್., J.S.S. ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಉದಯಗಿರಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ವಿ., ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, GHS, ನವಿಲೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಕೆ.ಎಂ., ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಕಾಲೋನಿ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಲಹೆಗಾರರು :

ಶ್ರೀ **ವೀರಣ್ಣ ಎಸ್. ಜತ್ತಿ,** ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀ **ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ. ಎನ್,** ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀಮತಿ. **ಸೌಮ್ಯ,** ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮುನ್ನುಡಿ

2023–24ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವರೆಗಿನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಐದು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗದಂತೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

2. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ "2023–24ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ತಿದ್ದೋಲೆ" ಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

3. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ/ಕೈಬಿಡುವ/ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

4. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಂಗತಿ, ಆಶಯ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಅಪಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಬರಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

5. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನೆರವು ನೀಡಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ವಿಷಯಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎರಡೂ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು/ಪಾಠಗಳು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಐದೂ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಠ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರೆಯೆರೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಬರೆಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಿದ ಶೋಧಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಂದನೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಸಮಿತಿಗಳ ಕೆಲಸ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.

ಎನ್. ಮಂಜುಶ್ರೀ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ),
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಎಂ. ಜಿ. ಹೆಗಡೆ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ

ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, 'ಅಹಲ್ಯ', ಚಿತ್ರಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು :

ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸದಸ್ಯರು :

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಹೊಂಬಳ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು.

ಡಾ. ಬಿ. ಶೇಖರ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಡೀನ್, ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ–ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು.

ಡಾ. ಎ.ಬಿ. ವಗ್ಗರ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಎಸ್.ಐ.ಎಸ್.ವಾಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯಡವಾಣಿ, ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕೆಂಗೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಡಾ. ಕಿರಣ್. ಎಂ ಗಾಜನೂರು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ. (6 ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)

ಡಾ. ಗಂಗಾಧರ.ಪಿ.ಎಸ್, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು, (ಸ್ವಾಯತ್ತ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನಕರ್. ಪಿ.ಎಮ್. ಸ.ಶಿ., ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ಸಿರಾ ತಾ., ಮಧುಗಿರಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಹಿನಾ ಅಲ್ಲಾಪುರ, ಸ.ಶಿ., ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬರದಿ ಮಂಡಿಗೆರೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂ.ಗ್ರಾ. ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ತಬಸುಮ್ ಫಾತಿಮಾ, ಸ.ಶಿ.,ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕನಕಪುರ ಟೌನ್, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರಿ. ಎಸ್., ಸ.ಶಿ., ಜಿ.ಪಿ.ಟಿ., ಸ.ಮಾ.ಪ್ರಾ. ಶಾಲೆ, ಕರಿತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–2, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶಿಕ್ಷಕರು :

ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಿ. ಹೆಚ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಾದಲವೇಣಿ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಹೆಗಡೆ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಬನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–4, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತ ಎಂ. ಎನ್, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹೊಂಬೆಗೌಡ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ–3, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಅನುವಾದಕರು :

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ಪದ್ಮಿನಿ ಪಿ.ವಿ., ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು. GGHS, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎನ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು ದಕ್ಷಿಣವಲಯ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಶ್ರೀ ತೋಯಿದ್ ಅತ್ತಾರ್, ಹಿಂದಿ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಮರಳೂರು, ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸಲಹೆಗಾರರು :

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಪಿ. ಮಾದೇಗೌಡ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಡಿ. ಉಷಾ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜಕರು :

ಶ್ರೀಮತಿ ಎನ್. ಎಸ್. ಸೌಮ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.), ಬೆಂಗಳೂರು.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अनुक्रमणिका

F3A8E6

अध्याय संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	इतिहास	
1.	पाश्चात्य धर्म	01-09
2.	6 से 14 शताब्दी तक का भारत	10-26
3.	भारत के धर्म प्रवर्तक	27-33
4.	विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी राज्य	34-51
	राजनीतिक शास्त्र	
5.	हमारा संविधान	52-68
6.	केंद्र सरकार	69-85
7.	राज्य सरकार	86-96
8.	न्यायपालिका	97-106
	समाज शास्त्र	
9.	परिवार	107-112
	भूगोल शास्त्र	
10.	हमारा राज्य - कर्नाटक - प्राकृतिक विभाग	113-121
11.	कर्नाटक की प्राकृतिक विविधता	122-130
12.	कर्नाटक की जल संसाधन	131-136
13.	कर्नाटक की भू-संपदा (सम्पत्ति)	137-147
	अर्थ शास्त्र	
14.	आर्थिक संरचना	148-153
15.	भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	154-166
	व्यवहार अध्ययन	
16.	व्यवहारिक प्रबंधन	167-172

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इतिहास

अध्याय 1

पाश्चात्य धर्म

N5Y1W3

इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों को समझते हैं ।

- यहूदी, फारसी, ईसाई और इस्लामी धर्मों का विकास
- ईसा मसीह और मुहम्मद पैगंबर का जीवन।
- यहूदी, फारसी, ईसाई और इस्लामी धर्म के उपदेश।

विश्व के इतिहास में हम प्राचीन काल से ही अनेक धर्मों का जन्म एवं विकास देख सकते हैं । यहूदी, फारसी, क्रेस्ट, इस्लाम, ये पश्चिम में पैदा हुए थे। इन्हें सेमेटिक धर्म भी कहा जाता है। ये लोग दुनिया भर के कई देशों में फैल चुके हैं। इनमें से कुछ सामान्य अंशों को पहचाना जा सकता है ।

1. एक ईश्वर में विश्वास/आस्था ।
2. देवदूतों (प्रवादी) के माध्यम से भगवान के संदेशों के रहस्योद्घाटन में विश्वास।
3. पवित्र ग्रंथ का अनुवर्ती जिसमें पैगंबर के विचारों को संकलित किया गया है ।
4. उसमें विशिष्ट संस्कार-निषेधों का पालन ।
5. निर्दिष्ट स्थान पर सामूहिक प्रार्थना ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

आपको ज्ञात रहे:

'रिलिजन' शब्द का 'धर्म' के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करने की प्रथा है ।

यहूदी धर्म :

प्रवादी मोसेस

पश्चिम में सबसे पुराना ज्ञात धर्म यहूदी या जुडायिसं धर्म है। इस धर्म के अनुयायियों को "ज्यूस" (अथवा यहूदी) कहते हैं। यहूदियों की प्राचीन भाषा हिब्रू है। इनका भगवान यावे है। अब्रहां अथवा एब्रहां इनका मूल पुरुष "मोसेस" प्रवादी है। इस धर्म के तत्व और परंपर ही आगे जन्म लिए इसलाम और ईसाई

दोनो धर्मों की नींव बनी । इब्राहिम को प्रमुख माननेवाले इन तीन धर्में को इब्राहिमी धर्म कहा जाता है।

यहूदियों का इतिहास।

यहूदी लोग डेविड को अपना आदि राजा मानते थे। उसने गोलायत को हराया, जो ताकत और आकार में कई गुना बड़ा था और वह यहूदियों का राजा बन गया। इनका पुत्र सोलोमन था। वह लंबे समय तक एक प्रसिद्ध शासक था। सोलोमन ने अपने राज्य में एक महान मंदिर बनाया।

सोलोमन की मृत्यु के बाद अटूट संयुक्त यहूदी राज्य दो मुख्य प्रांतों में विभाजित हो गया था। इनमें से एक के नाम को इजराइल और दूसरे का जूड़ा कहते थे। अगले कई शताब्दियों तक इजराइल और जूडा पर लगातार हमले होते रहे। इस हमले के परिणामस्वरूप यहूदियों को न केवल मध्यपूर्व में बल्कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका जैसे आसपास के महाद्वीपों में भी बसना पड़ा और इस प्रकार यहूदी सभ्यता अस्तित्व के लिए संघर्ष की कहानी है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इजराइल का उदय:

यहूदी सभ्यता अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक जनजाति के संघर्ष की कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन का तानाशाह हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मार डाला और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, संयुक्त राष्ट्र की सहायता से यहूदी राष्ट्र इजराइल का निर्माण किया गया। पूरी दुनिया में बिखरे गये यहूदियों को 3,000 साल बाद अपनी मातृभूमि मिली।

हिब्रू बाइबिल (यहूदियों का मूल पवित्र ग्रंथ) ओल्ड टेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें तीन खंड शामिल थे, कानून, लेखन और प्रवादी मोसस के लेखन, बाद मे आये ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, यहूदी धर्मग्रंथों के कई तत्वों को शामिल करते गए।

यहूदियों के दस नियम :

1) 'यावे' को छोड़कर अन्य कोई भगवान नहीं है ।
2) मूर्ति पूजा निषिद्ध है ।
3) भगवान के नाम को कलंक मत करों ।

> **सब्बत**
>
> ईश्वर सृष्टिकार्य से विराम लिया दिन शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक का समयी।

4) “सब्बत” दिन को पवित्र मानना चाहिए।

5) माता - पिता को सम्मान करो।

6) वस्तुओं में मिलावट न करें।

7) चोरी मत करें ।

8) हत्या मत करें।

9) झूठ मत बोल।

10) दूसरों से ईर्ष्या न करें ।

फारसी धर्म

जरतुष्ट्र

फारसी धर्म की उत्पत्ति फारसी (ईरान) में हुई थी, लेकिन भारत में इसका अपना प्रभाव था। मुसलमानों के हमले के अवसर पर क्रमानुसार भारत में आकर बस गये। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दुनिया के किसी भी हिस्से की तुलना में भारत में अधिक फारसी हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सेना और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अपार है।

फारसी धर्म के संस्थापक सा.श.पू 6 वीं शताब्दी में रहा जरथुष्ट। यह ईरान का एक प्रवादी तथा धार्मिक सुधारक था। इसलिए इस धर्म को जोरोस्ट्रियन धर्म कहा जाता है। अहुर माज़्दा इनके देवता है । फारसी धर्म प्राचीन वैदिक संस्कारों के बहुत करीब है। यह सूर्य के उपासक थे।

उनके धर्म ग्रंथ ‘अवेस्ता’ के काव्य या श्लोक को ‘गाथा’ कहते हैं। पूजा / आराधना/ प्रवर्तन से संबंधित हिस्से को यष्न (यज्ञ) कहते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के आचारों को होम (यज्ञ) कहा जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ये सभी संस्कृत शब्द हैं।

फारसी धर्म का प्रभाव मध्य एशिया में विकसित यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मों पर है। फारसी धर्म को सा.श.पू. चौथी शताब्दी में मैसेडोन के सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। प्राचीन काल का अवेस्ता पूर्ण रूप से नष्ट हो गया था। बाद में उनको फिर से याद करके लिखना पड़ा ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

फारसी धर्म की मान्यताएँ :

अच्छाई और बुरेई के बीच घटनेवाली स्पर्धा में अच्छाई की जीत होती थी। इसलिए मनुष्य को अच्छोई का चुनाव करना चाहिए। अहुर माजद्रा इनका भगवान है । उपवास, ब्रह्मचर्य और स्वच्छता आचरण है।

ईसाई धर्म (क्रिश्चियनिटी)

जीसस

जीसस (येसू) का जन्म स्थान जूड़िया प्रांत के जेरूसलम से 5 किलोमीटर दूर में स्थित बेथलाहेम है। जीसस, जोसेफ और मेरी नामक गरीब दंपति का इकलौता पुत्र था।

जीसस के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी दुर्लभ है। जीसस अरामिक तथा सेमेटिक भाषा के ज्ञाता थे। इसी समय यहूदियों अपने को संकटों से रक्षा करनेवाले मसीहा अथवा महारक्षक के आगमन की प्रतीक्षा में थे। इस आगमन की कल्पना जान नामक व्यक्ति की थी। जान मूलतः धर्म प्रवर्तक जैसे थे। अपने पास आनेवाले व्यक्तियों को दीक्षास्नान कराने के द्वारा दीक्षा देते थे। जीसस भी जान से दीक्षा पाए थे। जान जीसस को मसीहा अथवा महारक्षक कहकर उद्गार करते थे। उस समय जीसस की आयु 30 वर्ष की थी।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

येसू मसीहा इजराइल देश में घूमकर धर्म प्रचार तथा उपदेशों में लग गए। कालांतर में यहूदियों ने जीसस को अपने धार्मिक नेता के रूप में स्वीकार किया। पहले जीसस के 12 शिष्य थे। उनको अपोसल्स कहकर पुकारा गया है। पीटर उनका पहला अनुयायी था।

येसू मसीहा बीमारी से कराह करनेवालों तथा दीन-दलितों के बारे में सहानुभूति तथा करुणा रखते थे। इस असामान्य शक्ति के द्वारा गरीबों के कष्टों को उपचार के लिए आगे बढ़ते थे।

येसू को क्रूस (सूली) पर लटकानाः

येसू मसीहा, यहूदियों में से महान रक्षक के नाम से जनप्रिय हुए। रूढ़िवादिता से युक्त धार्मिक विधि-विधानों को विरोध करने से यहूदियों का सांप्रदायिक वर्ग इनके खिलाफ हो गया।

इन सभी कारणों से येसू जब जेरूसलम आये तब यहूदियों ने उन को बंदी बनाकर रोम के राजा को सौंप दिया। राजा ने येसू को क्रूस (सूली) पर लटकाने की सजा दी। येसू को रोमन सिपाहियों ने गोल्गोथा नामक पहाड़ के ऊपर क्रूस (सूली) पर लटका दिया।

येसू के उपदेश :

येसू के उपदेश अत्यंत सरल और आसान तरीके से अनुसरणीय है। वे कहानी अथवा दृष्टांतों के जरिए बताए गए।

1. ईश्वर एकमात्र दयालु ईश्वर है, जो सभी प्राणियों का पिता है ।
2. मानव जाति को भ्रातृत्व प्रतिपादित किया।
3. यदि हम उन लोगों से प्रेम करते है जो संकट में हैं, तो हम ईश्वर से प्रेम करते है।
4. उन्होंने कहा है कि यदि मानव अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें तो उसके लिए ईश्वर क्षमा करते हैं।
5. 'दूसरों से हमे किसी बात की अपेक्षान करते हुए, हमे उसकअ सेवा करना चाहिए'।
6. मानव की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। जैसे विषयों को प्राधान्यता दी।
7. तुम्हारे शत्रु से तुम प्यार करो ; तुम्हारे बुरे चाहनेवालो का तुम अच्छा होने का कामन करा।

इस तरह उनके उपदेश प्यार, सेवा तथा भ्रातृत्व जैसे उत्कृष्ट विचार उनका आधार थे।

ईसाई धर्म का प्रचार :

येसू को क्रूस (सूली) पर चढ़ाने के बाद उनके अनुयायी लोग बहुत कष्टों को झेलना पड़ा। कुछ लोगों को सूली पर लटकाया गया। राजा कांस्टेंटाइन के प्रशासनकाल में ईसाई धर्म रोम का राजधर्म था। बाद में यह धर्म सारे यूरोप में फैल गया। आज ईसाई धर्म के गिरजाघर सारे संसार में बहुत लोगों की सदस्यता के साथ हैं। बाइबिल इनका धर्म ग्रंथ है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ईसाई धर्म का संप्रदाय :

16 वीं शतक तक रोमन कैथोलिक के वश में रहे ईसाई धर्म, नदा शाखाओं के लिए कारण बनी। धीरे-धीरे जन सामान्य से और ईसाई के उपदेशों से दूर होता गया। चर्चो मे पुरोहित और भूमालीकों की आदिपत्य था। लागा धर्म के विरोध करने लगो। इस पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर के नेतृत्व में जर्मनी में सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रोटेस्टेंट नाम का नया शाख का स्रष्टि हुई। इससे ईसाई धर्म के दो संप्रदाय बने। वे ; 1) कैथोलिक 2) प्रोटेस्टेंट

इस्लाम धर्म :

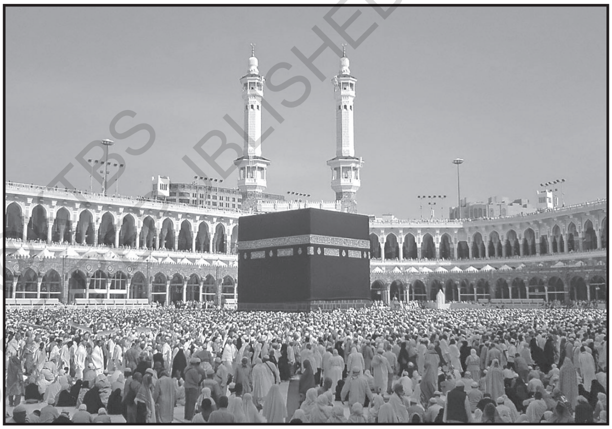

मक्का

प्रवादी मुहम्मद पैगंबर इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। वे 570 में मक्का में जन्म लिए। इनके पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना। जन्म से पूर्व ही इनके पिता का देहांत हो गया। 6 वर्ष की आयु में इनकी माँ भी चल बसी। इससे चाचा के देख-रेख में पले बढे। इनके चाचा व्यापारी थे। कार्य निमित्त कहीं दूर स्थित प्रदेशों की यात्रा करनी थी। ऐसे समय में मुहम्मद भी हम सफर थे। कालांतर में एक अमीर विधवा खदीजा के पास नौकरी के लिए मुहम्मद नियुक्त हुए। बाद में उस विधवा से इनकी शादी हुई। उनके दो पुत्र थे और चार पुत्रियाँ थीं ।

मुहम्मद हमेशा चिंतन में मगन तथा अकेले ध्यान करते थे। उस प्रार्थना स्थल मक्का के निकट हीरा पर्वत की तटहली में एक गुफा थी। । जब वे ध्यान में तल्लीन थे, तब एक देवदूत की आवाज सुनी। उस देवदूत ने मुहम्मद को 'तुम अल्लाह के प्रवादी' से उद्गार किया। बाद में स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि कहकर अपना परिवार, बंधुजन तथा मित्रों

NOT TO BE REPUBLISHED

को समझाया। इन्होंने अपने को भगवान कहकर कभी नहीं कहा। अपने को केवल अल्लाह का प्रवादी ही माना।

अपने जीवित काल में मुहम्मद सुने दैवी सत्यों को बताते गए। इनका संग्रह उनके शिष्यों ने किया। वह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है।

मक्का का सांप्रदायिक वर्ग इनका विरोध करना शुरू किया। इस कारण से आगे पैगंबर को मक्का में उपदेश देने के लिए नहीं हुआ। 662 में मक्का से मदीना की ओर यात्रा की। यह यात्रा हिजिरा शक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है।

थोड़े समय तक मदीना में रहें। वहाँ अरेबिया के कई जनजातियों को एकत्रित किया। इसके द्वारा उनका बल दुगना हो गया। फिर अपने अनुयायियों के साथ मक्का में आकर बस गए। यहीं पर उन्होंने 632 ई. में अंतिम साँस ली।

इस्लाम के प्रमुख उपदेश :

1. ईश्वर एक है। वह अल्लाह है। अल्लाह को अपनाने के लिए सरल प्रार्थना ही काफी है।
2. ईमानदारी और नीतियुत जीवन बीतना है। बुरी आदातो से दूर रहना चाहिए।
3. दोन, दुर्बलों पर दया और स्त्रियों के प्रति आदर होना चाहिए।

इस्लाम के नियम :

हर एक मुसल्मान अनुयायी लोग पालन करनेवाले नियम इस प्रकार हैं-

1. कलीमा - भागवान एक है। वही अल्लाह है। मुहम्मद पैगंबर अल्लाह का प्रवादी है, इस पर दृढ़ विश्वास रखना।
2. नमाज - प्रतिदिन पवित्र तीर्थ मक्का में रहे काबा की ओर मुड़कर 5 बार प्रार्थना करना।
3. रोजा - रमजान के महीने में सूयीदय से सूर्यास्त तक उपवास व्रत रखना।
4. जकात - अपनी कमाई के ¼ भाग को गरीबों में दान करना।
5. हज - जीवन में एक बार मक्का की यात्रा करना।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ये 5 नियम इस्लाम के आधार स्तंभ हैं :

मुहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहते हैं । मुहम्मद पैगंबर के बाद खलीफा इस्लाम के धार्मिक तथा राजनैतिक नेता बने । अबूबकर पहला खलीफा था।

इस्लाम धर्म के संप्रदाय

अन्य धर्मों की तरह, इस्लाम में भी कई संप्रदाय हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिया और सुनी संप्रदाय हैं ।

ध्यान दीजिए - सं.श.पू - सामान्य शक पूर्व

(सं.श.पू - नहीं है तो सामान्य शक समझना है।)

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1. यहूदी धर्म के प्रवर्तक _______________ हैं।
2. फारसी धर्म के संस्थापक _______________ हैं।
3. ईसा मसीह का जन्मस्थल _______________ हैं।
4. ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने वाला स्थान _____________ था।
5. _______________ चक्रवर्ती के अवधि के दौरान ईसाई धर्म रोमन राज्य का धर्म था।
6. मुहम्मद पैगंबर का जन्मस्थान _______________ है।
7. इस्लाम का धर्म ग्रंथ _______________ है।
8. मुहम्मद पैगंबर के उत्तराधिकारियों को _______________ कहते हैं।

II. समूह में दोस्तों के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करें और उत्तर लिखिए :

9. यहूदी धर्म के दस नियमों की सूची बनाइए।
10. पारसी धर्म वैदिक प्रथाओं के निकट है। सिद्ध कीजिए ।
11. ईसा मसीह के जीवन के बारे में लिखिए।
12. ईसा मसीह के उपदेशों की सूची बनाइए।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13. ईसाई धर्म कैसे प्रसारित हुआ?

14. मुहम्मद पैगंबरा के जीवन के बारे में बताइए।

15. 'हिजिरा' शक क्या है?

16. इस्लाम धर्म के नियम कौन-कौन से है?

III. गतिविधियाँ :

1. विविध पश्चिमी धर्मों पर अधिक जानकारी एकत्र करें।

IV. परियोजना :

1. यहूदी, फारसी, ईसाई और इस्लामी धर्मों के प्रचार पर शिक्षक की सहायता से निबंध लिखिए।

***

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय 2

6 से 14 शताब्दी तक का भारत

D2K7X9

इस अध्याय में निम्न लिखित जानकारी पाते हैं।

- उत्तर भारत में प्रशासित राजपूत घराने तथा उनकी देन।
- कश्मीर के कार्कोट साम्राज्य ।
- अफगन आक्रमणकारी- मोहम्मद गजनी तथा मोहम्मद घोरी।
- दिल्ली सुल्तान की राज्य स्थापना, प्रशासन तथा उनकी देन।

छठवीं से चौदहवीं शताब्दी की अवधि में भारत में कई राजघरानों के शासन किये थें। उसमें वर्धन वंश के बाद राजपूत तथा कार्कोट राजघराना उत्तर भारत में शासन किये थे। बाद में गजनी, घोरी और दिल्ली सुल्तानों के शासन किये थे।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

राजपूत (6वीं से 12वीं शताब्दी)

उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, गहढ्वाल, परमार,चौहान, सोलंकी और चंदेल आदि राजपूत घराना शासन किये थे।इन्होंने साहित्य, कला और वास्तुशिल्प को उत्तम देन दियें हैं।

गुर्जर प्रतिहार : हरिचंद्र ने गुर्जर के राजघराने का प्रशासन प्रारंभ किया था। इनके चार पुत्रों ने, प्रतिहारों की अलग-अलग शाखाओं, जैसे कि जोधपुर, नंदीपुर, ब्रोच और उज्जैनी से प्रशासन कर रहे थे। इनमें उज्जैनी से शासन करने वाला नागभट प्रमुख राजा था और अरबों के आक्रमण को सफलतापूर्वक सामना किया। इसने गुजरात, मालवा, राजपूताना के कुछ भागों तक अपना साम्राज्य को विस्तार किया। इस वंश के और एक प्रमुख राजा मिहिर भोज ने पालों के नारायणपाल को हराकर राज्य को विस्तार किया। अरब प्रवासी सुलेमान और अल मसूद इसके दरबार को भेंट किये थे। प्रतिहार राजघराने का महेंद्र पाल तथा प्रथम महिपाल के बाद इस राजघराने का अंत प्रारंभ हुआ।

गहड्वालः (गढ़वाल) इस राजघराने का संस्थापक चंद्रदेव था। उत्तर भारत के अधिकांश भूभागों को वश में लेकर राज्य प्रशासन किया था। इनमें गोविंदचंद्र प्रसिद्ध राजा था। इसने पालों से मगध,मालवा को अपने अधीन में कर कलिंग और उड़ीसा के राजाओं

के साथ युद्ध करके राज्य को विस्तार किया। कश्मीर, गुजरात और चोल राजाओं के साथ उत्तम राजनीतिक संबंध बनाया था।

पारमार : उपेंद्र कृष्णराज इस राजघराने का स्थापक था। इसकी राजधानी मालवा के 'धारा' नगरी था। इस राजघराने के शीयाक राजा ने राष्ट्रकूट के दूसरा 'कोट्गि' को हराकर उसके जागीरदारी से मुक्त हुआ या स्वतंत्र हुआ। इन्होंने कई तालाब और देवालय का निर्माण किये थे। इन के दरबार में धनंजय, भट्ट हलायुध,धनिक और पद्मगुप्त, नामक विद्वान थे।

चौहानः इस वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था। यह राजवंश राजपूत राजघरानाओ में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। मूलतः अजमेर के पृथ्वीराज चौहान इस वंश का प्रसिद्ध शासक था। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं को हराया। प्रथम तरैन युद्ध में मोहम्मद घोरी के विरुद्ध जय प्राप्त करने वाला यह दूसरे तरैन युद्ध में जयचंद्र के धोखे से मोहम्मद घोरी से हरना पड़ा। इसकी राजधानी दिल्ली मोहम्मद घोरी का वश हुआ।पृथ्वीराज के शौर्य तथा साहस के लिए प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज रासो नामक हिंदी महाकाव्य में इसका शौर्य तथा साहस के बारे में वर्णन है। इसके गलत निर्णय ही इसके नाश के लिए प्रमुख कारण बना।

पृथ्वीराज चौहान

सोलंकीः सोलंकी वंश का स्थापक पहला मूलराज था। प्रथम भीमराय ने इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसके प्रशासनकाल में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ देवालय पर आक्रमण किया। गजनी के आक्रमण को रोकने में भीमराज विफल होने के कारण से अपने अधिकार को त्याग कर, उसके पुत्र कर्ण देव को राजा बनाया। इस वंश के प्रशासन में ख्यात पंडित हेमचंद्र ने 'देसीनामा माला' नामक विख्यात शब्दकोश को प्राकृत भाषा में रचना की। द्वितीय मूलराज ने मोहम्मद घोरी को माउंट आबू के पास हराया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक उलुघ खान और नुस्रत खान ने करण देव को हराकर इस प्रांत को विलिन कर लिया गया।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

चंदेल: पारमार वंश के पतन के बाद चंदेलों ने राज्य की स्थापना की। इस राजवंश के शासन का संस्थापक नन्नुक था। ये प्रतिहारों के जागीरदार (मांडलिक) के रूप में प्रशासन कर रहे थे। 'ढंग' इस वंश का प्रसिद्ध राजा था। प्रतिहारों से स्वतंर्त्य घोषित कर, इन्होंने राज्य के पूर्व भाग को वश में कर लिया। पालों को और आध्रों को हराकर या पराजित करके राज्य का विस्तार किया। इंदूशाही राजा जयपाल के लिए मुस्लिमों के विरुद्ध सेना की सहायता किया। 'महाराजाधिराज' नामक उपाधि को प्राप्त किया। इस राजवंश के काल में भवभूति ने संस्कृत में 'मालती माधव' उत्तर रामचरित, और 'महावीर चरित्र' कृतियों की रचना की। ढंग नामक राजा स्वयं विद्वान होकर कई विद्वानों के लिए आश्रय दाता भी थे। इस राज्य को खिलजी सुल्तानों ने जीत लिया। राजपूत राजाओं में परस्पर द्वेष, एकता के अभाव से इनके प्रशासन का अंत हुआ।

राजपूतों की देन :

राजपूत क्षत्रिया होने के साथ ही वीर योद्धा भी थे। इन्होंने हिंदू धर्म के कई त्योहारों को त्योहारों का आचरण करते थें। समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्थान मान था। सति प्रथा, जोहर पद्धति, अस्तित्व में थे। स्वयंवर का विवाह पद्धति राजघरानों की पद्धति थी। राजपूत स्त्रियाँ स्वाभिमान होते हुए, अत्यंत साहसी भी थीं। इनके काल में स्त्रियाँ साहित्य,संगीत, चित्रकला और कसूती कलाओं में कुशल थीं।

राजपूत राजाओं ने विद्वानों के लिए प्रोत्साहन या आश्रय देने के साथ-साथ साहित्य क्षेत्र के लिए देन भी दियें हैं। भोज, मुंजा, नामक राजपूत राजा स्वयं विद्वान थें। मुंजा राजा ने पद्मगुप्त, हलयुध नामक कवियों के आश्रय दाता थे। भोजराज के काल में शांतिसेन, प्रभाचंद्र सूरी, घनपाल, नामक जैन विद्वान को आश्रयदाता थें। जयदेव के गीत गोविंद भारवीं के किरातार्जुनीय, भर्तृहरि के रावण वधा, महेंद्र पाल का 'काव्य मीमांसा' इनके काल की रचना थीं। नाटकों में राजशेखर के द्वारा रचना की 'बाल रामायण' तथा 'कर्पूर मंजरी' भवभूति के द्वारा रचित 'महावीर चरित' तथा 'उत्तररामचरित' ऐतिहासिक कृति कल्हण राजातरंगिणी जगनिक के 'पृथ्वीराज विजय' और हेमचंद्र के 'कुमारपालचरित्र' महत्वपूर्ण है। राजपूत राजाओं के जीवन की कृतियाँ 'पृथ्वीराज रासो' को चंदबरदाई ने और 'भोज प्रबंध' को बल्लाल रचना की। इस काल में गुजराती, राजस्थानी, हिंदी भाषा की प्रगति के पथ में थें। इन्होंने नलंदा, काशी, विक्रमशीला, उज्जैनी, विद्या केंद्रों के लिए प्रोत्साहन दियें।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कला तथा वास्तुशिल्प :

राजपूत राजाओं ने उत्तर भारत के चित्तौड, मांडु, रणथंभोर, जोधपुर तथा ग्वालियर, यहाँ विशाल किलों का निर्माण की। जयपुर, ग्वालियर, उदयपुर के राजमहलों, माउन्ट आबू के दिलवर मंदिर, विमला वसायी, लूना वसायी मंदिरों में सुंदर कलात्मक से परिपूर्ण हैं। चंदेलों ने मध्यप्रदेश के खजुराहो के खंडराय महादेव मंदिर को बनवाया। इनके काल में निर्मित देवालयों में शिव तथा विष्णु के मंदिर हैं। उन्होंने चित्रकला को भी प्रेरणा दी।

माउन्ट आबू का जैन मंदिर

चित्रकला शैली को राजस्थानी शैली तथा पहारी शैली के रूप में वर्गीकृत किया गया। मेवाड, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर तथा बुनी में राजस्थानी शैली की चित्रकलाओं को देख सकते हैं। खसोली, जम्मू, गर्वाल में पहारी शैली की चित्रकलाओं देखी जा सकती है।

कश्मीर के कार्कोट (625 से 855)

भारत के एक राजा ने मध्य एशिया के स्पीयन समुद्र तक अपना राज्य को विस्तार किया था। वर्तमान के ईरान की भूमि पर अपना विजय ध्वज फहराया था। पूर्व में बंगाल तक उसका प्रशासन था। दक्षिण का कर्नाटक (राष्ट्रकूट) साम्राज्य के साथ तथा उत्तर के चीना के राजवंश के साथ मित्रता अर्जित किया और इतनी उपलब्धियों को वह राजा मुगल या यूरोपियन उपनिवेश काल से पहले ही कर दिखाया था क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है। पर ऐसे उपलब्धियां हमारे देश में घटित वास्तव घटना है। उस राजा का नाम ललितादित्य मुक्तपीड़ा था। वह भारत के ताज या मुकुट कहलाने वाले कश्मीर को प्रशासन करने वाला कर्कोट राजवंश का था।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

स्थापना : विश्व ही आश्चर्यचकित होने की तरह प्रशासन और उत्तम राज्य का निर्माण और असंभव को संभव बनाने वाले भारत के राज्य वंशों में कश्मीर के कर्कोट वंशज भी एक थें। 625 में राजा दुर्लभवर्धन से स्थापित कार्कोट राजवंश उस काल के भारत का शक्तिशाली संस्थानों में से एक था। गोनंद वंश के बालादित्य को पुत्र संतान न होने के कारण से अपने दामाद को उत्तराधिकारी के रूप में गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। इस तरह उसने अपनी बेटी अनंगलेख को अपने प्रिय अधिकारी दुर्लभवर्धन के साथ विवाह किया। बालादित्य की मृत्यु के बाद दुर्लभवर्धन अपने वंश का प्रशासन प्रारंभ किया। यही आगे कार्कोट नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुर्लभवर्धन का बेटा दुर्लभक या प्रतापादित्य, इसने नरेंद्रप्रभा से विवाह करके, तीन पुत्रों को प्राप्त किया। चंद्रपीडा (वज्रादित्य) तारापीड़ा (उदयादित्य) तथा मुक्तपीड़ा (ललितादित्य) इनमें से पहले दो राज्य भार या राज्य प्रभुत्व करने के बाद ललितादित्य को कार्कोट वंश का जिम्मेदारी को निभानी पड़ी। इसने कुल 36 वर्ष तक (724-260) प्रशासन किया था। कार्कोट साम्राज्य की सीमाएं चतुर्दिशाओं में फैलाने की कीर्ति ललितादित्य को प्राप्त होती है।

ललितादित्य मुक्तपीड़ा : ललितादित्य के दरबारी के कवि कल्हण का ऐतिहासिक ग्रंथ 'राजतरंगिणी' विवरण मिलता है। इसके अलावा अलबरूनी के द्वारा लिखा, 'तारीख ई हिंद' में ललितादित्य का साहस को मुक्त रूप से प्रशंसा की। चीना के अत्यधिक ऐतिहासिक ग्रंथो में इसका उल्लेख देख सकते हैं। ललितादित्य मूलतः शूर के साथ वीर और महत्वाकांक्षी भी था। प्रारंभ में कन्याकुब्ज (कन्नौज) के यशोवर्मा को युद्ध में हराकर अपना शौर्य का प्रदर्शित किया। इसके बाद काबुल प्रांत्य के शासक शाही राजघरानों को हराया, उस प्रदेश में अपने आधिपत्य की स्थापना की। विंध्याचल के कई राजाओं के साथ राजनीतिक संबंध को बढ़ाकर, इस भागों में अपने लिए कोई शत्रु को पनपने का अवसर नहीं दिया। राष्ट्रकूट के साथ ललितादित्य के मित्रतापूर्ण संबंध को बढ़ाया। पूर्व में अपना साम्राज्य के प्रभाव को बंगाल तक विस्तृत किया। चीन का टांग राजाओं के साथ स्नेहा को अर्जीत ललितादित्य, उनकी सहायता से की टिबेटन्नर के विरुद्ध युद्ध किया, उनके वश में निहित पश्चिमोत्तर भारत के कई राज्यों को स्वतंत्र किया। इसके अलावा अपने कार्कोट साम्राज्य को तुर्की तक विस्तार किया या फैलाया। उस काल के कर्कोट राज्य प्रस्तुत उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजकिस्तान, काबुल, आदि तक था । कर्कोट वंश के प्रस्तुत विस्तार से अरब तथा तुर्कीयों को 300 वर्षों के दीर्घकाल तक भारत पर आक्रमण करने संभव नहीं हो सका।

ललितादित्य मुक्तापीड

कला के लिए कार्कोट की देन: करीब 230 (625-855) वर्ष तक अस्तित्व में था कार्कोट साम्राज्य हिमालय तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना प्रभाव के साथ मध्य एशिया तक विस्तार हुआ था। पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में क्या स्पीयन समुद्र, तथा उत्तर में टिबेट तक अपनी सीमा रेखाओं से व्याप्त कार्कोट साम्राज्य ने सर्वधर्म समन्वय के तत्वों का पालन किया। शैव, बौद्ध पंथ, सनातन धर्म के सभी को यहाँ स्वतंत्रता थी। स्वयं ललितादित्य ने बड़ा स्तूपों का निर्माण किया। देश में बहुत वैभवयुक्त 'मार्तांड सूर्य देवालय' का निर्माण किया, इसको विशाल तालाब पर तैरने की तरह निर्माण किया। पारस्पोर या परिहासपुर को अपनी राजधानी बनाकर कार्कोट, सूर्य उपासक थे।

NOT TO BE REPUBLISHED
©KTBS

कश्मीर के शैव सिद्धांत अत्यंत वैभव काल सीमा पर कार्कोट काल कहा जाता था। वसुगुप्ता का शैवसूत्र इस समय की रचना थी। ख्यात, दार्शनिक, कवि अभिनव गुप्ता कार्कोट के काल के था। शैव सूत्र का त्रिक, खौल संप्रदाय इस काल में उच्च स्थिति पहुंचे थे। ललितादित्य काल को कार्कोट वंश के स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि ललितादित्य ने कला, संस्कृति, साहित्य के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिया था। कल्हण ने ललितादित्य के दरबारी कवि था।

अवनति : ललितादित्य के बाद आये राजा लोग उसके तरह प्रभावशाली नहीं थे। ललितादित्य का पुत्र कुवलयापीड़ा, एक धोखे को देखकर ऐशों आराम जीवन से विरक्त हुआ। अपना सब कुछ को त्याग कर अरण्य में सिद्धि प्राप्त किया। ये विचार राजतरंगिणी से मिलता है। ललितादित्य के और एक पुत्र वज्रादित्य अपने पिता की तरह शूर-वीर नहीं था। सिंध प्रांत्यों के शत्रुओं के आक्रमण को रोकने में असमर्थ हुआ। इसके के बाद प्रथम पृथ्वीव्यापीडा, जयापीड,ललितापीड़ा, संग्राम पीड़ा, आदि प्रशासन करने पर भी इनके प्रशासन उतना महत्वपूर्ण न होने के कारण से कार्कोट ने विनाश की ओर बढ़ता गया।

अफगान के आक्रमणकारी :

मोहम्मद गजनी (सा. श. 997 से 1030) :

आलफ्तगीन नामक तुर्की गुलाम ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यही मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर सत्रह बार आक्रमण किया और अधिक संपत्ति को लूटा। अपने हमले के समय में मुल्तान का राजा जयपाल, भीमपाल,चंदेल के राजा त्रिलोचन पाल, को हराया। नगरकोट, थानेश्वर, ग्वालियर,उज्जैनी,आदि नगरों पर आक्रमण किया था।

इसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ देवालय पर बृहद सेना के साथ आक्रमण किया। शिवलिंग को नाश किया। वहाँ की संपत्ति को लूटा। गजनी के आक्रमण के बाद टर्कों का आक्रमण के लिए सूत्रपात हुआ।

इसने कवि, विद्वान तथा ललित कलाओं के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इनके दरबार में अलबरूनी नामक विद्वान 'तारीख-उल--हिंद' नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में भारत के जनजीवन और विद्वत्ता का उल्लेख किया गया है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

मोहम्मद घोरी (सा. श. 1149-1206) :

मोहम्मद गजनी ने भारत में तुर्कों के साम्राज्य की स्थापना करने में असफल होने के कारण, मोहम्मद घोरी ने इस प्रयास को जारी रखा। मोहम्मद घोरी ने राज्य को विस्तार करने की आकांक्षा से भारत के मुल्तान प्रांतो को अपने वश में करने के बाद गुजरात के अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में विफल हुआ। इससे वह हिम्मत न हार कर पंजाब के पेशावर को वश में किया बाद में खुसरो मलिक से लाहौर को कब्जा करके वह पंजाब में प्रबल हुआ। पेशावर को अपनी सेना केंद्र बना। इससे पंजाब के आस पास के प्रदेश दिल्ली और अजमेर को वश में लेने के प्रयस में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से पहला तरैन युद्ध में हार माना पड़ा। बाद में दूसरा तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया। घोरी के सेनानायक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली को अपने वश में करके गंगा के मैदान-प्रदेश के अन्य राजपूत राजाओं को हराकर घोरी राज्य को विस्तार किया। इस तरह उत्तर भारत में ट्रकों का प्रशासन प्रारंभ हुआ। भारत के प्रशासन को देख भाल के लिए अपने वफादार(विश्वासपात्र) गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। भारत में राजपूतों में एकता के अभाव के कारण घोरी साम्राज्य का विस्तार का मूल बना।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

दिल्ली सुल्तान (सा. श. 1206 से 1526) :

गुलाम, खिल्जी, तुगलक, सैयद, लोदी, आदि वंशों ने दिल्ली सुल्तान के काल में शासन करने वाली संततियां थीं।

गुलाम वंश :

कुतुबुद्दीन ऐबक ने मुस्लिम प्रशासन को भारत में जारी की। ऐबक और उसके उत्तराधिकारी गुलाम होने के कारण, ऐबक के द्वारा स्थापित राज्य को गुलाम वंश का नाम आया था।

कुतुबुद्दीन ऐबक :

इसने भारत में दिल्ली सुल्तानों के प्रशासन को मजबूत नींव डाला। अफगानिस्तान की तुर्की जनजाति से संबंधित कुतुबुद्दीन को बचपन में उनके पालक ने निशापुर के खाजी के गुलाम बनाकर बेचें। एबक ने फारसी, अरबी, भाषाओं की शिक्षा के साथ-साथ तीरंदाजी, घुडसवारी और सैनिक प्रशिक्षण को प्राप्त कियें। गजनी के राज्यपाल मोहम्मद घोरी इसको अपने गुलाम के रूप में खरीद लिया। ऐबक ने गजनी में अपने शौर्य से या वीरता से मोहम्मद घोरी के ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। दूसरे तराइन युद्ध के बाद भारत पर आक्रमण की जिम्मेदारियाँ अपनाकर ऐबक ने मोहम्मद गौरी के काल में उत्तर भारत के उत्तराधिकारी बना। घोरी के बाद स्वतंत्र होकर, प्रशासन करने लगा। अधिकार पाने के बाद अपना स्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए, इल्तमश और नासिरूद्दीन कबाचा के साथ वैवाहिक संबंध की वृद्धि की। इसके अलावा ताजुद्दीन इल्दोज की बेटी से शादी की। नासिरूद्दीन कबाचा से युद्ध किया ।

कुतब मिनार

आप जानिए : कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित भारत से अत्यंत ऊँचा मिनार हैं। इसको कुतुबुद्दीन द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ होकर, इल्तमश के द्वारा पूर्ण हुआ। यह 225 फुट ऊँचा है। उस पर महीन शिल्प कला उकेरें हैं। पाँच मंजिल की इमारत में सीढ़ियाँ हैं।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ऐबक दिल्ली में कुव्हात उल इस्लाम मस्जिद को निर्माण किया। इसने वहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण भी प्रारंभ किया था। इसके दरबार में निजामी और पख-इ-मुददब्बीर नामक विद्वान थे। 'ताजुल मासिर' ऐबक के बारे में सूचना देने वाली कृति थी।

इल्तमश :

इल्बरी वंश का इल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। यह ग्वालियर का शासक और ऐबक का उत्तराधिकारी था।

इल्तमश के सुल्तान बनना गजनी के बादशाह ताजुद्दीन इल्दोज और सिंध के बादशाह नासिरूद्दीन सह न सके, इसके विरुद्ध विद्रोह कर बैठे। इल्तमश इन दोनों को हराकर अपना स्थान को सुदृढ़ करने के बाद रणथंबोर, मंडोर, ग्वालियर, भिल्सा, अजमेर, बनारस, कन्नौज को अपने वश कर लिया। भारत पर मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पहली बार आक्रमण कियें। इल्तमश उनको सफलतापूर्वक मार भगाने में सफल हुआ। इन उपलब्धियों के कारण बाग्दाद के खिलाफ ने इल्तमश को अधिकृत अधिकार पत्र प्रदान किया।

इल्तमश राज्य को कई इक्ताओ में विभाजित किया और प्रशासन निर्वाह करने के लिए इक्तादारों को नियुक्त किया था। प्रशासन में सलाह और सूचनाएँ देने के लिए 40 सरदारों को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सुल्तान के लिए सलाह देते थें। इल्तमश ने स्वर्ण और रजत के सिक्कों को अस्तित्व में लायें। कुतुबुद्दीन काल में कुतुबमीनार को निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। इसने कुतुब मीनार को पूर्ण किया।

रजिया सुल्ताना :

इल्तमश के पुत्र रुक्नुद्दीन फिरोज असमर्थ होने के कारण से उनकी पुत्री रजिया बेगम को उनकी उत्तराधिकारी बनी। दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम महिला थीं जो सुल्तान नामक उपाधि प्राप्त कर पुरुषों की तरह वेश धारण कर युद्ध में भाग लेती थी। सिंध से बंगाल तक विशाल प्रदेश तक अपना अधिपत्य स्थापित की। इसकी प्रशासन को सहन न करने वाले कुछ प्रांताधिकारी विद्रोह करके, उसकी हत्या की।

घियास उद्दीन बलबन :

दिल्ली में इल्तमश का गुलाम बलबन अपनी स्वामी निष्ठा, बुद्धिमत्ता, सद्गुणों से तुर्की गुलामों की समिति का सदस्य बना। रजिया सुल्तान के दरबार में अमीरी इ शिकार पद पर नियुक्त हुआ। अविधेय तुर्की सरदारों का कुप्रशासन नियंत्रित किया।मंगोल के आक्रमण को रोकर, राज्य में शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखा। दरबार में संप्रदाय तथा शिष्टाचार को लाया । पर्शियन पद्धति के आडंबर, वेषाभूषा पहनकर अपने आप को भगवान के प्रतिनिधि कह कर निरंकुश राजा प्रभुत्व को जारी में लाया। अनुभवी तथा विश्वास्त सेनानायकों के नेतृत्व में सेना को पुनर्संगठन किया। जागीर पाकर सेवा न करने वाले परिवारों से भूमि को वापस ले लिया। मंगोलों के आक्रमण रोकने के लिए पश्चिमोत्तर सीमा भाग पर किलाओ

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

का निर्माण किया। दक्ष प्रशासक बलबन के बाद सुल्तान कैकुबाद उसके वजीर से ही मारा गया। इस तरह गुलाम वंश के प्रशासन का अंत हुआ।

खिलजी वंश (सा. श. 1290 - 1320) :

खिलजी वंश को जलालुद्दीन ने स्थापना की। यह कोमल तथा क्षमाशीलता गुणों का सरदार था। इस वजह से सरदार इसके विरुद्ध प्रबल रूप से षड्यंत्र किये। आगे इसको अल्लाउद्दीन ने मारा और दिल्ली का सुल्तान बना।

अल्लाउद्दीन खिल्जी :

अल्लाउद्दीन बचपन में जलालुद्दीन के आश्रय में पला था। वीर योद्धा होने के साथ-साथ यह राज्यपाल तथा सेनानायक के रूप में सेवाएँ की। सेनानायक के रूप में मालवा, भिल्सा और देवगिरि, के आक्रमण में अधिक संपत्ति को लूटा। अपने मार्गदर्शक तथा अश्रयदाता जलालुद्दीन की हत्या की। इस तरह अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बन बैठा।

अल्लाउद्दीन ने मंगलों के आक्रमण को खदेड़ने के साथ-साथ उत्तर और दक्षिण भारत के राजाओं को हराकर अधिक संपत्ति को लूटा। गुजरात का वघेला वंश का राजपूत राजा द्वितीय कर्णदेव, रणथंबोर का हम्मीर देव और चित्तौड़ का राजा भीम सिंह, को हराया। इसके अतिरिक्त मालवा,जालोर, बूंदी मंडोर और टोंक को जीता लिया।

इसका दंड नायक मल्लिकाफर दक्षिण भारत पर बरात के द्वारा अधिक हिंसाचार, संपत्ति, लूट, हत्या आदि का कारणकर्ता बना। देवगिरि, वारंगल, द्वारासमुद्र और मदुरै पर आक्रमण करके उनके नाश का कारण बना।

जीते राज्यों को अपना राज्य में विलिन न करके सिर्फ संपत्ति को लूटा । इसके तीसरा बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक चार वर्ष तक प्रशासन किया।खुसरो नामक सैनिक से मारा गया। आगे गाजी मलिक (घियासुद्दीन तुगलक) ने खुसरो को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की।

प्रशासनिक सुधार: अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन में कई सुधार किये। धार्मिक दान, इनाम भूमि, तथा सहायक धनराशि रद्द की। समर्थ गुप्तचर व्यवस्था की रचना की। मध्यपान, मादक नशीली वस्तुओं की बिक्री, चौसर खेलों को निषेध किया। सरदारों की

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

सभा, सार्वजनिक स्नेह- समारंभ तथा अंतर्जाति विवाह को प्रतिबंध किया। जनता से अधिक पैमाने पर कर संग्रह करने के लिए आदेश दिया।

सैनिक सुधार: सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्र, घोडा तथा नगद रूप में वेतन देने की जिम्मेदारी वजीर को दी गयी थीं। प्रत्येक सैनिक तथा घोडों के बारे में विवरण देने वाले अभिलेख को रखा गया था। और इसे 'हुलिया' विधि कहा गया। घोड़ों के लिए मुद्रा (दाग) पद्धति जारी की थीं। सीमांत प्रदेशों में किलों के निर्माण कराया।

आपको ज्ञात रहे :

दो आब :

संस्कृत में द्वा= दो, आप= पानी, दो नदियों के बीच के प्रदेश को दो- आब कहते हैं। उदाहरण: गंगा- जमुना दो - आब।

वाणिज्य सुधार: जीवन आवश्यक वस्तुएँ जैसे दान्य, खाद्य, तेल, चीनी, नमक,कपड़ा, आदि को अल्प प्रमाण के लाभ के आधार पर मूल्य निश्चित किया गया था। व्यापारियों के द्वारा निश्चित मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का आदेश दिया गया था। बाजार के नियंत्रण के लिए सहना-इ-मंडी नामक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया था।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

तुगलक वंश (सा.श. 1320 - 1399) :

तुगलक संतति को घियासुद्दीन ने स्थापित किया। इस वंश में मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक प्रसिद्ध थे।घियासुद्दीन ने कई उधार प्रशासनात्मक नीतियों से दिल्ली में शांति तथा सुभद्रता की स्थापना की। मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए सीमाओं को सुदृढ़ किया। किसानों के लिए सींचाई के लिए नहर की व्यवस्था की। भू- राजस्व को कम किया। घोड़ा तथा पैदल दल के द्वारा डाक पद्धति का प्रारंभ किया। दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले का निर्माण कराया, वारंगल, मदुरई को वश में लेने के बाद, गुजरात तथा बंगाल में सुव्यवस्था बनाए रखने की व्यवस्था की।

मोहम्मद बिन तुगलक :

इसने फारसी और अरबी भाषाओं में पंडित था। अपार ज्ञान प्राप्त करने पर भी उसके व्यक्तित्व में कई दोष थे। मोहम्मद बिन तुगलक में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता परिज्ञान, संयम,मानसिक संतुलन, दूरदृष्टि, वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी।

प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार :

भू राजस्व सुधार : साम्राज्य का भू राजस्व के संबंध में भूमि के हर विवरण के साथ अधिकृत अभिलेख को तैयार की। कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि के अंतर्गत न आने वाली भूमि को कृषि योग्य बनाया। किसानों को आर्थिक सहायता दी। दो अब प्रदेश में भू राजस्व बढ़ाया।

राजधानी का स्थानांतरण : मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली को भारत के मध्य भाग में स्थित देवगिरी को स्थानांतरण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य विशाल साम्राज्य का प्रबंधन करना और राजधानी को मंगोलों के आक्रमण से रक्षा करता था। साम्राज्य के केंद्र भाग में रहना चाहिए, तथा विदेशियों के आक्रमण से रक्षा करना था। योजना तो बेहतर था, पर स्थानांतरण के लिए उचित व्यवस्था न करने के कारण से असंख्य लोग मुसीबतों में फँसे।

प्रतीकात्मक सिक्को का प्रयोग : सिक्कों के मूल्यों को अपने काल के स्वर्ण तथा रजत के मूल्यों के अनुरूप बनाया।' दिनार' नामक स्वर्ण का तथा अदली नामक रजत सिक्कों को जारी की।

सिक्कों को टंकना सरकार के एकाधिकार नहीं था। इसलिए सार्वजनिक जनता भी उनको टंकने से अव्यवस्था हुई।अधिक व्यय के प्रशासनात्मक परीक्षण में,अकाल, राजधानी का स्थानांतरण, पुनर स्थानांतरण से,राज्य का खजाना खाली हुआ।

दक्खन की नीति : मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्खन में विजय प्राप्त प्रदेशों में अपना प्रशासन चलाया।काकातीय की राजधानी वारंगल को अपने वश में करके, होयसल की राजधानी द्वारसमुद्र को विध्वंस किया।दक्षिण भारत में मधुरै पर विजय प्राप्त करके उसके प्रशासन निभाने के लिए जलालुद्दीन हसनशाह को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया।इस तरह भारत में विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने की कीर्ति दिल्ली सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक को मिलती हैं।

मोहम्मद बिन तुगलक ने बड़ी सेना का संगठन किया। पर किसी तरह के बरात न करके समय तथा धन का अपव्यय किया। जिससे राज्य के खजानों को अधिक नष्ट हुआ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इसके अंतिम ग्यारह वर्ष के प्रशासन काल में दक्षिण भारत में सत्ताईस विद्रोह हुए। इसके परिणाम स्वरूप विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का उदय हुए।

मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक के काल में कई प्रजाहित कार्य लागू हुए। जनता को सहायता देने के उद्देश्य से 'तकावी' कर्ज को रद्द किया गया। मोहम्मद तुगलक के आक्रमण से त्रस्त प्रजा के लिए मुआवजे के रूप में धन दिया गया। करीब 20 से अधिक राजस्व को रद्द किया गया। निजी खान पर और सींचाई व्यवस्था के लिए राजस्व को संग्रहित किया जा रहा था।

नगर, मस्जिद, मदरसा, बांध, नहर को बनवाया। इसके द्वारा निर्माण प्रमुख नगर जौनपुर, फतेहबाद, हिस्सार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जानपुर उस समय के प्रसिद्ध विद्या केंद्र थें। यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाओं की स्थापना की।

सैयद वंशः (सा. श. 1414 -1451) :

मुल्तान के राज्यपाल खिजार खान सय्यद दिल्ली को वश कर लिया दो अब, बियान और ग्वालियर पर अधिकार की स्थापना करके प्रतिरोध को दबाकर, शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखा। मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन तथा आलम शाह, इस वंश के प्रमुख सुल्तान थे।आलम शाह को बहलोल लोधी ने हराया। इस तरह सैयद वंश के प्रशासन को अंत किया।

लोदी वंश (सा. श. 1451 से 1526) :

यह दिल्ली पर प्रशासन किया अंतिम सुल्तान संतति या वंश बहलोल लोधी, सिकंदर लोदी, और इब्राहिम लोदी वंश के सुलतान थें। सिकंदर लोदी ने बिहार, बंगाल, धौलपुर और चंदेरी को अपने वश में कर लिया । दिल्ली में शांति सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए व्यवस्था की।

सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी अदक्ष था। भारत पर आक्रमण करने के लिए राज्यपाल आलम खान और दौलत खान ने अफगनों के लिए आमंत्रित कियें। इसके अनुसार बाबर भारत पर आक्रमण करके सा.श. 1526 में पहली पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर, मुगलों का प्रशासन प्रारंभ किया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

दिल्ली सुल्तानो की देन :

प्रशासन पद्धति : दिल्ली सुल्तान निरंकुश शासक होते हुए, सेना का नेता, मुख्य न्यायाधीश थें। सुल्तान के प्रशासन कुरान के कानून के अनुसार चलता था। प्रशासन पर सरदार, अमीर और उलेमाओं का प्रभाव था। केंद्र में प्रशासन चलाने के लिए सेना विभाग, विदेश मंत्रालय का विभाग, पत्र व्यवहार विभाग, दान धर्म तथा दत्ति विभाग थें। इनके नियंत्रण के लिए मंत्री और अधिकारी-गण थें। राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया जाता था। प्रशासन के स्तर के लिए शिकदार, अमीन और चौकीदार, प्रधान थें। राजस्व संग्रहण, शांति की रक्षा, शिक्षण प्रदान करना, स्वच्छता की रक्षा, इनके प्रमुख कर्तव्य था।

सुल्तानों के काल में खराज (भू कर) जकात, उश्रु, खम्स (युद्ध में लूटी संपत्ति पर कर) जसिया, जिस संपत्ति का उत्तराधिकारी न होने पर कर, आयात पर कर, मकान पर कर आदि आय का प्रमुख स्रोता था। राजस्व संग्रहण के अधिकारीगण थे। खाजी प्रांतों में तथा नगर में न्याय प्रदान करने के विषय में सुल्तान के लिए सहायता करते थे।

सामाजिक व्यवस्था : सुल्तान के प्रशासन में षिया और इंदू प्रजाओ के लिए धार्मिक प्रतिबंध थे। मुस्लिम सरदारों को ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। सुल्तानों के प्रशासन में सहायता देने के लिए हिंदू राजस्व अधिकारियों को, कारकूनों को नियुक्त करते थे। अन्य कुशल कारीगरों, वास्तुशिल्पियो को ईमारत निर्माण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था।

गुलामी पद्धति इनके काल में व्यापक रूप से विकासित हुई थीं। युद्ध कैदियों को गुलाम के रूप में नियुक्त करते थे। राजमहलों में कई महिला गुलाम भी थीं। स्त्रियों के स्थान मान अच्छा नहीं था। पर्दा और बाल्यविवाह पद्धतियाँ प्रचलन में थीं।उच्च वर्ग की महिलाएं ललित कला में भाग लेती थीं। ग्रामीण महिलाएँ कृषि, घर के कामकाजों में व्यस्त रहती थीं।

आर्थिक व्यवस्था : लोगों पर अधिक राजस्व के भार था। परिवहन संपर्क ठीक न होने के कारण, चीजों का दाम हर जगह एक रूप में नहीं था। कृषि आय का प्रमुख स्त्रोता था। दिल्ली में सुल्तानों के लिए अपने ही कारखाने थें। स्वर्ण, रजत, सामग्रियों की तैयारी, वस्त्र विन्यास करना, कपड़ा तैयार करना, रंग चढ़ाना,आदि कारखाने थें।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

साहित्य : सुल्तान के दरबार में विदेशी लेखकों और इतिहासकारों के आश्रयदाता थे। उनकी कृतियाँ अरबी, फारसी भाषा में थीं। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी नामक प्रसिद्ध विद्वान था। यह दार्शनिक, गणित शास्त्रज्ञ, भूगोलशास्त्रज्ञ और साहित्यकार था। भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, विषयों से संबंधित 'तारिक-उल-हिंद' कृति की रचना की। 'उत्बी' नामक विद्वान अरबी भाषा में 'तारीख की यामिनी' हसन निजामी ने 'ताजुल मासिख' नामक ग्रंथों की रचना की। मीन्हाजउस सिराज 'तबखत-ई-नासिरि' कृति की रचना की। अमीर खुसरो के द्वारा छः प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई थीं।हिंदू-मुस्लिम संस्कृति के बारे में जानकारी दी। इसको 'भारत का तोता' कहा जाता है । जियाउद्दीन बरनी ने 'तारीख-ई-फिरोजशाही' तथा फिरोज तुगलक ने 'फुतुहत-इ-फिरोजशाही' नामक कृतियों की रचना की हैं ।

कला और वास्तुशिल्प : दिल्ली सुल्तानों ने भारत में इंडो-इस्लामिक नामक नई शैली के वास्तुशिल्प को परिचय दिया। कमान, गुंबज, तथा मीनार, इस शैली के मुख्य लक्षण है। दिल्ली सुल्तानों ने किले, मस्जिद, राजमहल, सार्वजनिक भवन, मदरसा, धर्मशालाओं को निर्माण करवाया। इंड- इस्लामिक शैली के लिए प्रमुख उदाहरण - दिल्ली का कुवत-उल-इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, अलै दरवाजा, जमैतखाना मस्जद्दि।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

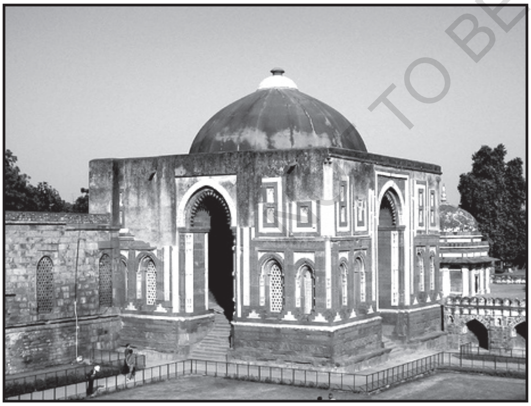

अलाई दरवाजा

कुवत-उल-इस्लाम मस्जिद।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए :

1. गुर्जर प्रतिहार राजपूत राजवंश का स्थापक ______________ था।
2. पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम तरैन युद्ध में ______________ को हराया था।
3. मोहम्मद घोरी का प्रमुख सेनानायक ______________ था।
4. दिल्ली सुल्तानों में शासन करने वाली प्रथम महिला ______________ थीं।
5. खिलजी वंश का प्रसिद्ध सुल्तान ______________ था।
6. तुगलक के काल में राज्यधानी को दिल्ली से ______________ के लिए स्थानांतर हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

7. राजपूत राजाओं ने साहित्य क्षेत्रों के लिए क्या देन दिये हैं ?
8. कश्मीर के कार्कोट राजवंश का प्रमुख राजा कौन था? उसने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया ?
9. इल्तमश के प्रशासन पद्धति को विस्तार से बताइए।
10. अल्लाउद्दीन खिलजी के प्रशासनात्मक नीतियों कौन-कौन सी थीं?
11. मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लागू किये गये प्रशासनात्मक सुधार के बारे में लिखिए।
12. दिल्ली सुल्तानों ने कला और वास्तुकला के लिए क्या योगदान दिये है? उदाहरण दीजिए।
13. पेहला पानीपत संग्राम का परिणाम क्या था?

III. गतिविधियाँ :

भारत के मानचित्र में राजपूत राज्यों को पहचानिए।

IV. परियोजना :

शिक्षक के मार्गदर्शन में राजपूतों के वास्तु निर्माण तथा स्मारकों के बारे में चित्रों के साथ जानकारी संग्रहीत कर के चित्राधार तैयार कीजिए।

***

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

अध्याय 3

भारत के धर्म प्रवर्तक

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशों को जानेगें :

- भारत के धार्मिक प्रवर्तकों का परिचय और धर्म सुधारकों का परिचय तथा प्रतिपादित तत्व और उपदेश ।
- शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, बसवण्ण का जीवन और उपदेश।

लगभग नौवीं शताब्दी के भारत में कई जातियाँ, परंपराएँ और दर्शन थे। समय-समय पर प्रसिद्ध सुधारकों ने सनातन धर्म की अपनी-अपनी धारणाओं से व्याख्या की। इससे भक्ति पंथ का उदय हुआ। इसलिए धर्म सुधारक भारतीय धार्मिक क्षेत्र में तत्व-संपत्ती और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए साक्षी बने हैं। 9वीं से 14वीं शताब्दी तक जीवित रहे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य बसवेश्वर, आदि धार्मिक सुधारणो को अनुष्ठान करके वैचारिक आंदोलन किये ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

शंकराचार्य :

शंकराचार्य का जन्म केरल कालडी ग्राम में नम्बूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्याम्या थे। बचपन से ही प्रखर बुद्धि क्षमता वाले थे । शंकर अपनी सातवीं वर्ष की आयु में ही सभी सूत्रों में पांडित्य प्राप्त कर लिया था। गोविंद भगवत्पाद नामक गुरु द्वारा आपने वेद-शास्त्रो का अध्ययन किया।

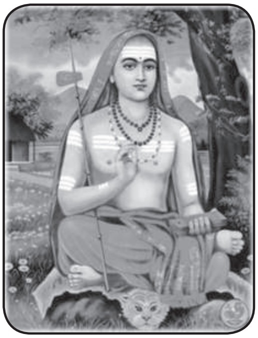

शंकराचार्य

शंकर ने उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों का गहराई से अध्ययन कर अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अद्वैत का अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है, शेष जगत मिथ्या है । इसके अनुसार जीव ही ब्रह्म है और जीव से ब्रह्म अलग नहीं है।

संसार एक माया है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। लोग अज्ञानी हैं, वे नहीं जानते कि संसार माया है और ब्रह्म ही सत्य है। इसलिए ज्ञान के मार्ग से हमें संसार के भ्रम को जान

कर परम सत्य रूपी ब्रह्म में अपनी जीवात्मा को विलीन करना चाहिए। तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी । इस प्रकार शंकर ने ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया। जीवात्मा का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यह शंकर ने प्रतिपादित किया था। जिसे 'मैं ही ब्रह्म हूँ' या 'अहं ब्राह्मास्मि' सूत्र प्रतिपादित किए । ब्रह्म ही सत्य है, वह निर्गुण है। उसका कोई लक्षण और आकार नहीं है। इस तत्व को प्रतिपादित किया। शंकराचार्य ने भारतीय चिंतन को नया रूप और चैतन्य प्रदान किया ।

शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ : शंकरभाष्य, आनन्द लहरी, सौंदर्य लहरी, शिवानन्द लहरी विवेक चूडामणि, प्रबोध सुधाकर और दक्षिणामूर्ति स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है। इसके अलावा शंकराचार्य द्वारा रचित 'भज गोविन्दम' स्तोत्र अत्यंत लोकप्रिय है।

शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके अपने अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने अद्वैत सिद्धांत का प्रचार समस्त भारत में करने के उद्देश्य से भारत की चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना की ।

आपको ज्ञात रहे :

शंकराचार्य द्वारा स्थापित आम्नाय पीठ हैं:

1) बद्रीनाथ - ज्योर्ति पीठ	2) द्वारका - कालिका पीठ
3) पुरी - गोवर्धन पीठ	4) श्रृंगेरी - शारदा पीठ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

रामानुजाचार्य :

रामानुजाचार्य का जन्म चेन्नई के पास स्थित श्री पेरंबुदूर नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव सोमयाजी और माता का नाम कातिमति था। तत्कालीन दक्षिण भारत का प्रसिद्ध विद्याकेन्द्र कंची में यादव प्रकाश से वेद उपनिषदों को शिक्षा पायी। बाद में श्रीरंग नामक स्थान में जाकर वहाँ मठ के पीठाधीश बने। शैव धर्मावलंबी चोल राजा रामानुजाचार्य को कष्ट पहुँचाता था। उस समय कर्नाटक के होयसल राजा विष्णुवर्धन ने

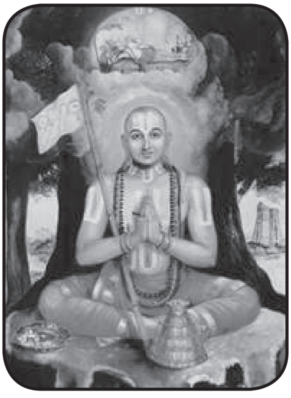

रामानुजाचार्य

इनको अपने यहाँ स्वागत किया। रामानुजाचार्य ने मेलुकोटे में जाकर चेलुवनारायण मन्दिर का निर्माण करवाया ।

रामानुजाचार्य ने आम जनता को मुक्ति मार्ग दिखाने के लिए अत्यंत निष्ठापूर्वक काम किया। रामानुजाचार्य ने शास्त्रों का अध्ययन करके, अनेक ग्रंथों की रचना की। वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीपिका और श्री भाष्य तथा अपने महत्वपूर्ण 'गीताभाष्य' जिसमें उन्होंने भक्ति सिद्धांत को प्रमुखता प्रदान की थी।

रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को 'विशिष्टाद्वैत' कहा जाता है तथा उस धर्म को श्रीवैष्णव धर्म कहा जाता है । इसलिए उनके शिष्य श्रीवैष्णव बने ।

रामानुजाचार्य ने बताया है कि जीव और प्रकृति ब्रहम के अधीन है। आत्मा और परम त्मा एक काल में एक नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति और शरणागत होना अत्यंत आवश्यक है। जात पात की भावना का खंडन करके, भक्ति तत्व को प्राप्त करने के लिए सभी जाति के लोगों को उपदेश दिया। आकांक्षाओं के बिना भगवान की शरण में जाने को कहा । रामानुजाचार्य ने उपदेश दिया कि भक्ति मार्ग से मोक्ष पाया किया जा सकता है।

उत्तर भारत के संत रामानंद और रैदास रामानुजाचार्य के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इससे उत्तर भारत में भक्ति मार्ग की प्रगति के लिए रास्ता आसान बन गया। विजयनगर के तुलुवा और अरवीडू के राजा भी वैष्णव पंथ के अनुयायी बन गये।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

आपको ज्ञात रहे :

दक्षिण भारत कुछ प्रमुख वैष्णव मठ

1.	यतिराज मठ	-	मेलुकोटे और पेरम्बदूर
2.	परकाल (ब्रहम तंत्र)मठ	-	मैसूरू
3.	अहोबिल मठ	-	अहोबिल (कुरनूल, आंध्रप्रदेश)
4.	आंडवन मठ	-	श्री रंगम
5.	वामैमलै मठ	-	सुचींद्रम।

मध्वाचार्य :

मध्वाचार्य

मध्वाचार्य जन्म कर्नाटक उडुपि के पास पाजक नामक ग्राम में हुआ। ये नडिल्लाय नारायण भट्ट और वेदावती के पुत्र थे। विष्णु इनके आराध्य दैव थे। कहा जाता है कि मध्वाचार्य ने बचपन में ही अदभुत पांडित्य दिखाया । अच्युतप्रेक्षक नामक गुरु से वेद और उपनिषदों का ज्ञान हासिल किया। इसी गुरु ने मध्वाचार्य को संन्यास दीक्षा प्रदान की थी। गुरू के पास पढाई करते समय मध्वाचार्य स्वतंत्ररूप से अपने ज्ञान शक्ति का विकास किया तथा धर्म शास्त्र संबंधित वाद - विवाद मे अपने गुरु को हराया। इन्होने द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीवात्मा और परमात्मा अलग-अलग हो यह द्वैतवाद का अर्थ है ।

मध्वाचार्य अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए और कई स्थानो पर चर्चा में भाग लिया। उन्होंने जहाज के गोपीचंदन नामक मिट्टी के ढेर में से श्रीकृष्ण की मूर्ति को लाया और उसे उडुपी में प्रतिष्ठा किया और श्रीकृष्ण की पूजा के लिए अष्ठयतियो को नियोजित किए । सभी यात्राओं की व्यवस्था की। कृष्ण की पूजा के जिम्मेदारी लेकर आगे अष्टमठों का निर्माण हुआ।

श्री मध्वाचार्य के अनुसार यह संसार माया नहीं है। यह संसार भी परमात्मा के समान सत्य है। इनमें ईश्वर स्वतंत्र है। शेष जगत मिथ्या (भ्रम) है। परमात्मा और जीवियों का स्वामि-सेवक जैसा संबंध है। विष्णु अथवा नारायण अकेले एकमात्र व्यक्ति सर्वोत्तम हैं। विष्णु को भक्ति से पूजने से ही आत्मोदार अथवा मुक्ति संभव है।

मध्वाचार्य की रचनाएँ: गीतभाष्य, गीता तात्पर्य निर्णय, महाभारत तात्पर्य निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, सूत्र भाष्य, मायावाद का खण्डन आदि।

मध्वाचार्य के सिद्धांत का प्रचार करनेवाले उनके मुख्य शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, विजयेन्द्र तीर्थ, वादिराज तीर्थ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

विश्वगुरू बसवण्णा जी

विश्वगुरू बसवण्णा कर्नाटक की सास्कृतिक नेता हैं ।

कर्नाटक के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के अग्रणियों में बसवण्णा भी एक हैं । बसवण्णा जी का काल 12 वीं शताब्दी है । उनके पिता मादरस और माता मादलांबिका थे। बसवण्णा जी का जन्म वर्तमान विजयपुरा जिले के बसवनबागेवाडी में हुआ। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने कूडलसंगम पर ध्यानसाधन किया और कूडलसंगम देव को ही अंकित मानकर वचनों की रचना की । बचपन में ब्राह्मण पद्धति के अनुरूप उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार के दौरान इन्होंने अपनी माता, बहन तथा अन्य साथियों को अप्राप्य उपनयन का स्वयं भी त्याग कर जनेऊ का तिरस्कार किया और कूडलसंगम की ओर चल पड़े । वहाँ शिक्षा प्राप्त कर मंगलवेडे के राजा बिज्जल के यहाँ अर्थ सचिव बने। वे अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, दूरदृष्टि, जनहित द्वारा आगे चलकर कल्याण राज्य के प्रधान बने। इन्होंने समाज में जड़े जमा चुकी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कर्माचरण का विरोध किया। बसवण्णा जी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार के कारणकर्ता बने।

विश्व के सर्वप्रथम संसद नामक प्रसिद्ध 'अनुभवमंडप' को बसवण्णा जी बीदर जिले के बसवकल्याण में अस्तित्व में लाए। बसवण्णा जी ने आत्म कल्याण के साथ-साथ लोक कल्याण का कार्य भी किया।

बसवण्णा जी ने ज्ञान को ही गुरु मानकर इष्टलिंग की परिकल्पना के साथ शरीर को मंदिर कहकर स्थाई मंदिरों का निराकरण कर एकदेव निष्ठा का प्रतिपादन किया।

'दया ही धर्म का मूल है' नामक अहिंसा तत्व पर बल दिया। कार्य, दासोहा और इष्टलिंग - ये बसवण्णा जी द्वारा जारी नवीन परिकल्पनाएँ हैं । इनके द्वारा बसवण्णा जी ने जाति निरपेक्ष, लिंग निरपेक्ष, समान समाज की स्थापना कल्याण में की।

स्थाई नष्ट होता है, जंगम का नाश नहीं होता, कर्म ही पूजा है, कहने वाले बसवण्णा जी ने कर्म की पवित्रता के साथ-साथ लोगों में उद्योग की संस्कृति या भावना उत्पन्न करने वाले कायक तत्व पर बल दिया। कार्य में ऊंच-नीच नहीं होता, मुझसे छोटा कोई नहीं, शिवभक्त से बड़ा कोई नहीं, ऐसा कहकर बसवण्णा जी सभी जीवात्माओं की अच्छाई की कामना करते।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

दासोहा तत्व द्वारा संपत्ति का संग्रह की प्रवृत्ति को दूर किया । उनकी समाज-धार्मिक चिंतनशीलता इसे साकार करने की रीति अनन्य है । इन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता, समानता का प्रतिपादन किया।

विश्व में सभी समान हैं। जन्म से ही कोई अस्पृश्य नहीं है। बसवण्णा जी ने ऐसा प्रचार किया । आत्मकल्याण और लोककल्याण की पृष्ठभूमि में लिखे गए अंश ही 'वचन' है।

यह कन्नड़ साहित्य को दी गई नई देन है। दूसरे अर्थ में 'वचन' विश्व को दिया गया संविधान कहा जा सकता है । उस समय के वचनकारों नें अनेक वचनों द्वारा तत्कालीन समाज के दोषों को दिखाकर ज्ञान भरने का प्रयास किया है।

वचन आंदोलन के कारण उनके अनुयायी जाति, वर्ण, वर्ग, लिंगभेद, रहित जुड़ गए। सत्यक्का, आयदक्की - लक्कम्मा, सिद्धराम, चन्नाबसवण्णा, मोलिगे - मारय्या, मडिवाला-माचय्या, मादार-चेन्नय्या, सम गार-हरलय्या, किन्नरी-बोम्मय्या आदि इनमें प्रमुख हैं ।

आपको ज्ञात रहे (वचन)

'चोरी ना करना', हत्या ना करना, झूठ कभी ना बोलना,
क्रोध ना करना, घृणा ना करना,
अपना बखान ना करना, दूसरों की निंदा ना करना,
यही आंतरिक शुद्धि है, यही बाह्य शुद्धि है ।
यही हमारे कूडल संगम देव को रिझाने की रीति है ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

श्री बसवेश्व जी मानव कुल के कल्याण के लिए दिए संदेश ये एक समावेशी समान समाज के आशय का प्रतीक है। इनके संदेशों से कर्नाटक राज्य की सांस्कृतिक गरिमा देश-विदेश में और अधिक बढ़ गाई है । इस संदर्भ में कर्नाटक सरकार ने 13.02.2024 को विश्वगुरू बसवण्ण के चित्र का अनावरण किया और उन्हे 'कर्नाटक का सांस्कृतिक नायक' घोषित किया ।

अभ्यास :

I. नीचे दिए गए वाक्यों में उपयुक्त शब्दों की पूर्ति कीजिए :

1) शंकराचार्य केरल के ______________ में पैदा हुए थे ।

2) संसार माया है, ब्रह्मा ही सत्य है इसका प्रतिपादक ______________।

3) रामानुजाचार्य के शिष्य को ______________ कह गया है ।

4) द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक ______________।

II. निम्नलिखित प्रश्नों को समूहों में चर्चा करें और उत्तर दें :

5) अद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक कौन हैं?

6) रामानुजाचार्य ने किस सिद्धांत की प्रतिपादन की? उनके पंथ को किस नाम से पुकारा गया है ?

7) रामानुजाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए।

8) मध्वाचार्य ने किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था?

9) शंकराचार्य द्वारा रचित ग्रंथों के नाम लिखिए।

10) बसवण्णा जी के कल्याणकारी कार्य क्या-क्या हैं ?

11) बसवण्णा जी के साथ वचन अन्दोलन के अनुयायी कौन-कौन हैं?

12) बसवण्णा जी द्वारा प्रतिपादित 'कर्म ही पूजा है' का तात्पर्य क्या है ?

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

III. गतिविधियाँ :

1) प्रमुख वचनकारों के वचनों को एकत्र करे और उन्हें समूह में पढ़े और परिभाषित करें ।

2) बसवण्ण के समकालीन वचनकारों के भावचित्र संग्रह कीजिए ।

3) वचन गायन प्रतियोगिता आयोजित करें।

IV. परियोजनाएँ :

1) शिक्षकों की सहायता से द्वैत और अद्वैत सिद्धांतों के तत्वों पर एक निबंध लिखिए।

2) स्थानीय वचनकारों को स्कूल में आमंत्रित करें और विभिन्न वचनो का वाचन करवाइए।

***

अध्याय 4

विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी राज्य

Q8R4R6

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानते हैं।

- विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्यों की स्थापना।
- विजयनगर और बहमनी राज्यों को प्रशासित राजवंश।
- श्रीकृष्णदेवराय की उपलब्धियाँ और देन।
- बहमनी साम्राज्य की सांस्कृतिक देन।
- बहमनी साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। दक्षिण भारत के राजवंश के देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय, मधुरै के पाण्ड्य, द्वारसमुद्र (हलेबीडू) के होय्सला और तंजावूरु के चोल अल्लाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के शिकार बन गए थे। परिणास्वरूप सर्वत्र राजनैतिक अस्थिरता, आंतरिक हलचल, डर और धार्मिक हिंसा से उत्पीड़न की स्थिति दिखाई दी। ऐसी परिस्थिति में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई।

हरिहर-बुक्का ने सा. श. 1336 ई में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तटीय भाग में इस साम्रज्य की स्थापना की । आगे चलकर हंपी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बन गई।

विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासित चार राजवंश

- संगम
- सालुव
- तुलुवा
- अरवीडु

संगम वंश (सा. श. 1336-1486) का प्रसिद्ध राजाओं में से प्रथम हरिहर, बुक्कराय, द्वितीय हरिहर और प्रौढ़देवराय थे । प्रथम हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली तथा खड़ी पहाड़ों के बीच नई राजधानी (हंपी) की अभिवृद्धि की।

बुक्कराय :

बुक्कराय के पुत्र कंपणा ने मधुरै के सुलतान को पदच्युत करके साम्राज्य का विस्तार किया। इस दिग्विजय के बारे में गंगा देवी द्वारा रचित 'श्री मधुराविजयम' (वीर कंपण्णराय विजयम्) नामक संस्कृत की रचना ज्यादा विवरण देती है। कोण्डवीडू के रेड्डियों को हराकर पेनुगोण्डा प्रदेश को बुकराय ने विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। बुक्कराय ने जैन और वैष्णवों के बीच के धार्मिक संघर्ष को सुलझाकर सर्वधर्म समन्वय नीति पर जोर दिया, ऐसी बातें श्रवणबेलगोल के शिलालेखों से प्राप्त होती हैं। राजधानी में किले तथा मन्दिरों का निर्माण कराया, कृषि से संबंधित कार्यों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। बुक्कराय ने चीन देश के मिंग वंश के सम्राट के दरबार में अपने राजदूत को भेजा था।

हरिहर द्वितीय :

बुक्कराया का पुत्र हरिहर द्वितीय ने अपने 27 वर्ष के कार्यकाल के दौरान विजयनगर विस्तृत प्रदेशों से युक्त था । हरिहर (द्वितीय) ने कोण्डवीडु, कर्नूल, नेल्लूरु के किलो (Forts) को जीत लिया। बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के काल में इसने अपने राज्य को गोवा से कोंकण के तटीय क्षेत्र के उत्तर तक विस्तृत किया। सा. श. 1398 ई. में इसने कृष्णा नदी के उत्तरी दिशा में स्थित ''पांगल किले'' को अपने वश में कर लिया।

देवराय द्वितीय (प्रौढ़देवराय) :

संगम वंश के श्रेष्ठ राजाओं में देवराया (द्वितीय) (प्रौढ़देवराया) प्रमुख हैं। इसने 'गज शिकारी' नामक उपाधि प्राप्त की थी । देवराया (द्वितीय) ने ओडीशा के गजपति वंश के कपिलेन्द्र को हराकर कोण्डवीडू को जीत लिया। सीमा से लगे प्रदेशों के राजाओं को हराकर उत्तर-पूर्वी सीमा को कृष्णा नदी तक विस्तार किया। बाद में केरल राज्य को जीतकर, केरल और श्रीलंका देश से उपहार प्राप्त किये। इस कारण से इन्हें 'दक्षिण पथ का चक्रवर्ती' माना गया है। इन सारी विजयों के कारण विजयनगर साम्राज्य श्रीलंका से गुलबर्गा तक और तेलंगाना से मालाबार तक विस्तृत था।

> **क्या आपको यह पता है ?**
>
> निकोलो कोंती नामक इटली देश का पर्यटक विजयनगर में आया था। उसने विजयनगर के बारे में रोचक वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि राजधानी 60 मील के क्षेत्रफल तक फैली थी ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

सांप्रदायिक शत्रु बहमनी सुल्तान अहमद शाह को बीजापुर तक पीछा किया और मुदगल व बंकापुर को अपने कब्जे में कर लिया। देवराया (द्वितीय) का सेनापति लक्कण्णादण्डेश ने अपनी नौसेना की सहायता से विजय यात्रा करके सफल हुआ।

आपको ज्ञात रहे :
पर्षिया देश का राजदूत अब्दुल रजाक 1443 ई. के अप्रैल के अंतिम दिनों में विजयनगर की राजधानी में था। इसके वैभव से प्रभावित होकर उसने इस प्रकार कहा था- 'विजयनगर जैसे नगर मेरी आँखों ने न देखा है और कानों ने न सुना है क्योंकि इसके समान नगर संसार में और कहीं दिखाई नहीं देता

यह धार्मिक सहिष्णु था। इसने अपनी राजधानी में मस्जिद का निर्माण कराया था। जैन और वैष्णव मन्दिर भी बने। यह राजा स्वयं एक कवि था। इसके दरबार में संस्कृत कवि डिमडिमा और कन्नड़ कवि लक्कणादण्डेश थे। देवराया के काल में वीरशैव पंथ और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ। सा. श. 1446 ई0 में देवराया (द्वितीय) की मृत्यु के बाद आये दुर्बल राजा के साथ ही संगम वंश का प्रशासन समाप्त हो गया।

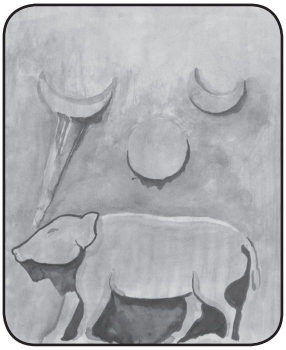
राजमुद्रा वराह

कृष्णदेवराय (1509-1529):

तुलुवा राजवंश के नरसनायक और उसकी द्वितीय पत्नी नागलांबिका के पुत्र कृष्णदेवराय विजयनगर के राजाओं में अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते हैं। इनके प्रशासन के दौरान विजयनगर साम्राज्य वैभव के पराकाष्ठा पर पहुँचा था। कृष्णदेवराय ने बीस वर्ष तक प्रशासन किया था। भारत के प्रसिद्ध राजा जैसे अशोक, समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन आदि सम्राटों को सूची में कृष्णदेवराय का भी नाम आता है। कृष्णदेवराय जब गद्दी पर आये तब उन्हें राज्य के अंदर और बाहर से जटिल समस्याएँ थीं। यूरोप के लोग नए जलमार्ग से भारत में आकर अपने उपनिवेश स्थापना करने लगे। बहमनी राज्य के पाँच शाही सुल्तानों ने

कृष्णदेवराय

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कृष्णदेवराय के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उतावले हुए । जिसके साथ उम्मत्तूरु और उड़ीसा के राजा भी वैमनस्य एवं घृणा की दृष्टि से विजयनगर को देखने लगे थे।

कृष्णदेवराय की सैनिक उपलब्धियाँ :

रावर्ट स्यूयेल के कथनानुसार कृष्णदेवराय अत्यंत पराक्रमी, चतुर सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने जो युद्ध लड़े थे उन सब में विजय प्राप्त की थी और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया था। उम्मत्तूरु का मांडलिक गंगराज को हराकर उससे शिवन समुद्र के किले को जीत लिया। उसके बाद रायचूर के किले को कब्जे में कर लिया। गोवा को बिजापुर (वर्तमान विजयपुर) के सुल्तान से जीतने के लिए पुर्तगालियों की मदद करके उनसे व्यापार संबंध बढ़ाए। उदयगिरी के किले को जीत लिया। उदयगिरी के किले को जीतने के समय उसने कहा था-'मुझसे जीता न जानेवाला प्रबल किला है यह? केवल एक ही दिन में इस किले को जीतकर ही रहूँगा' कृष्णदेवराय की यह बात उसके कर्तव्य-संकल्प को दिखाता है। कलिंग की राजधानी कटक को जीतकर गजपतीवंश के प्रताप रुद्र को हराकर उनके साथ वैवाहिक संबंध किया।

कृष्णदेवराय ने बिजापुर के (आज के विजयपुर) आदिल षा को हराकर रायचूर को कब्जे में कर लिया। रायचूर के आक्रमण के प्रारंभ में अपने सैनिकों को प्रेरणा देते हुए कहा था - "इस संसार में सभी को मरना ही है। युद्ध में मरे तो वीर स्वर्ग, जीत गए तो विजयलक्ष्मी। इसलिए सब मेरे साथ आओ; कायर मत बनो ।"

रायचूर, बीदर तथा कलबुर्गी के किलो को कब्जे में कर लिया। कृष्णदेवराय ने बहमनी राज्य के प्रधान 'कासिम बरीद' को हराकर उसे बंदी बनाया। बहमनी राजकुमार को बीदर में बहमनी सिंहासन पर बिठाकर 'यवनराज्य प्रतिष्ठापनाचार्य' नामक उपाधि पाई। कृष्णदेवराय की मृत्यु के समय विजयनगर साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था तथा सभी दिशाओं में फैला हुआ था।

कृष्णदेवराय कुशल योद्धा ही नहीं, समर्थ प्रशासक भी थे। राज्य प्रशासन के विषय में इनके व्यवहारिक ज्ञान को इनसे ही लिखित ''अमुक्तमौल्यदा'' नामक तेलुगु भाषा की कृति हमें बताती है। कृषि के विकास के लिए सींचाई की सुविधाओं का प्रबंध किया । पुर्तगालियों के साथ मित्रता से विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। विवाह के ऊपर रहे कर को रद्द कर दिया। कृष्णदेवराय कला साहित्य और धर्म के श्रेष्ठ पोषक थे। कृष्णदेवराय

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

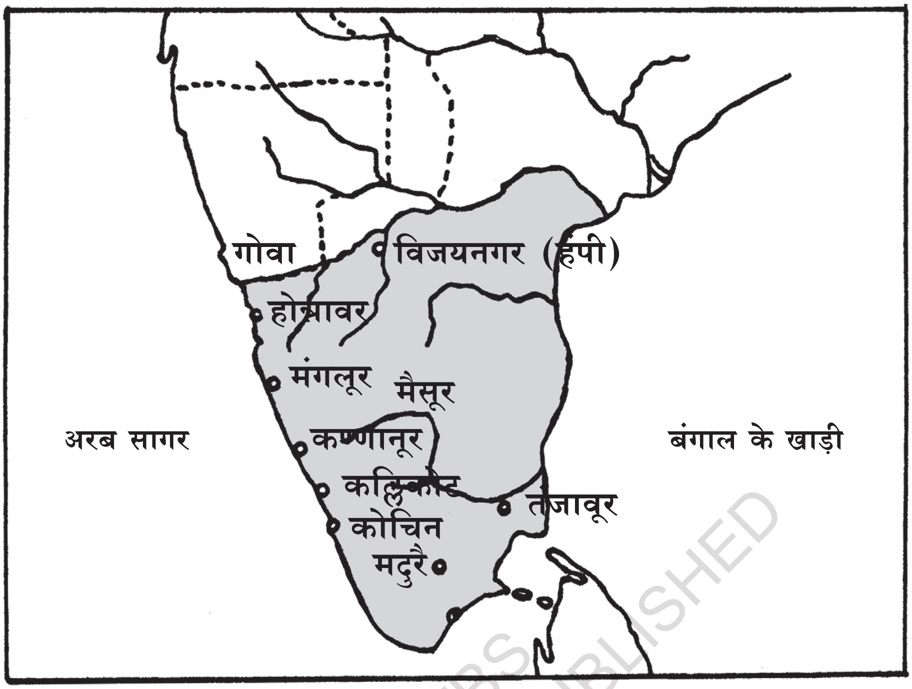

के दरबार में ''अष्ट दिग्गज'' नामक कवि थे। स्वयं कवि रहे कृष्णदेवराय ने ''जांबवती कल्याण'' नामक नाटक की रचना संस्कृत भाषा में की थी।अल्लासानी पेद्दन्ना, नंदी तिमन्ना, दूर्जटि, तेनालीराम कृष्ण-आदि इनके दरबारी कवि थे।

> **क्रियाकलाप :**
> तेनाली रामकृष्ण की बुद्धिमत्ता से संबंधित कथाएँ पढिए।

कृष्णदेवराय ने हंपी में कृष्ण का मन्दिर बनाया था। इन्होंने अपने प्रशासन काल में और भी कई मंदिरों के साथ हंपी के विरुपाक्ष मन्दिर का महा रंगमंडप का निर्माण कराया था। सभी धर्म और पंथ के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। ये विचार पुर्तगाली पर्यटक पायेस और बार्बोसा ने कहकर कृष्णदेवराय की प्रतिष्ठा और सामर्थ्य की प्रशंसा की है।

विजय नगर साम्राज्य का पतन :

कृष्णदेवराय के बाद अच्युतराय और सदाशिवराय ने प्रशासन था। कृष्णदेवराय का दामाद अरवीडू वंश के रामराय ने प्रशासन किया । रामराय ने अपने 23 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अनेक युद्ध जीतकर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को ऊँचा उठाये। इसीसे विजयनगर को अनेक शत्रुओं की सृष्टि हुई ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

दक्खन प्रदेश के राज्यों ने समय-समय पर विजयनगर राज्य पर आक्रमण करते थे। बदला लेने के उद्देश्य से रामराय ने बीजापुर (वर्तमान विजयपुर) और गोलकोंडा राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। इसीसे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दक्खन के सुलतान विजयनगर साम्राज्य के प्रगति और समृद्धि को देख ईर्ष्या और द्वेश की भावना से ओतप्रोत होकर धर्म के नाम पर अपने राजनैतिक मतभेदों को परस्पर भुलाकर एक हो गये।

1565 ई. में रक्कसतंगडी (तालिकोटे) चार राज्यों के संघ ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण किया। इसमें रामराय की सेना हार गई। रामराय की हत्या की गई। विजय प्राप्त दक्खन सुल्तानों की सेना ने भव्य विजयनगर को लूट लिया। इसके फलस्वरूप राजधानी हंपी का नाश हुआ। आगे पेनुकोण्डा, चंद्रगिरी अंत में वेल्लूर से अरवीडू वंश का प्रशासन सा. श. 1646 तक आगे बढ़ा। कर्नाटक में मैसूर के ओडेयर, केलदी के नायक और चित्रदुर्ग के पालेगार के सामंती सरदार स्वतंत्र हो गए ।

> **आपको ज्ञात रहे :**
> विजयनगर साम्राज्य में पेनुगोंडा, चंद्रगिरी, पड्डेबीडी, तिरुवाडी (तिरुवाकुरु) मुलुवायी (मुलबागिलु) सांतलिगे (शिवमोग्गा प्रदेश) और मंगलूरु प्रमुख प्रांत थे।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक योगदान :

प्रशासन : विजयनगर साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था परंपरा के रूप से आगे बढ़ी। राजा अपने बड़े बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी चुनते थे। विजयनगर की प्रशासन पद्धति विकेन्द्रकृत अधिकार से संपन्न प्रबल केन्द्र सरकार थी। मंत्री मंडल, सेनाधिकार, प्रांत के अधिनस्थ नायक अथवा सामती सरदार अथवा मांडलिक को राजा, सैनिक सेवा के शर्तों पर भूमि दिया करता था। प्रांतीय स्तर पर नायकों या अमर नायकों के साथ में स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रशासन जैसी विधाएँ थीं। तिम्मरस प्रधानमंत्री था। साम्राज्य में राज्य, प्रांत तथा ग्राम नामक प्रशासनिक इकाइयाँ थीं।

> • होन्नम्मा, देवराय द्वितीय के दरबार में एक संवाद- दाता थी।
> • विजयनगर साम्राज्य के दौरान में सबसे लोकप्रिय खेल खुश्ती थी। हरियक्का उस समय की प्रसिद्ध महिला पहलवान ती।

न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में राजा के पास परम अधिकार थे। प्रातों में प्रांताधिकारी ही इस बारे में अपना फैसला सुनाते थे। सजाएँ उग्र होती थीं। ग्राम, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतिम घटक थे, वहाँ ग्राम सभाएँ प्रशासन चलाती थीं। गावुंडा, करणिक, (शानभोग) और तलार (तलवारा) ग्राम प्रशासन में सहायता करते थे।

गतिविधि :
- ग्राम पंचायत का भेंट करें और ग्राम सभाओं के संचालन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें ।

सेना व्यवस्था : विजयनगर में समर्थ सेना थी। स्थायी सेना, सामंती सेना और सुसभ्य (यह राजा की अंगरक्षक टुकडी थी) सेना तीन विभागों में विभाजित थी। पैदल सेना, अश्वदल, गजदल और तोपखाना आदि सेना के प्रमुख भाग थे। 1368 ई0. से तोपखाने का इस्तेमाल युद्ध में होने लगा था। बृहत आकार के अनेक हाथी थे। अरब देश के घोड़े विजयनगर के आकर्षण थे। सेना में नौसैनिक बल भी था। किसी भी जाति का व्यक्ति सेना में भर्ति होकर उच्च पद प्राप्त कर सकता था। मुसलमान सैनिक अधिकारी थे। वक्कलिगा, शिकारी, मांडलिक बन गए। युद्ध में किले और दुर्ग की प्रमुख भूमिका थी।

सामाजिक व्यवस्था :

पेशे पर आधरित कई जाति व्यवस्था जारी थी । कारीगरों, लुहार, सुनार, बढई, जुलाहा, चमार ये सब अधिक संख्या में थे। समाज में बाल विवाह, सतिप्रथा और देवदासी पद्धति प्रचलित थीं। सामान्यत: एक पत्नीत्व की प्रथा आचरण में रहने पर भी अमीर और राजा लोग बहुपत्नियों को स्वीकार कर सकते थे। समाज में स्रियों का स्थान ऊँचा था। विजयनगर में महिला पहलवान भी थीं। साथ ही महिला पहरेदारों को भी देखा जा सकता था। होली, दीपावली और दशहर जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप

क्रियाकलाप : ग्राम पंचायत का दौरा करें और ग्राम सभाओं के आयोजन के तरीके के बारे में जानकारी एकत्र करें।

क्रियाकलाप : हाल ही के मैसूर के दशहरा उत्सव और प्राचीन काल के विजयनगर साम्राज्य के दशहरा त्योहार के बारे में तुलना करके विश्लेषण कीजिए ।

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

से मनाया जाता था। दशहरा त्योहार को हंपी में राजा की देखरेख में धूम-धाम से मनाया जाता था। इसी के निशान के रूप में आज भी महानवमी दिब्बा को देख सकते हैं । संगीत और नृत्य समाज में अत्यधिक लोकप्रिय थे।

आर्थिक व्यवस्था :

> **क्रियाकलाप :** प्राचीन काल के पैसे, धन, सिक्कों अथवा उनके चित्रों का संग्रह कीजिए।

विजयनगर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध साम्राज्य था। भू-कर व्यवस्था राज्य के आय का प्रमुख स्त्रोत था। किसान फसल के कुल उत्पादन का एक चौथाई (¼) भाग सरकार को कर के रूप में देते थे । वृत्तिकर, गृहकर, पथकर वाणिज्य कर, बाजार-मंडी कर,आयात और निर्यात कर, सामंतों से प्राप्त किये जानेवाला उपहार/ धन-ये सब राज्य के अन्य आमदनी के मूलस्रोत थे। कृषि, अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी । विजयनगर के किसान रबी और खारीफ फसल उगाते थे जौं, रागी, धान, बाजरा, गेहू, सेम, मूंग, उड़द, तूरदाल, तिल, मूंगफली, कपास, गन्ना और नारियल प्रमुख फसलें थीं। विजयनगर के राजाओं ने कुआ,तालाब और नहरों को बनाकर कृषि सींचाई को बढ़ावा दिया। इनके काल में भूमि पर पाँच तरीके से अधिकार बनाया जा सकता था। वे इस प्रकार थे लगान, ठेका, कर (नजराना), सप्ताह और सीमा।

विजयनगर साम्राज्य के काल में औद्योगिकि और वाणिज्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। काली, मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसाला पदार्थ, आम्ल लवण, कच्चा लोहा, हीरा, कलखण्ड(मिसरी), कस्तूरी, चंदन, सुगंधद्रव्य- आदि वस्तुओं का निर्यात करते थे। वस्त्र बुनना प्रमुख उद्योग था। सोने के असर्फियाँ, गद्याण और पगोड़ा, चाँदी के तारा (सिक्के), ताँबे के पण (सिक्के), पैसे-आदि प्रचलित थे।

भटकल, होन्नावर, मंगलूरु विजयनगर के प्रमुख बंदरगाह थे। अरब, चीन और पुर्तगाल के विदेशी व्यापारी साम्राज्य के संपर्क में थे।

धार्मिक व्यवस्था : विजयनगर साम्राज्य में सभी धर्मों को प्रोत्साहन दिया गया था। श्री वैष्णव और जैन धर्मावलंबियों ने अपने-अपने मतभेदों को भुलाकर परस्पर आदर का जीवन बिताने का वातावरण विजयनगर में था। विजयनगर साम्राज्य पर प्रारंभ में जिन्होंने प्रशासक थे। वे शैव और वीरशैव पंथी थे और इसका संरक्षण करते थे। बाद में जो विजयनगर प्रशासक थे वे वैष्णव मत के उपासक थे।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

विजयनगर में मुसल्मानों के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। पुर्तगालियों से व्यापार में वृद्धि करके विजयनगर के राजाओं ने न केवल ईसाई धर्म को प्रोत्साहन दिया बल्कि उन्हें गिरजाघरों को निर्माण करने के लिए अनुमति भी दी।

आपको ज्ञात रहे :
ईसाई हो या फिर यहूदी हो, मुसलन हो या फिर हिन्दू हो बिना किसी आतंक से इस राज्य में जी सकता है। - बर्बासा, विदेशी पर्यटक

साहित्य : साम्राज्य में कानून और व्यवस्था तथा शांति का वातावरण था। साथ ही आर्थिक प्रगति होने के कारण साहित्य का विकास भी अच्छी तरह से हुआ। कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषा में साहित्य की रचना होने लगी।

रत्नाकरवर्णी द्वारा रचित 'भरतेश वैभव', चामरस द्वारा रचित 'प्रभुलिंगलीले, कुमारव्यास द्वारा रचित 'कर्णाट भारत कथा मंजरी' कन्नड़ भाषा के मुख्य काव्य थे। भीम कवि ने पालकुरिके सोमनाथ की तेलुगु कृति 'बसव पुराण' को कन्नड़ भाषा में लिखा है।

बसवादि शिवशरणों के द्वारा वचनों का संग्रह ग्रंथ, 'शून्य संपादने' की रचना हुई। लक्कण्णादंडेश का 'शिवतत्व चिंतामणी' के अलावा कन्नड में मानव वैद्यशास्त्र, पशु वैद्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, ज्योतिष्य, पाकशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना हुई। पुरंदरदास, कनकदास, श्रीपादराय, व्यासराय ने दास साहित्य को समृद्ध किया । कनकदास द्वारा रचित 'मोहन तरंगिणी', 'नलचरिते' 'हरिभक्त्सारा' और 'रामधान्य चरिते' प्रमुख हैं।

संस्कृत भाषा में विद्यारण्य की 'शंकर विजय' और 'सर्वदर्शन संग्रह' की रचना हुई। इनके भाई सायणा आचार्य ने 'वेदार्थ प्रकाश' नामक वेदभाष्य और आयुर्वेद सुधानिधि, पुरुषार्थ सुधानिधि-जैसे अनेक पुस्तकों की रचना की थी। कंपणराय की पत्नी गंगादेवी ने 'मधुराविजयम' नामक कृति की रचना की थी। यह कृति कंपणा की अन्य राज्यों पर आक्रमण की यात्रा और वहाँ के तीर्थ क्षेत्रों के वर्णन की जानकारी देती है।

देवराय (द्वितीय) के दरबारी कवि श्रीनाथ ने 'कविचक्रवर्ती' नामक उपाधि प्राप्त की थी। अल्लसानी पेदण्णा का 'मनुचरितमू' तिमण्णा का 'पारिजातापहरणम', तेनाली रामकृष्ण की 'उभटाराध्य चरित' प्रमुख कृतियाँ थीं।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

तमिल के कवि परमज्योतियर, वीर राघवर, मंडलपुरुष, ज्ञान प्रकाश, हरिहर आदि तमिल कवि कृष्णदेवराय के दरबार में थे। परमज्योतियर कवि ने 'तिरुवलयाड़ल पुराणम' नामक कृति की रचना की थी। विजयनगर शासन काल में संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल भाषाओं को प्रोत्साहन मिला था।

कला और वास्तुशिल्प :

विजयनगर के राजाओं ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं वे स्मरणीय हैं। इसलिए इन सम्राटों को वास्तुकला के महान पोषक कहा जाता है। इनके शासन काल में मन्दिर, राजमहल, किले, गोपुर, महामंडप, सार्वजनिक इमारतें, तालाब, नहरें, बाँध-आदि निर्माण हुए हैं।

विजयनगर की कला की प्रमुख विशेषताएँ :

विजयनगर के राजाओं ने चालुक्य, चोल और होय्सला की वास्तुशैली के नमूनों को आगे बढ़ाया। इनकी शैली के प्रधान लक्षण यह था कि कई खंभों के कतार से युक्त विशाल सभा मंडप अथवा कल्याण मंडप, मन्दिरों के ऊँचे-ऊँचे गोपुर (राय गोपुर)के साथ पत्राकृति के कमान और मंडप भी देखे जा सकते हैं। इस कला में अलंकार के बजाय भव्यता और गंभीरता की भावनाओं को अधिक महत्व दिया गया था। ये लोग भवनों के निर्माण के लिए मजबूत ग्रेनाइट (कणशिला) (एक प्रकार का पत्थर) का इस्तेमाल करते थे।

क्रियाकलाप : हंपी दर्शन के लिए पर्यटन आयोजन करके वहाँ के मंदिर और भवनों के बारे में जानकारी संग्रह कीजिए।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

विजयनगर के प्रमुख मन्दिर :

इनके काल में निर्मित मन्दिर, हंपी, श्रृंगेरी, तिरुपति, कांची, लेपाक्षि, कार्कला, मूडबिद्रे, भटकल, चिदंबरम, कालहस्ती, नंदी, श्रीशैल, कोलार आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

श्रृंगेरी विद्याशंकर मन्दिर विजयनगर काल में प्रारंभ के मन्दिरों में प्रमुख है। इस मन्दिर का

आपको ज्ञात रहे :
इनके द्वारा बनवाये गए मन्दिर, भवनों और मूर्तियों का उल्लेख करते हुए इतिहासकार 'पर्सी ब्राउन' ने विजयनगर के वास्तुशिल्प शैली को द्राविड़ शैली का श्रेष्ठ विकसित रूप' इस प्रकार वर्णन किया ।

विन्यास सारे भारत में ही अपूर्व और अद्वितीय है। विजयनगर में अत्यंत प्राचीन मन्दिर हंपी का विरुपाक्ष देवालय है। इस मन्दिर के सामने विशाल प्रांगण है। यहाँ के स्तंभों पर अद्भुत नक्काशी और अलंकृत छत से युक्त हैं।

विजय विठ्ठल मन्दिर

हंपी विरुपाक्ष मन्दिर

हंपी में स्थित विजय विठ्ठल मन्दिर अलंकार एवं कलात्मक काम के लिए मशहूर है। इस मन्दिर के स्तंभ सप्त स्वरों की उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के विशाल मंडप, पत्थर पर नक्काशी करके बनाया गया रथ, इस मन्दिर की शोभा बढ़ाता है।

पत्थर का रथ, हंपी

कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित महानवमी टीला हंपी में स्थित है। यहाँ पर नवरात्रि उत्सव मनाया जाता था। पर्शियन यात्री अब्दुल रजाक का कहना था - राजधानी से दूर के प्रांतों से राजा, मांडलिक चक्रवर्ती के आदेश के अनुसार यहाँ आते थे। कमल महल, गजशाला, रानी का स्नानगृह इण्डो-मुस्लिम शैली की उत्तम इमारतें हैं। लक्ष्मी नरसिम्हा, चने का गणेश, सरसो का गणेश, उद्धान वीरभद्र की मूर्तियाँ आकर्षक हैं। विजयनगर काल के हंपी का किला सात मजबूत वृताकार दीवारों से आवुत था। वर्तमान में केवल चार वृताकार दीवारें ही शेष हैं।

संगीत और नृत्य : विजयनगर के राजाओं ने ललित कलाएँ जैसे संगीत, नृत्य, नाटक और यक्षगान आदि कलाओं को पोषण करके विकास किया। कलाकारों को राजमहल और

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

मन्दिरों पर बहुत आदर था। पुरंदरदास और कनकदास ने अपने भजन-कीर्तनों के द्वारा कर्नाटक संगीत को अमूल्य योगदान दिया है। नर्तकियाँ अलंकृत वेशभूषा में मन्दिरों और राजमहल में नृत्य प्रदर्शन करती थीं।

बहमनी साम्राज्य :

चौदहवीं शताब्दी में भारत के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव ही बहमनी राज्य का उदय था। 1347 ई, में अल्लाउद्धीन हसनगंगू बहमन शाह ने इसकी स्थापना की थी। 1347 से 1686 तक बहमनी राज्य और शाही राजवंश ने प्रशासन किया था। इस राजवंश में मुहम्मद शाह (प्रथम), मुहम्मद शाह (द्वितीय), फिरोजशाह, यूसुफ.आदिल खाँ, इब्राहिम आदिलशाह (प्रथम), इब्राहिम आदिलशाह (द्वितीय) प्रमुख थे। अल्लाउद्दीन हसनगंगू बहमनशाह का पुत्र मोहम्मद शाह कलबुर्गी का प्रख्यात विशाल जामी मस्जिद का निर्माण 1367 में किया। इसके बाद फिरोजशाह ने फिरोजाबाद नामक नई राजधानी का निर्माण किया। उसने वेधशाला (तारा वीक्षणालय) का निर्माण किया। वह प्रसिद्ध विद्वान था।

मुहम्मद गवान (सा. श. 1411-1481) :

1347 ई. से लेकर 1426 ई. तक कलबुर्गी बहमनी राज्य की राजधानी थी। इस अवधि के दौरान मुहम्मद गवान ने निष्ठापूर्वक एवं निस्वार्थ भावना से शासन किया। इस राज्य का प्रधानमंत्री बनकर इन्होंने राज्य को सफलता की ऊँचाईयों तक पहुँचाया। इन्होंने काहिरो (कैरो) में इस्लाम धर्मशात्र और कानून शास्त्र का अध्ययन किया था। इसने अरबी और फारसी भाषा में विद्वत्ता पायी थी। इन्होंने बहमनी सुल्तान हुमायूँ, निजामशाह और मुहम्मदशाह (तृतीय) के शासन काल के दौरान मंत्री और प्रधानमंत्री बनकर अपनी सेवा की। इन्होंने अपनी दिग्विजय यात्रा तथा अनुशासित प्रशासन से बहमनी राज्य की कीर्ति को पढ़ाया। गवान ने कोंकण, गोव और बेलगावि को अपने वश में कर लिया। बाद में उडस़ि़ा पर हमला करके वहाँ के कोंड़वीडू प्रदेश पर अपना कब्जा कर लिया। 1481 ई. में कंची पर हमला करके अपार धन-संपति लूट ली। बहमनी राज्य के सर्वागीण विकस के लिए मुहम्मद गवान ही कारण थे। ईर्षा एवं शत्रुत्व के कारण दुश्मनों ने षडयंत्र रचकर इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर इनके शिरच्छेद के कारण बने। इसके बाद राज्य दुर्बल स्थिति में पहुँचकर पाँच भागों में बँट गया।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

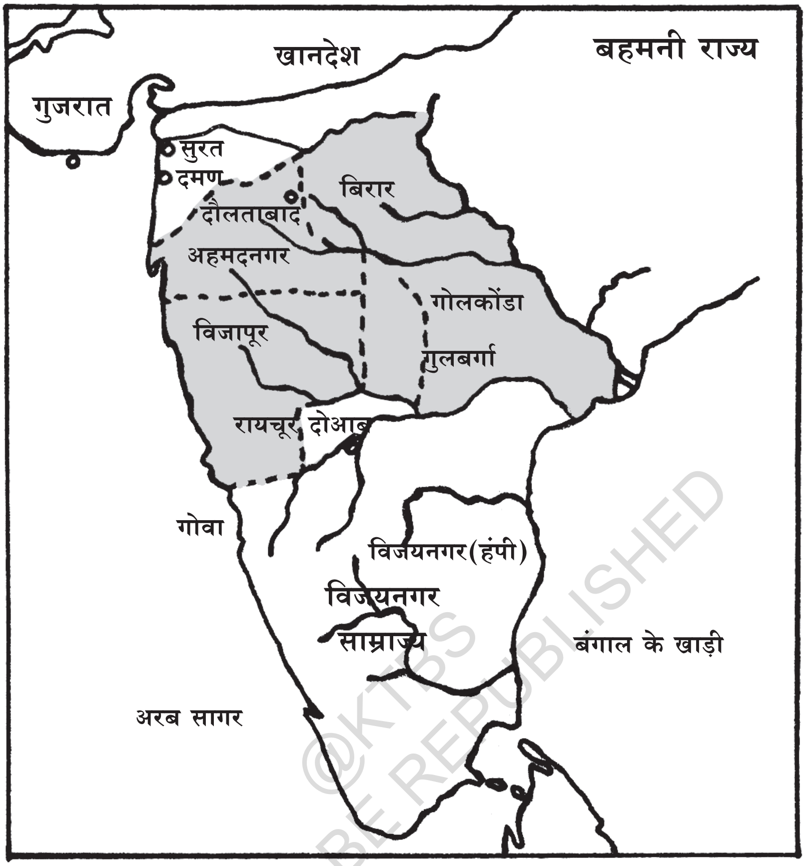

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

बहमनी राज्य का पांच भागों में विभाजन (1518)

↓

अहमदनगर	विजयपूर	बिरार	बीदर	गोलकोंड़ा
↓	↓	↓	↓	↓
(निजामशाही)	(आदिलशाही	(इमादशाही)	(बरीदशाही)	(कुतुबशाही)

इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय -1580-1627) : शाही राजाओं में सर्वश्रेष्ठ इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने अपने नौ वर्ष की आयु में राज सिंहासन पर बैठा। 47 वर्ष के प्रशासन कार्य में अपना समय बिताया। इस दौरान प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ भी घटीं। राजनीतिक दृष्टि से विजयपुर को इन्होंने वैभव के उतुंग शिखर पर पहुँचाया। इन्होंने दक्षता

से प्रशासनिक व्यवस्था को सँभाला था। कला, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की।

'किताब-ए-नवरस' नामक ग्रंथ में इन्होंने गणेश, सरस्वति और नरसिंह की स्तुति करते हुए पुस्तक लेखन आरंभ किया था, यही इस ग्रंथ की विशेषता है। इस पुस्तक में मुहम्मद पैगंबर की भी स्तुति की गई है। यह ग्रंथ इब्राहिम की विद्वता, प्रतिष्ठा, तथा धार्मिक उदारता के बारे में साक्ष्याधार है।

बहमनी सुल्तानों का सांस्कृतिक योगदान :

बहमनी और शाही सुल्तानों ने लगभग दो शताब्दियों तक कर्नाटक में प्रशासन किया। कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु के तंजावूर तक इनका राज्य विस्तृत था।इन्होंने प्रशासन को इस्लाम धर्म के मतशास्त्रानुसार प्रबंध किया।

आपको यह ज्ञात रहे :
इब्राहिम आदिल शाह (द्वितीय), महिपति दास के प्रवचनों से आकर्षित होकर उन्हें दरबार में खाजामदार अधिकारी के रुप में नियुक्त किया।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

प्रशासन : प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्र, प्रांतीय और ग्राम प्रशासन नामक तीन विभाग थे। राजस्व, न्याय और सेना प्रशासन भी थे। केंद्र सरकार में सुलतान ही प्रशासन का मुख्य अधिकारी माना जाता था। मंत्रिमंडल को 'मज्लिस-ए इल्वित' नाम से पुकारा जाता था। उच्च अधिकारी जैसे सेनापति, उलेम, अमीर (पद) ये सब सुलतान के मित्र-संबंधी ही हुआ करते थे।

मुहम्मद गवान ने राज्य में पहले जो चार 'तरफ (प्रांत) थे उन्हें आठ घटकों में विभाजित किया। प्रांतों को 15 सरकारों में विभाजित किया गया था। सूबेदार नामक अधिकारी, सरकार में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। सरकार को परगना में बाँटा गया था। कोतवाल, देशमुख और देसाई नामक अधिकारी, परगना के मुख्य अधिकारी होते थे। प्रशासन के आखिरी इकाई ग्राम थे,जहाँ पटेल, कुलकर्णी और चौकीदार नामक अधिकारी थे। ग्राम की प्रशासनिक इकाई स्वायत्त संस्था होती थी।

राजस्व, सैन्य और न्याय प्रशासन : अमीर-ए-जुम्लारु राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी थे।भूमि पर लगाये जानेवाला कर राज्य की आमदनी का मूल स्रोत था। किसानों से उनके फसलों के कुल उपज का एक तिहाई ($\frac{1}{3}$) से आधाभाग ($\frac{1}{2}$), भूमि कर के तौर पर वसूल किया जाता था। मकान, खनन, तंबाकू, घास के लंबे-चौड़े खेत और व्यापार,

व्यवसायिक कर को मिलाकर 50 भिन्न-भिन्न तरह के कर थे। कर के रुप में जो धन लोगों से वसूला जाता था उससे राजमहल, युद्ध, रक्षक, भवन और किलों का निर्माण में उपयोग किया जाता था ।

बहमनी राज्य अपनी सैनिक शक्ति के बल पर चलता था। सेना पर अत्यधिक खर्च किया जाता था। इस राज्य में चार विविध वर्ग की सेनाएँ थीं। स्थायी सेना, युद्ध काल में नियुक्त किये जानेवाले सैनिकों की फौज, धर्मयुद्ध के लिए बनायी गई सेना सैन्य बल, सुलतान और किलों की रक्षाबल, पैदल सेना, अश्वदल, गजदल और तोपखाना सेना के प्रमुख विभाग थे। आदिलशाही के राज्य के अनेक किलों में बिजापुर के किले अधिक मजबूत थे।

सुल्तान राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश थे । वह रीति-रिवाज, परंपरा और इस्लाम धर्म के अनुसार न्याय पालन करता था। खाजी वर्ग और वरिष्ठ अधिकारियों का समूह सुल्तान को न्याय-फैसला करने के काम में सहयोग देते थे। इनके दक्ष प्रशासन के कारण आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में राज्य प्रगति कर पाया था।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाएँ :

कृषि ग्रामीण जीवन का मुख्य उद्योग था। बुनकर वर्ग, चीनी और गुड़ तैयार करना, सूत कताई, कपड़े बुनना,मोची(चमार वर्ग) बढई वर्ग, कुम्हार, सुनार और मूर्तिकारिता, शिल्पकला आदि उद्योग अस्तित्व में थे।

धाभोल, राजापुर, चोल और गोवा में बंदरगाह थे। रेशम, शराब, सोना,चाँदी, तांबा, वंग,सीसा, काँच और घोड़ों को प्रमुख रूप से आयात किया जाता था। व्यापार और नौकरी-पेशों से संबंधित संघ-संस्थाएँ अस्तित्व में थी। 'होन्नु' नामक सोने का सिक्का, लारी, टंक नामक चाँदी के सिक्के अस्तित्व में थे।

आपको यह ज्ञात रहे :
यूसुफ आदिल शाह की पत्नी बीबिजी खानुम, दिलश आगह चाँद बीबी, शहर बानु बेगम इस राज घराने की प्रख्यात महिलाएँ थीं।

समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था अत्यधिक थी जिसमें पितृप्रधान परिवार ही अधिक थे। जाति पद्धति और बहुपत्नित्व अपनाने की प्रथा प्रचलित थी। भक्तिपंथ के हरिदासों ने और मुस्लिम सूफी संतों ने, दोनों समुदाय में प्रेम और सौहार्दता की भावना को फैलाने का प्रयत्न किया था। मुस्लिम समाज में सुन्नी, शिया, सय्यद, शेख और पटान अलग-अलग वर्ग थे। मुस्लिम स्त्रियों में परदा पद्धति की प्रथा अस्तित्व में थी।

शिक्षा, कला और वास्तुशिल्प :

इनकी शैक्षणिक नीति इस्लाम संस्कृति का विकास था। 'मक्तब' नामक विद्यालय थे। ये मस्जिदों के नियंत्रण में थीं। मक्तब में अक्षर ज्ञान, धर्म, कानून, काव्य और अलंकारशास्त्रों का अध्यापन कराया जाता था। मदरसा उच्च शिक्षा के केन्द्र थे। मुहम्मद गवान स्वयं एक विद्वान थे। वे इस्लाम और कानून की शिक्षा की प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा (मदरसा) महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह करीब 242 फुट लंबा और 222 फुट चौड़ा, 56 फुट ऊँचा भवन था। यह तीन मंजिला भवन दक्खनी शैली का भव्य इमारत है। यहाँ 3000 हस्त प्रति लिपियों का ग्रंथालय भी था। यह भवन विद्यार्थियों, अध्यापकों और धार्मिक लोगों के लिए ठहरने का स्थान था। यहाँ खगोलशास्त्र, व्याकरण, गणित, दर्शन, इतिहास और राजनीति शास्त्र का अध्ययन भी कराया जाता था।

बहमनी सुल्तानों ने इण्ड़ो सार्सनिक शैली के वास्तुशिल्प का विकास किया। अलि आदिल शाह (प्रथम) द्वारा निर्मित जामिया मस्जिद इस काल में भी एक प्रमुख स्मारक है। इब्राहिम रोजा, गोलगुंबद,गगनमहल, असारा महल इनकी प्रमुख स्मारक हैं। इन स्मारकों से आदिलशाही विश्वविख्यात हुए थे। विश्व की श्रेष्ठ इमारतों में विजयापुर में स्थित गोलगुम्बज एक है। गोलगुम्बज का क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट है। इसके चार कोनों में सात मंजिला प्रत्येक मीनार है। इसके बीच में बृहत आकार का गुंबज है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

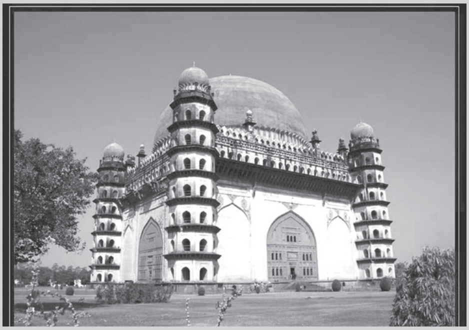

गोलगुंबज

गोलगुंबज : हमारे कर्नाटक राज्य के विजयपुर में गोलगुंबज है। इसे मुहम्मद आदिलशाह ने बनाया था। इस इमारत का निर्माण कार्य 1626 में प्रारंभ होकर 1656 ई. में समाप्त हुआ था। इसकी ऊँचाई लगभग 51 मीटर है। इसी इमारत में विशाल गुंबज हैं। चार गुंबजों के नीचे चार स्तंभ हैं। इन स्तंभों में ऊपर चढ़ने के लिए सीढियाँ बनाई गयी है। गुंबज के गोलाकर दीवार के पास बहुत धीमी आवाज.में यदि बात की जाये तो दूसरे कोने में कान लगाकर आवाज.सुनी जा सकती है। यही इस इमारत की सबसे बड़ी विशेषता है। यह भारत का अत्यंत बडा गुंबज भी है।

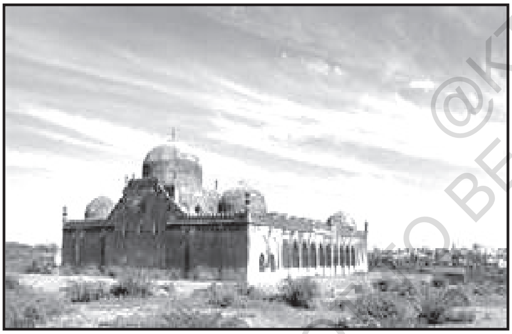

जामिया मस्जिद

बीदर का किला

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का वर्ष ______________ था।
2. मधुराविजय की कवयित्री ______________ थी।
3. प्रौढदेवराय का मंत्री ______________ था ।
4. अमुक्तमाल्यद आकृति को तेलुगु में लिखने वाला तेलुगु का राजा ________ था।

5. बीदर में मदरसे का निर्माण ______________ ने किया।

6. 'किताब-ए-नवरस' का लेखक ______________ था।

II. सहपाठियों के साथ निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करके उत्तर दीजिए :

7. विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले चार शाही राजवंशों के नाम बताइए.

8. द्वितीय देवरायण की उपलब्धियाँ क्या हैं?

9. सत्ता में आने पर कृष्णदेवराय के सामने आने वाली समस्याओं को लिखिए।

10. अर्थव्यवस्था और समाज में विजयनगर का क्या योगदान है?

11. विजयनगर काल की कला और वास्तुकला के बारे में लिखिए।

12. मोहम्मद गवान बहमनी राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रधान मंत्री थे । कैसे ?

13. बहमनी सुल्तान के प्रशासन और राजस्व व्यवस्था को बताइए।

14. बहमनी सुल्तान की शिक्षा, कला और वास्तु शिल्पकला का वर्णन कीजिए।

III. गतिविधियाँ :

1. हंपी के विविध स्मारकों के चित्रों का संग्रह कीजिए।

2. हंपी में स्थित महानवमी टीले में विजयदशमी मनाने के बारे में विविध ग्रंथों का अध्ययन कीजिए।

3. तेनाली रामाकृष्ण की कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुनिए और लिखिए।

IV. परियोजना कार्य :

1. हंपी नगर का दौरा करके वहाँ के स्मारकों के बारे लिखिए।

2. हंपी में विजयनगर काल की बाजार की व्यवस्था के बारे में निबंध लिखिए।

***

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

राजनीतिक शास्त्र

अध्याय 5

हमारा संविधान

P4E8L5

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानते हैं।

- संविधान की रचना, संविधान की प्ररूप समिति
- संविधान की प्रस्तावना।
- संविधान के लक्षण।
- मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

आप को जानकारी रहे

कैबिनेट नियोग:

लॉर्ड पेथिक लारेन्स - भारत के व्यावहार सचिव

सर स्टाफोर्ड क्रिप्स - वाणिज्य निगम के अध्यक्ष

ए.वी.अलेक्जेंडर - नौकासेन के प्रमुख रहे।

स्वतंत्रता के बाद भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पडा। उनमें मुख्य रूप से पाकिस्तान से स्थानातंरित निराश्रितों को पुनर्वास की व्यवस्था करना, संस्थानों का विलीनीकरण और देश के लिए सशक्त संविधान व कानून की रचना था। सरदार पटेल जी ने बडी सफलता से इस का निर्वाह किया। देश के व्यवस्थित प्रशासन के लिए कानून की आवश्यकता के संदर्भ में समर्थ संविधान की आवश्यकता थी। इसकी रचना भली भाँति की गयी संविधान की रचना, उसके लक्षण और उसमें इस प्रस्ताविक मूलभूत अधिकार, कर्तव्य और राज्य नीति के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

भारतीय संविधान रचना सभा: किसी भी राष्ट्र में सरकार कुछ मूलभूत सिद्धांतों और नियमों के अनुसार प्रशासन का प्रबंध करती है । इन सिद्धांतों और नियमों को जोड़कर संविधान कहा जाता है। संविधान एक राष्ट्र का मूलभूत कानून है । संविधान की रचना से संबिधित मोतीलाल नेहरू समिति की सिफारिश तथा के राष्ट्रीय काँग्रेस के करांची अधिवेशन के निर्णय प्रेरक तत्व थे। कैबिनट नियोग के सिफारिश के अनुसार सन् 1946 जुलाई में संविधान रचना सभा की रचना की गई ।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

नूतन संविधान - रचना

कैबिनेट :

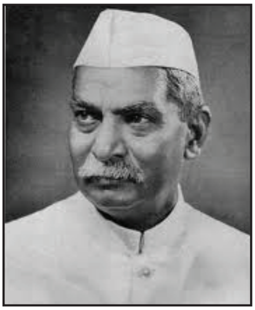

डॉ. राजेंद्र प्रसाद

यह बैठक दिसंबर 9, 1946 में हुई। 11 दिसंबर, 1946 को समारोह की अध्यक्षता डॉ.बी.आर अंबेडकर, डाँ.राजेंद्रप्रसाद ने की। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डाँ.बी.आर अंबेडकर, मौलाना अबुलकलाम आजाद, सी.राजगोपालाचारी, के.एम, मुंशी, टी.टी कृष्णमचारी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, कर्नाटक के एस.निजलिगंप्पा, के.सी.रेड्डी, केंगल हनुमंतय्या, टेकूरू सुब्रह्मण्यम, आदि ने भाग लिया था।

प्रारूप रचना समिति :

डॉ. बी.आर. अंबेडकर

संविधान की रचना सभा में राष्ट्रीय विषयों का विस्तृत अनुशीलन करने हेतु 22 समितियों और 5 उपसमितियों की रचना की । इन में प्रमुख थी - रुपरेखा समिति । डॉ. बी. आर. अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने थे । इनके द्वारा संविधान की रचना के लिए दी गयी देन के आधार पर इन्हें 'संविधान शिल्पी' कहा गया है । इस समिति में एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के एम्.मुन्शी, टी. टी. कृष्णमाचारी आदि विशेषज्ञ थे ।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

आप को याद रहे:

बी.एन्. राव

- सन् 1929 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहोर अधिवेशन में भारत पूर्ण स्वराज्य निर्णय को अंगीकार किया गया । इस निर्णय के अनुसार 1930 जनवरी 26 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। इसके स्मरणार्थ जनवरी 26, 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया ।
- कर्नाटक के बेनगल नरसिंहराव जी संविधान रचना सभा के मुख्य सलाहकार थे। इन्होंने नीदरलैंड के दि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा किया है । जम्मू और कश्मीर देशीय संस्थान के प्रधानमंत्री थे, हमारे लिए गर्व की बात है कि ये कर्नाटकवाले है ।
- संविधान दिवस - नवंबर 26 को भारत के संविधान को अंगीकार किया गया, उस दिन को सन् 2015 से संविधान दिन के रूप में मनाया जाता है ।

संविधान की रचना :

संविधान रचना सभा के रचना कार्य की पूर्ति में 145 दिन लगे । इस समितियों ने लगातार कार्य कर इस विषय पर चर्चा की गई और संविधान का प्रारुप तैयार की। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू 1909,1919 तथा 1935 के अधिनियम, ब्रिटन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिका के बिल ऑफ राइटस के सामाजिक निर्देशांक तत्वों को अपनाने का निर्णय लिया जो अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत होकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ । इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ।

संविधान की प्रस्तावना (पूर्व प्रस्तावना) :

भारतीय संविधान की अपनी ही प्रस्तावना है, जिसे विश्व के कई संविधानों से सर्वोत्तम तत्वों का चयन करके बनाया गया है । इस प्रस्तावना में संविधान के मूलतत्व, विचार धारा, योग्यता, आदि सम्मिलित है । संविधान की रूप रेखा, मूल्य, सिध्दांत उद्देशों का सारांश संविधान की प्रस्तावना में है । यह हमारी आकांक्षाओं का द्योतक है। इसमें आदर्श तत्व है ।

यह प्रस्तावना दिसंबर 13, 1946 को नेहरु द्वारा प्रस्तावित 'ध्येयों का निर्णय' (Objective Resolution) को संविधान की रचना सभा जनवरी 22, 1947 को स्वीकार की गई । उस वक्त अभी देश का विभाजन नहीं हुआ था । 1947 अगस्त में स्वतंत्रता के बाद इन उद्देशों में थोडा परिर्वतन करके अनुमोदित कर लिया गया । इस निर्णय में स्वातंर्त्य, गणराज्य, नागरिकों का परमाधिकार सम्मिलित है । जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय दिलाने के बारे में कहा गया है ।

हमारे संविधान की प्रस्तावना अत्यंत अर्थपूर्ण है । यह देश की राजनैतिक पध्दति के चित्रण को दर्शाता है । यह संविधान की मार्गदीपिका है । कुछ लोग इसे संविधान का आभूषण कहते है तो के. एम. मुंशी ने इसे राजनैतिक कुंडली कहा है ।

संविधान की प्रस्तावना के मुख्यांश :

1. हम भारत के लोग (We, the people of India) **:** प्रस्तावना में उल्लेखित सिद्धांत संविधान के सोच को बिंबित करता है । हम भारत के लोग इससे शुरू होने प्रस्तावना महत्वपूर्ण है। संविधान रचना सभा के सदस्यों ने संविधान की रचना की, फिर भी यह इंगित करता है कि रचना अधिकार को भारत के लोगों से ही पाया गया है ।

2. संपूर्ण प्रभुत्व (Sovereignty) **:** संपूर्ण प्रभुत्व ही स्वतंत्र राष्ट्र का जान है । विश्व के किसी भी राष्ट्र के तनाव में न आकर संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र होने के नाते भारत अपना ही आंतरिक नीति और विदेशांग नीति की रचना की है। यह देश के संपूर्ण प्रभुत्व को दिखाता है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

भारत का संविधान

प्रस्तावना

'हम भारत के लोगों ने, भारत को एक
[सार्वभौम, समाजवादी, सर्वधर्म समभाव का
प्रजासत्तात्मक गणराज्य के बनकर]
रचना करने के लिए और समस्त नागरिकों
के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय;**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म-श्रद्धा
और उपासना की **स्वतंत्रता;**
ओहदा तथा अवसर की **समानता;**
प्राप्त कराने के लिए और व्यक्ति के गौरव को
[राष्ट्र की एकता और अखंडता]
सुनिश्चित करके उनमें बंधुत्व की
भावना बढ़ाने के लिए श्रद्धापूर्वक संकल्प करनेवाले होकर;
हमारी संविधान, सभा में 1949 नवंबर 26 तारीख के
इस दिवस संविधान ग्रहण करके
अधिनियमित करके समर्पित कर लिया हैं।'

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. समाजवादी (Socialism) **:** संविधान के आशय के अनुसार समाजवादी परिकल्पना को प्रस्तावना में जोड़ा गया है । भारत को सुखी और समाजवादी राष्ट्र बनाना संविधान का प्रमुख लक्ष्य है । इससे यह जान सकते हैं कि लोकतंत्र के ज़रिये समाजवादी को लघू कर सकते हैं ।

4. धर्मनिरपेक्षता (Secularism)**:** धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों को समान रूप से देखना । जवाहरलाल नेहरू का अभिप्राय यह था कि धर्मनिरपेक्षता केवल लौकिक जीवन से न संबंध रखते हुए आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है । कुल मिलाकर सर्वधर्म समभाव नीति कटा पालन करना ही धर्म निरपेक्षता है ।

5. लोकतंत्रात्मकता (Democratic)**:** लोकतंत्र सरकार का एक रूप है। प्रो. जॉन रॉबर्ट सीले के अनुसार ''सभी के लिए होनेवाला सरकार ही लोकतंत्रात्मकता है। भारत में भी लोकतंत्र है । लोगों के द्वारा सार्वत्रिक चुनाव में चुने प्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है । जनता जनार्दन की सरकार ही लोकतंत्रात्मकता है ।

6. गणतंत्र (Republic)**:** गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का मुखिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। हालाँकि इंग्लैंड एक लोकतंत्र राष्ट्र होकर भी गणतंत्र राष्ट्र नहीं है । क्योंकि इंग्लैंड के राजा/ रानी, जो वंशानुगत आते हैं । भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया जाता है ।

7. न्याय (Justice)**:** न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के चार स्तंभ है। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना ही संविधान का मुख्य उद्देश्य है । 'अधिकारिक तौर पर जो मिलता है, उसे पाना ही न्याय है' ।

8. स्वतंत्रता (Liberty)**:** दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना अपने अधिकारों का निरंतर उपभोग करना ही स्वतंत्रता है । प्रस्तावना में विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म-श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान लोकतंत्र की श्रेष्ठता का प्रमाण है । सभी के सर्वतोमुखी विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र अकल्पनीय है ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

9. समानता (Equality): समानता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी स्वतंत्रता, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। धर्म, जाति, लिंग, रंग या वास-स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही समानता है । सभी को समान दर्जा और समान अवसर देना ही इसका आशय है ।

10. बंधुत्व (Fraternity): व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बंधुत्व आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवित सभी लोग, बड़ा-छोटा, अमीर-गरीब, गोरा-काला जैसे अमानवीय भावनाओं को विकसित किए बिना जीना ही बंधुत्व है । सभी में भाईचारे की भावना होना ही बंधुत्व है। व्यक्ति के लिए आदर और सम्मान आवश्यक है। इसलिए किसी तरह के भेद-भाव नहीं करना चाहिए ।

11. राष्ट्र की एकता और अखण्डता (Unity and Integrity): भारत में विभिन्न जाति-धर्मों के लोगों के साथ एकता बनाये रखने की आवश्यकता महसूस की गई । भारत, जो राज्यों का एक संघ है, उसमें एकता बनाये रखने के लिए एकल नागरिक व्यवस्था है।

तदानुसार राष्ट्र में भावैक्य विकसित करने के लिए राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करने जैसे 11 मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है । जो सभी भारत के नागरिकों के बीच एकता और भावैक्य को बढ़ावा देता है। और याद दिलाता है कि राष्ट्र के निर्माण में लोगों की भी जिम्मेदारियाँ हैं ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भारत संविधान के प्रमुख लक्षण:

लिखित और बृहत् संविधान : भारत का संविधान बृहत और लिखित रूप में है। सरकार के जो अंग है शासकांग कार्यांग न्यायांग की रचना अधिकार कार्यसीमा आदि का लिखित आधार है। मूलभूत अधिकार कर्तव्य,राज्य निर्देशकतत्व लिखित रूप में हैं। हमारे संविधान में मूलत: 22 अद्याय 8 अनुसूचि और 395 विधियाँ थी। कालांतर में अनेक परिष्करणों के कारण 25 अध्याय 12 अनुसूचि और 470 से भी ज्यादा विधिवाला बृहत संविधान बना है।

अंशत: नम्य - अंशतः अनम्य संविधान: किसी भी देश का संविधान आसानी से परीष्करण किया जाता हो उसे नम्य अथवा सरल संविधान कहते हैं। संविधान को परिष्करण करने हेतु विशेष विधान जहाँ अपनाया जाता हो वह अनम्य अथवा कठिन संविधान कहलायेगा। भारत का संविधान ज्यादा कठिन भी नहीं ज्यादा सरल भी नहीं परंतु मिश्र गुणवाला है।

संसदीय सरकार पद्दति: हमारा संविधान संसदीय सरकार पद्दति को अवसर प्रदान किया है। लोगों से निर्वाचिंत संसद को परमाधिकार प्राप्त है। केंद्र और राज्यों में कार्यांग शासकांग पर निर्भर रहता है। मंत्रिमंडल शासकांग के विश्वास पर टिका रहता है। शासकांग का विश्वास खोते ही इस्तीफा देना पडता है।

लोकतंत्र व्यवस्था: लोकतंत्र व्यवस्था में राष्ट्र के प्रमुख का चयन प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन द्वारा किया जाता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से चुना जाता है । लोकतंत्र शब्द हि यह सचित करता है कि भारत पर किसी वंशानुगत राजा या रानी का शासन नहीं है ।

संघीय व्यवस्था: भारत में विविध प्रकार की भाषा, जाति जनसमूह विशाल भू प्रदेश होने के कारण संविधान में संयुक्त पद्दति को मौका दिया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से अधिकार का वितरण हुआ है। (केंद्र सूचित में 100 विषय राज्यसूचि में 61 विषय और समवर्ति सूचि में 52 विषयों के रूप में अधिकार का विभाजन हुआ है।) इन सरकारों के बीच उत्पन्न विवादों का हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है।

मूलभूत अधिकार: संविधान के द्वारा लोगों को प्रत्यक्ष रूप में प्रदत्त अधिकार ही मूलभूत अधिकार हैं। इन अधिकारों को देश के कोई भी कानूनी क्रम से केंद्र राज्य सरकार अथवा कोई भी अधीन संस्था के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। मूलभूत अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तब सर्वोच्च अथवा उच्य न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकते है। ऐसे मूल अधिकारों को संविधान के तीसरे अध्याय में अपनाया गया है। वे हैं, लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार शोषण के विरुध्द का अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संविधान उपचारात्मक अधिकार नामक छः अधिकार देख सकते हैं। इन अधिकारों की रक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय पर है। इसलिए सर्वोच्च न्यायलय को ''मूलभूत अधिकारों का रक्षक'' कहा जाता है।

मूलभूत कर्तव्य: अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। सन् 1976 के 42 वें संविधान परिष्कृत अधिनियम द्वारा के हमारे संविधान के 4 वीं के 'ए' अध्याय में 51 'ए' विधि में 11 मूलभूत कर्तव्यों को अपनाया गया है। 2002 में संविधान के 86 वा परिष्करण के द्वारा 6 से 18 साल की उम्र की सभी बच्चे और पोषकों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करनेवाला 11 वें कर्तव्य को भी सम्मिलित किया गया है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

राज्य निर्देशक तत्व: हमारे संविधान के चौथे अध्याय में राज्य निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। इन्हें ऐरिष (आयरलैंड देश का) संविधान से लिया गया है । सामाजिक और आर्थिक बुनियादि की स्थापना में ये सहायक है। सरकार के द्वारा इनका संचालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय में प्रश्न नहीं कर सकते। फिर भी ये तत्व देश के प्रशाशन के मूल नियम कहलाते हैं। कानून की रचना करके इन्हें जारी करते वक्त सरकार को इनके बारे में अधिक ध्यान देना चाहिए।

स्वतंत्र और केंद्रीकृत न्यायांग व्यवस्था: हमारे न्यायांग में स्वतंत्र और केंद्रीकृत व्यवस्था है। नागारिकों के अधिकारों की रक्षा करके निर्भिकता से काम करने की स्वतंत्र न्यायालयों को प्रदान किया गया है। शासकांग और कार्यांग न्यायांग के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊँचा है। उसके अधिक में उच्च न्यायालाय और इतर अधीन न्यायालय कार्य करते हैं।

एक नागरिकता: लोगों में संकुचित प्रांतीय मनोभावना को नियंत्रण करके राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में पैदा हो, किसी प्रदेश में निवास करता हो, सबको मतदान का अधिकार दिया गया है। यह परमाधिकार का संकेत है।

सार्वभौमिक वयस्क मतदान पध्दति: हमारे संविधान में वयस्क मतदान पध्दति को अवसर प्रदान किया गया है। कोई भी भेद-भाव के बिना 18 वर्ष से अधिक सब नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। यह परमाधिकार का संकेत है।

द्विसदन शासकांग: भारत के शासकांग को संसद कहते हैं। इस संसद द्विसदनीय पद्धती से युक्त है। निचला सदन (लोकसभा) उच्च सदन (राज्यसभा) होते हैं।

दलीय पद्धति: राजकीय प्रक्ष लोकतंत्र की बुनियाद मानी जाती है। भारत में अनेक प्रकार के दल होने के कारण बहुदलीय पद्दति आस्थित्व में है। सार्वात्रिक निर्वाचन में बहुत प्राप्त दल अधिकार चलाता है तो दूसरे दल विपक्ष का स्थान ग्रहण करते हैं।

मूलभूत अधिकार और कर्तव्य: व्यक्तित्व विकसन की सहायता करनेवाले राजनैतिक और समाजिक वातावरण को मूलभूत अधिकार कहा जाता है। समाज में मानव नागरिक जीवन बिताने के लिए मूलभूत अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र के विकास में

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

मूलभूत अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र के विकास में मूलभूत अधिकार अपना योगदान देते है। संविधान के तीसरे अध्याय में 7 मूलभूत अधिकारों को लागू किया गया है। लेकिन 1978 में लागू की गए संविधान के 44 वा परिष्करण के कारण जायदाद के अधिकार को रद्द किया गया है। प्रस्तुत में 6 मूलभूत अधिकार मात्र हैं।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इसकी जानकारी आपको रहे:

- 1895 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों के लिए आग्रह किया।
- 1895 में बाल गंगाधर तिलक अपने 'स्वराज्य बिल' में अधिकारों के लिए आग्रह किया।
- 1925 में डॉ. एनीबेसेंट 'कामन वेल्त ऑफ इंडिया' बिल में व्यक्ति स्वातंत्रता, आत्म साक्षी की स्वतंत्रता, वाक स्वातंत्रता कानून के सामने सब समान विचारों को प्रतिपादन किया।
- 1946 का कैबिनेट मिषन मूलभूत अधिकारों का समर्थन किया।
- संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 'A' के तहत एक वैधानिक अधिकार है।

समानता का अधिकार: लोकतंत्र में सफलता पाने के लिए इस अधिकार का होना अत्मावश्यक है। शासनात्मक रूप से सामाजिक, आर्थिक रूप से समानता प्रदान की गयी है। कानून के सामने सब समान हैं। कानून से बढकर कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति को कानून के अधीन में रहना पडता है। जाति, धर्म, लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेद-भाव नहीं कर सकते। सार्वजनिक स्थान, होटेल, दुकान, मनोरंजन के स्थान मंदिर आदि स्थानों में किसी व्यक्ति का प्रवेश निषेध करना नहीं चाहिए। सरकारी नौकरी में हर एक को समानता का अवसर दिया गया है। छुआछूत का आचरण नहीं करना चाहिए।

स्वतंत्रता का अधिकार: मूलभूत अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के अंतर्गत बोलना और अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया गया है। शस्त्ररहित शांति से बैठक चलाने, संघ संस्थाओं की स्थापना करने, भारत में सैर करने, निवास करने, किसी भी वृत्ति को चुनने की स्वतंत्रता दी गयी है। नागरिकों के लिए यह रक्षणात्मक अधिकार है। सकारण रहित किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। किसी भी कानून के द्वारा व्यक्ति की स्वातंत्रता का हरण नहीं किया जाता।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

शोषण के विरुध्द का अधिकार: यह अधिकार किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है । इस अधिकार का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण से बचाना है। इस अधिकार के तहत जबरन मज़दूरी को निषिद्ध किया गया है। इस अधिकार के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखाना खनन आदि हानिकारक कामों पर नियुक्त नहीं कर सकता।

ज्ञात रहे :

- शोषण को रोकने केलिए केंद्र सरकार ने कई अधिनियम बनाए है।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948
- अनैतिक व्यापार पर रोक अधिनियम 1956
- दहेज निषेध अधिनियम-1961
- दासता का उन्मूलन अधिनियम, 1976
- सति निषेध अधिनियम -1987
- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993
- पारिवारिक हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया है। नागरिक अपनी आत्मसाक्षी के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार करने पालन करने और प्रचार करने का अधिकार और स्वतंत्रता रखता है। धार्मिक संस्थाओं के निर्वहण के लिए कर वसूल नहीं किया जा सकता। धार्मिक संस्थाओं को उपयोग राजनैतिक उद्देशयों के लिए नहीं किया जा सकता।

सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार: देश में रहनेवाले नागरिकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को विकसित करने और संरक्षण करने का अधिकार है । किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, उपजाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या वित्त पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को स्वयं अपना ही शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचलित करने का अधिकार है । धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए इस अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है ।

आपको ज्ञात रहे :

संविधान के 86 वाँ परीष्करण करके 21 'ए' विधि के अनुसार 2002 में शिक्षाप्राप्ती को अधिकार के रूप में गणना की गयी है। इस के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा ही नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। कर्नाटक राज्य ने शिक्षाधिकार कायिदा (आर. टी. इ. 2009) को जारी किया है।

संविधान उपचारात्मक अधिकार: मूलभूत अधिकारों की रक्षा का अवसर संविधान की 32वीं विधि में दिया गया है। संविधान का यह एक विशेष लक्षण है। इसलिए डॉ. बी.आर. अंबेडकर इस अधिकार को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहते है। मूलभूत अधिकारों की हानि किसी व्यक्ति, केंद्र अथवा राज्य सरकार से होती है तो उनकी रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को 'मूलभूत अधिकारों का रक्षक' कहा जाता है। न्यायालय मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए हुकमनामा आवेदन निम्नलिखत अंशो पर ले सकता है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ए) बंदी प्रत्यक्षीकरण: बिना कारण किसी व्यक्ति को पुलिस बंद बनाती है तो उसके प्रति कोई भी रिहाई के लिए हुक्मनामा आवेदन कर सकते हैं। बंधित व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर न्यायालय के सामने हाजिर कराना होता है। (क्रिमिनल अपराधों के लिए यह हुकुमनामा आवेदन लागू नहीं होता)

बी) परमादेश: किस भी अधिकारी अपने अधिकारों को चलाने से इनकार करेगा अथवा सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने से इनकार करेगा और कोई अधीन न्यायलय अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करेगा तो उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जानेवाला आदेश परमादेश है।

सि) निषेधाज्ञा: यह भी न्यायालय से संबंधित हुक्मनामा आवेदन है। अधीन न्यायालय अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर न्यायिक जाँच न करना अथवा निर्णयन देने के प्रति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जानेवाला आदेश निषेधाज्ञा कहलाता है।

डी) उत्प्रेषण लेख (सर्षियोररी): इस प्रकार के हुक्मानामा के प्रकार अधीन न्यायालय अपनी अधिकार सीमा को पार करके फैसला देती है तो उसे रद्द करके तत्संबंधित मुकद्दमा को संबंधित न्यायालयों में रवाना करने के लिए अधीन न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला आदेश पत्र उत्प्रेषण लेख कहलाता है।

इ) को-वारंट (आज्ञापत्र): कोई भी व्यक्ति गैर कानून से सरकारी पद को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालयों में प्रश्न करने को-वारेंट कहा जाता है।

जनहित याचिका (PIL - Public Interest Litigation) सामाजिक रूप से जो नष्ट होते हैं ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए अथवा सार्वजनिक हित से संबंधित मुकद्दमा (Public Interest Litigation) चलाया जाता है। शासनीय अधिकार, जीवनावश्यक प्राप्त करने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सुरक्षा अधिकार, सम्मानित जीवन यापन से संबंधित विषयों पर मुकद्दमा चलायी जा सकती है। संघ संस्था, व्यक्ति आम तौर पर ये याचिकाएँ सर्वोच्च्च न्यायालय और उच्च्च न्यायालयों में दायर कर सकते हैं । आजकल समूह माध्यमों के आधार पर न्यायालय स्वयंप्रेरित होकर सार्वजनिक हित संबंधी मुकद्दमा को चलाता है।

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

मूलभूत कर्तव्य:

अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। कर्तव्य रहित अधिकार का कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। 1976 में संविधान के 42 वा परीष्करण करके 4 'ए' अध्याय 51 'ए' विधि में 10 मूलभूत कर्तव्यों को मिलाया गया है। 2002 में 86 वा संविधान के परिष्करण के अनुसार 11 वा मूलभूत कर्तव्य को भी मिलाया गया है। वे निम्नलिखित है।

1. संविधान, राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रगीत को गौरव देना।
2. स्वतंत्रता संग्राम के स्पूर्तिदायक आदर्शतत्वों का पालन करना।
3. भारत की ऐक्यता और अखंडता की रक्षा करना।

क्रियाकलाप :
राज्य में मानवाधिकार आयोग के बारे में जानकारी एकत्र करें और समाचार मीडिया में मानवधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानें।

4. जरूरत पडने पर राष्ट्र की रक्षा करना, सेवा करना।
5. भारतीयों में समरसता भ्रातृत्व विकास करना और स्त्रीयों के गौरव को बाधित करने वाले अनुष्ठानों को छोड देना चाहिए।
6. हमारा संघटित संस्कृति और परंपरा का गौरव रखना, उसकी रक्षा करना।
7. वन, सरोवर, नदी और वन्य मृगों की सहित प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा और विकास करना तथा जीवित जानवारों के प्रति सहानुभूति रखना।
8. वैज्ञानिक और मानवतावादी गुणों की जाँच और सुधार की भावना विकसित करें।
9. सार्वजनिक जायदाद की रक्षा करना और हिंशा मार्ग को त्याग करना चाहिए।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों में निपुणता का प्रदर्शन करना राष्ट्र प्रगति के लिए प्रयास करना।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

11. पिता अथवा अभिभावक 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र तक अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करना।

मूलभूत अधिकारों की तरह मूलभूत कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा सुरक्षा नहीं मिलती कर्तव्यों का उल्लंघन करनेवालो को कानून के अनुसार दंडित किया जाता है।

चर्चा किजिए :
अगर हम मौलिक अधिकारों का आनंद लेना चाहते हैं। तो हमें इससे ज्यादा मौलिक कर्तव्यों का पूरा करना होगा।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत : सुखी राज्य परिकल्पना से राज्य निर्देशक तत्व को संविधान में अपनाया गया है। ये तत्व राज्य सरकार के द्वारा निर्वाहण किये जानेवाले कार्यक्रम ों की मार्गसूची कहलाते है हमारे संविधान के रचनाकार ऐरिष संविधान से प्रभावित होकर (सामाजिक निर्देशक तत्व) संविधान में लागू किये है। राज्य के निदेशक तत्व, केंद्र और राज्यों के निदेशन के स्वरूप में है। सरकार नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक न्याय दिलाने के उद्देश से काम करता है। परंतु वे नैतिक बुनियादि तत्वों पर आधारित होते है। सरकार इन्हे (केंद्र - राज्य, स्थानीय) कार्यरूप में नहीं लाता है तो न्यायलय में प्रश्न नहीं कर सकते। ये तत्व समाजवादी उदारवादी और गाँधीवाद के तत्वों से बने है। कोई भी दल हो, व्यक्ति हो, अधिकार प्राप्त करने पर इन तत्वों को ध्यान में रखकर प्रशासन चलाना है। इसलिए इन को मार्गसूची तत्व भी कहते है।

1. सब नागरिकों की जीविका के आवश्क सुविधाओं को प्रदान करना।
2. सामुदायिक संपत्ती और उत्पादन संसाधन को कुछ ही लोगों के कब्जें में होने को रोकना।
3. स्त्री और पुरूषों को समान नौकरी समान वेतन प्रदान करना, कार्मिकों की योगक्षेम की रक्षा करना।
4. वृध्द, रोगी, दुर्बल वर्गी के लोग और असमर्थों की सहायता करना।

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

5. पूरे देश में एक रूप की नागीरकरण और कानून जारी करना।

6. छः वर्ष उम्र के सभी बच्चों को बालोद्यान और पाठ्शाला पूर्व शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करना।

7. ऐतिहासिक स्मारक स्थानों की रक्षा करना।

8. न्यायांग को कार्यांग से अलग करना।

9. अंतराष्ट्रीय शांति, और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए प्रोत्साहित करना ।

10. ग्राम पंचायतों की स्थापना करना।

11. ग्रामीण और गृहोद्योगों को प्रोत्साहित करना।

12. खेती और पशुपालन का वैज्ञानिक विकास करना।

13. मद्यपान निषेध करना।

14. वैज्ञानिक आधार पर खेतीबाड़ी का विकास करना।

राज्य निर्देशक तत्वों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सुखी जीवन का इसमें लक्ष्य होता है। मूलभूत अधिकार व्यक्ति से संबंधित है तो निर्देशक तत्व समुदाय से संबंधित है। उपर्युक्त तत्वों को केंद्र और राज्य सरकार जारी करने का प्रयास कर रहे है। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ये तत्व मार्गदर्शी हैं।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए :

1. राज्य में शासित होनेवाला मूल कानून ______________ है।
2. नूतन संविधान रचना सभा ______________ में हुई।
3. संविधान प्ररूप समिति के अध्यक्ष ______________ थे।
4. हमारे संविधान में ______________ सरकार पध्दति है।
5. हमारे संविधान में नागरिकों को ______________ नागरिकता का अवसर प्रदान किया गया है।
6. संविधान के उपचारात्मक अधिकार को ______________ वी विधि में लागू किया है।
7. राज्य निर्देशक तत्वों को ______________ संविधान से प्राप्त किया गया है।

II निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए:

8. नूतन संविधान रचना सभा के अध्यक्ष कौन थे?
9. संविधान को कब जारी किया गया?
10. भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या सम्मिलित है?
11. धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है?
12. हमारे संविधान के प्रमुख लक्षण क्या है?
13. संविधान में लागू किये हुए मूलभूत अधिकार कौन से है?
14. मूलभूत कर्तव्यों के बारें में लिखिए?
15. राज्य निर्देशक तत्व कौन-सा है?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

III क्रियाकलापः

1. संविधान रचना समिति में भाग लिये हुए प्रमुख व्यक्तियों के चित्र और विषयों का संग्रह कीजिए।

2. आप अपने मूलभूत अधिकारों की सूची बनाइए।

3. अपने मूलभूत कर्तव्यों की सूचि बनाइए।

4. पूरे देश में एक रूप की कानून की व्यवस्था जारी करने में होनेवाली असुविधाओं पर चर्चा कीजिए।

IV परियोजनाः

1. कक्षाध्यापक की सहायता से मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों के बारे में निबंध तैयार करके चर्चा कीजिए।

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

***

W5H8T8

अध्याय 6

केंद्र सरकार

इस अध्याय में निम्न लिखित अंशों की जानकारी पायेंगे।

- केंद्र शासकांग की राज्यसभा, लोकसभा, रचना, सदस्यत्व की योग्यता और कार्य।
- केंद्र कार्यांग- राष्ट्रपति का चयन, क्षमता और अधिकार।
- प्रधानमंत्री - मंत्रिमंडल की अधिकार एवं कार्य ।

पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया है कि भारत सार्वभौमिक प्रभुत्व, स्वतंत्र, सामाजवादी, धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणरज्य है। इंग्लैंड और फ्रान्स में एकात्मक सरकार है। भारत अमेरिका के संयुक्त सरकार की व्यवस्था को स्वीकार किया है। अर्थात केंद्र में केंद्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार है। भारत राज्यों का संघ है । अधिकार केंद्र और, राज्य सरकार के बीच संविधानात्मक रूप से विभाजित हुआ है। राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र सरकार को अधिक अधिकार प्राप्त है। उसे शासकांग, कार्यांग, न्यायांगों के द्वारा चलाता है।

केंद्र सरकार

- **शासनपालिका**
  - लोकसभा (निचला सदन)
  - राज्यसभा (उच्च सदन)
- **कार्यपालिका**
  - राष्ट्रीय अध्यक्ष
  - उपाध्यक्ष
  - प्रधानमंत्री
  - केंद्रीय मंत्रिमंडल
  - अटॉर्नी जनरल
- **न्यायपालिका**
  - सर्वोच्च न्यायालय
  - और
  - उच्च न्यायालय

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

केंद्र शासकांग : भारत में संसदीय सरकार पद्धति है। केंद्र शासकांग को संसद कहा जाता है। संविधान की 79 वीं विधि संसद रचना करने का अवसर प्रदान करती है। संसद में द्विसदन पद्धति होती है। उच्चतम सदन को राज्यसभा निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है।

राज्य सभा : राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। 238 सदस्य राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों से निर्वाचित होते हैं तो 12 सदस्य साहित्य कला, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष अनुभव प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित हैं। इसलिए इसे प्रौढ़ सदन भी कहा जाता है।

अधिकार अवधि : राज्य सभा स्थायी सदन है। लोकसभा की तरह इसका विसर्जन नहीं होता। लेकिन सदस्यों की अधिकार अवधि 6 वर्ष की होती है, हर 2 वर्ष की अवधि में हर वर्ष एक तिहाई सदस्य निवृत होते है। सदस्य अपने स्थान में आगे बढ़ना नहीं चाहते तो सभापति को अपना इस्तीफा (त्याग पत्र) दे सकते हैं।

सदस्यों की योग्यताएँ :

1) भारत का नागरिक होना चाहिए।
2) 30 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए।
3) लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए ।
4) न्यायिक दंड के अधीन नहीं होना चाहिए ।
5) मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो।
6) दिवालिया नहीं होना चाहिए ।
7) समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित योग्यता रखनी चाहिए ।

उपराष्ट्राध्यक्ष : उपराष्ट्राध्यक्ष राज्य सभा के सभापति होते हैं। सदस्यों में किसी एक को उपसभापति बनाया जाता है। सभा का अधिवेशन चलने के लिए $\frac{1}{10}$ भाग (न्यूनतम 25 सदस्य) उपस्थिति अनिवार्य है। इसे कोरम कहा जाता है । वर्ष में न्यूनतम 2 बार अधिवेशन चलना चाहिए। सदस्यों की माँग पर विशेष अधिवेशन चलाया जा सकता है।

लोकसभा : लोकसभा के सदस्य जनता से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते है। इसलिए इसे जनता सदन भी कहा जाता है। यहाँ कुल सदस्यों की संख्या 545 है। 543 सदस्य सार्वत्रिक निर्वाचन से चुने जाते हैं। अनुसूचित जातिवालों को 84 स्थान और अनुसूचित जनजातिवालों के लिए 47 स्थान आरक्षित किया गया है ।

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

संविधान के 106वाँ परिष्कृत अधिनियम (नारी शक्ति वंदना अधिनियम) के लागू होने के बाद लोकसभा की कुल स्थानों में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए।

2020 से पहले लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 थी, जिनमें से 543 सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने जाते थे। राष्ट्राध्यक्ष एंग्लो-इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकन करते थे, लेकिन 2020 के 104 वें संवैधानिक परिष्कृत अधिनियम के माध्यम से एंग्लो-इंडियन समुदाय से सदस्यों की नामांकन करने की प्रथा जारी नहीं रही । इस प्रकार प्रस्तुत लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है ।

अधिकार अवधि : लोकसभा की प्रशासन अवधि 5 वर्ष की होती है। अवधि से पूर्व प्रधानी की सुझाव पर राष्ट्रपति लोकसभा का विसर्जन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में इस अवधि को एक वर्ष तक विस्तरित किया जा सकता है।

सदस्यों की योग्यताएँ :

1) भारतीय नागरिक होना चाहिए।
2) 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
3) कोई सरकारी नौकरी में न हो।
4) मानसिक अस्वस्थ न हो।
5) दिवालिया नहीं होना चाहिए।
6) न्यायिक दंड के अधीन नहीं होना चाहिए।
7) समय - समय पर संसद के द्वारा निर्धारित योग्यता होनी चाहिए।

क्रिया कलाप : पाठशाला में युवा संसद स्पर्धा का आयोजन करके प्रधान मंत्री स्पीकर और विपक्ष नायक बनकर अनभुव प्राप्त कीजिए।

लोकसभाध्यक्ष : लोकसभा में से किसी एक को सभापति के रूप में (स्पीकर) और एक को उपसभापति (डेप्यूटीस्पीकर) के रूप में चुना जाता है। सभापति के रूप में नियुक्त होने पर सदन में निष्पक्षता से कार्य करना पड़ता है। सभा की क्रियाकलापों का अध्यक्ष पद ग्रहण करके सदन में शांति, अनुशासन का पालन करना पड़ता है। सदन की चर्चा मतदान तथा निर्णय, विधियों के बढ़ाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। नियमों की स्पष्टता तथा निर्णय देने सुनाने का अधिकार भी इनका ही है। सदन में सभी लोग (प्रधानमंत्री सहित)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सभापति का आदर करना शिष्टाचार है। विधेयक पर समान मात्रा में मत प्राप्त होने पर अपना निर्णायक मत चलाते हैं। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति क्रियाकलाप को संभालते हैं।

क्रिया कलाप : दूरदर्शन में संसद के कलापों का सीधा प्रसारण का वीक्षण करके निम्न विषयों पर टिप्पणी लिखिए।

1. सभाध्यक्ष की भूमिका ।
2. विपक्ष की भूमिका
3. प्रशासन के पक्ष के नायकों की भूमिका ।

विपक्षी दल : जो संबंधित सदन (लोकसभा या राज्यसभा) की कुल सदस्यों की संख्या में 10% स्थान जिस राजनीतिक दल को मिलती है उसे विपक्षी दल कहा जाता है ।

विपक्ष नायक की भूमिका और कार्य :

- प्रशासन चलानेवाला सरकार गलती करती है तो उन्हें दिखाना।
- सरकार की नीति नियमों का परामर्शन करना।
- सरकार, मंत्रिमंडल और अधिकरियों को सचेत करना।
- विपक्षनायक का आदरणीय स्थान होता है।

संसद का अधिकार और कार्य :

शासन रचना कार्य : काननू रचना करने का अधिकार संसद को है। केंद्र सूचि विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। उदाहरण : वित्त, रक्षा, अंतरिक्ष, दूरसंचार, रेल्वे, विदेशी व्यापार, परमाणु ऊर्जा आदि । साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में मंडन किया जाता है । वित्तीय विधेयक को सिर्फ, लोक सभा में प्रस्ततु किया जाता है। शेष विधेयक किसी भी सदन में मडंन किया जा सकता है। लेकिन विधेयक का विषय परिणामकारी होना है तो चर्चा द्वारा उभय सदनों का अनुमोदन मिलना चाहिए। जब विधेयक सम्मति प्राप्त करता है तब सभापति अपना निर्णायक मत चलाते है। विधेयक के बारे में सदनों के बीच मतभेद आता है, तो राष्ट्राध्यक्ष संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर हल कर सकते हैं। सदनों की सम्मति होने पर उस विधेयक को राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति के बाद विधेयक को शासन के रूप में जारी किया जाता है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

प्रशासनिक अधिकार : भारत में संसदीय सरकार के होने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही वास्तविक कार्यांग है। केंद्र मंत्रिमंडल संसद की जिम्मेदारियों पर निर्भर होकर काम करता है। संसद को मंत्रिमंडल पर प्रश्न करने का अधिकार है। इस प्रकार कार्यांग पर उसका नियंत्रण होता है। संसद का विश्वास जब तक रहेगा तब तक मंत्रिमंडल का अधिकार होता है। विश्वास खो जाने के बाद मंत्रिमंडल अपना अधिकार खोते है। उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। कार्यांग पर विशेष कर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को लोकसभा अपने नियंत्रण में रखता है। सरकार की नीति और उपलब्धियों के बारे में बहुसंख्य सदस्यों में विश्वास नहीं है तो सरकार (प्रधानमंत्री) और मंत्रिमंडल इस्तीफा देना पड़ता है।

वित्तीय अधिकार : राष्ट्र के वित्त पर लोकसभा का पूर्ण अधिकार होता है। लोकसभा के अनुमोदन के बिना सरकार किसी तरह का कर वसूल नहीं कर सकती और खर्च करने का अधिकार भी उसे नहीं होता । वित्तीय विधेयक (आय-व्यय) को पहले लोकसभा में मंडन करने का नियम है। लोकसभा के अनुमोदन के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में विधेयक पर सलाह सूचना देकर 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। 14 दिन के बाद भी विधेयक को लौटाया नहीं गया तो उसे मान्य मानकर राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है।

न्यायांगाधिकार : संसद के पास न्यायिक अधिकार और कार्य है। संसद के पास महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष पर महाभियोग चलाने की अधिकार है। संसद के पास राष्ट्राध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायादीशों को हटाने की सिफारिश करने की अधिकार है।

संविधान परिष्करण का अधिकार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, भारत के संविधान में परिष्करण करने का अधिकार संसद को है। परिष्करण से संबंधित विधेयक को किसी भी सदन में मंडन किया जाता है । परिष्करण विधेयक को उभय सदनों की अनुमति अनिवार्य है। एक सदन से अंगीकृत होकर दूसरे सदन में तिरस्कृत होने पर संविधान परिष्करण असंभव है। कुछ संदर्भ में संविधान परीष्करण करते वक्त राज्यों के विधानसभाओं का सहमत भी आवश्यकता होती है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

अन्य अधिकार :

1. सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के अधिकार सीमा से संबंधित कानून बनाना।
2. दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही अच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार।
3. नये राज्यों की सृष्टि, नाम परिवर्तन राज्यों की सीमारेखा निर्धारण करना।
4. केंद्रलोक सेवा आयोग, वित्तीय आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोगों के रपट के बारे में चर्चा करना।
5. राष्ट्रीय आपत काल, राज्य आपत काल और वित्तीय आपत काल की परिस्थिति के लिए अनुमति देना ।

NOT TO BE REPUBLISHED

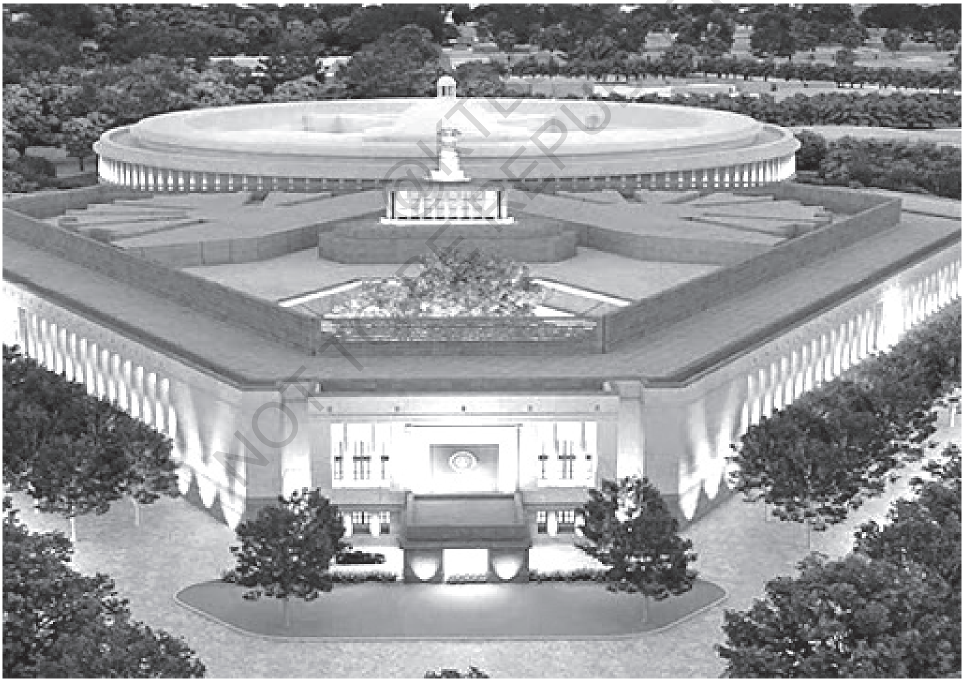

नया संसद भवन

इसकी जानकारी आपको रहे

नय संसद भवन

हमारा संसद भवन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का चैतन्य का प्रतीक है। भारत का पुराना संसद भवन, जिसका लोकार्पण 1927 में हुआ था, देश की आज़ादी के बाद 2023 तक लगभग 75 वर्षों की संसदीय गतिविधियों का गवाह रहा है ।

जैसे-जैसे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ें मज़बूत होती गईं, संसदीय गतिविधियों और इन गतिविधियों में भाग लेने वालों की संख्या बढ़ती गई, और नए संसद भवन की आवश्यकता पैदा हुई । इसलिए सेंट्रल विस्ता योजना के अंतर्गत नया संसद भवन का निर्माण कर 28-05-2023 में लोकार्पण किया गया ।

नए संसद भवन की विशेषताएँ :

1) इसका क्षेत्रफल लगभग 65,000 वर्ग मीटर है ।

2) इसमें 88 सीटों वाली लोकसभा के सभाभवन और 384 सीटों वाली राज्यसभा के सभाभवन है ।

3) यह एक पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल भवन है ।

4) अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सभागार भी है ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

केंद्र कार्यांग :

केंद्र शासकांग के द्वारा बनाये गये कायदों की जारी करने का काम कार्यांग करता है। यह केंद्र सरकार के कार्यक्रम तथा नीतियों को जारी करती है। इस कार्यांग में राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होते हैं। राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम मात्र कार्यांग के नायक हैं, तो प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यांग हैं।

राष्ट्राध्यक्ष :

संविधान के 52 वीं विधि राष्ट्राध्यक्ष स्थान का अवसर प्रदान करती है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष संविधान के नायक प्रथम नागरिक, कार्यांग के मुखिया भी हैं और तीनों सेना बल के (वायु सेना, भूसेना, नौका सेना) के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्र का समस्त अधिकार इन को है। इनका स्थान सर्वोच्च होता है। उनके अधिकार को किसी भी न्यायालय में उनके

विरुद्ध अपील नहीं की जाती। राष्ट्राध्यक्ष पद पर काम करनेवाला व्यक्ति भारत का आदर्श नागरिक होना चाहिए।

राष्ट्राध्यक्ष के चयन की विधि : संविधान के 54 और 55 वीं विधि में राष्ट्राध्यक्ष के निर्वाचन पद्दति को अपनायी गयी है। राष्ट्राध्यक्ष को संसद के दोनों सदनों के सदस्य सभी राज्य और दिल्ली, पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से युक्त मतदाता वर्ग निर्वाचित करते हैं । सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको प्रमाण वचन पढ़ाते हैं। इनकी अधिकार अवधि 5 वर्ष होती है। दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। संविधान के खिलाफ कदम उठाने पर महाभियोग के माध्यम से राष्ट्राध्यक्ष को पद त्याग करवाने का अधिकार संसद को है।

महाभियोग

राष्ट्राध्यक्ष संविधान के अविभाजित व्यक्ति है। संविधान के रक्षक भी हैं। कोई भी संविधान का उल्लघंन न करे ऐसा उन्हें सबको सभालना पड़ता है। यदि राष्ट्राध्यक्ष ही सांविधानिक नियमों का उल्लघंन करेगे तो संविधान की 61 वीं विधि के अनुसार उनके विरुद्द दोषारोपण किया जा सकता है। इसे संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचना देकर चर्चा की तिथि को तय किया जाना चाहिए। इसके लिए सदन एक चौथाई सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। दोनों सदनों में चर्चा करके दो तिहाई सदस्यों के बहुमत प्राप्त होने पर राष्ट्राध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, इसे महाभियोग कहा जाता है । आज तक भारत में ऐसी घटना नहीं घटी है।

योग्यताएँ :

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. 35 वर्ष की आयु से कम न हो ।
3. संसद बनने के लिए जिन योग्यता होती है, उन योग्यता चाहिए।
4. किसी सरकारी नौकरी में न हो।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

राष्ट्राध्यक्ष भवन, नई दिल्ली

राष्ट्राध्यक्ष के संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व :

कार्यपालिका संबंधी अधिकार : राष्ट्र का समस्त प्रशासन राष्ट्राध्यक्ष के नाम से चलता है। प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। तत्वपश्चात प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार शेष मंत्रियों की नियुक्त राष्ट्राध्यक्ष करते हैं। भारत के उच्च पद जैसे- अटार्नि जनरल, कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल, वित्तीय आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, केंद्र लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य निर्वाचन आयुक्त, रक्षणा दलों के सर्वोच्च कमांडर (प्रधान सेनापति) और विविध राष्ट्रों के लिए राजदूतों को नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्राध्यक्ष को है। उसी प्रकार सांवैधानिक रूप से पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्राध्यक्ष को हैं।

शासन संबंधी अधिकार : संसद को अधिवेशन के लिए आमंत्रित करना, विलंबन करना संयुक्त अधिवेशन में भाषण देना और लोकसभा का विसर्जन करना आदि अधिकार राष्ट्राध्यक्ष की हैं। संसद के उभय सदनों के द्वारा अंगीकृत विधेयकों की अनुमति देने, पुनः परीशीलन करने, वापस भेजने, रोक लगाने का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष को प्राप्त है। लोकसभा में दो आंग्लो इंडियन और राज्य साभा में 12 सदस्यों को नामंकित करने का अधिकार भी राष्ट्राध्यक्ष रखते थे। लेकिन 2020 में लागू हुई 104वें संविधान अधिनियम ने इस नामांकन को जारी नहीं रखा। कला, विज्ञान, समाजसेवा, साहित्य इन क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा प्रदान

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

हमारे राष्ट्राध्यक्ष

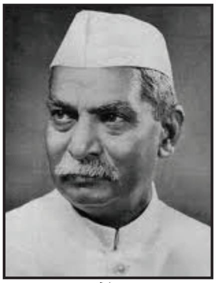

डॉ. राजेंद्र प्रसाद
1950-1962

डॉ.एस.राधाकृष्णन
1962-1967

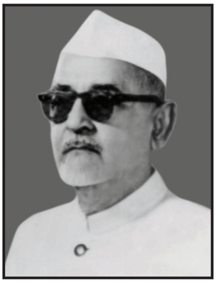

डॉ. जाकीर हुसेन
1967-1969

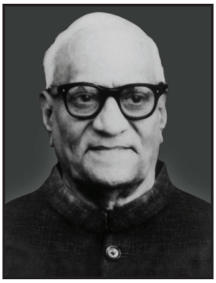

डॉ.वी.वी.गिरी
1969-1974

डॉ. फकरुद्दीन अली अहमद
1974-1977

डॉ. नीलम संजीव रेड्डी
1977-1982

डॉ. ज्ञानी जैलसिंह
1982-1987

डॉ. आर. वेंकटरमण
1987-1992

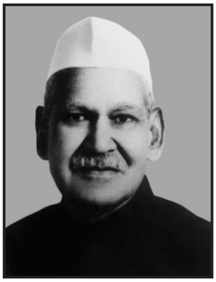

डॉ. शंकरदयाल शर्मा
1992-1997

डॉ.के.आर. नारायण
1997-2002

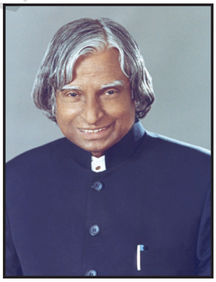

डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम
2002-2007

श्रीमती प्रतिभा पाटील
2007-2012

डॉ. प्रणव मुखर्जी
2012-2017

डॉ.रामनाथ कोविंद
2017-2022

श्रीमती द्रौपदी मुर्मु
2022-

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

करनेवाले 12 लोगों को राज्यसभा सदस्यों के रूप में नामांकन करने की अधिकार राष्ट्राध्यक्ष को है । इन सभी कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार राष्ट्राध्यक्ष करते हैं ।

न्याय संबंधी अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेना न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दिया जानेवाला दंड को कम करने, मृत्युदंड जैसे कठिन दंड को रद्द करने का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष को हैं। राष्ट्र से संबंधित कानूनी सलाहों को सर्वोच्च न्यायालय से पूछ सकते हैं।

वित्तीय अधिकार : राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति के बिना वित्तीय विधेयक को संसद में मंडन नहीं कर सकता। वित्तीय आयोग की रपट महालेखपाल और परिशोधक से प्राप्त रपट को संसद में चर्चा करने के लिए राष्ट्राध्यक्ष सिफारिश करते हैं। संचित निधि राष्ट्राध्यक्ष के नाम से होती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को इस निधि से वेतन दिया जाता है। कुलमिलाकर कह सकते है कि वित्तीय विधेयक उनकी अनुमति के बिना कायदा नहीं बन सकता।

सैनिक अधिकार : राष्ट्राध्यक्ष समस्त सेना बल के सर्वोच्च कमांडर होते है। भूसेना, वायुसेना, और नौका सेना के प्रधान सेनापति को मंत्रिमंडल की सलाह पर वे नियुक्त करते है। संसद की अनुमति पर युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी इनकी है।

आपातकालीन अधिकार : हमारे संविधान का अनुच्छेद 18 में तीन प्रकार के आपातकालीन स्थिति का वर्णन करता है । राष्ट्राध्यक्ष तीन संदभों में आपतकालीन परिस्थिति को जारी कर सकते हैं।

1) राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति (352 वी. विधि)

2) राज्य की आपातकालीन परिस्थिति (356 वी. विधि)

3) वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति (360 वी विधि)

उपर्युक्त आपाकालीन परिस्थिति (आकस्मिक संकट) की घोषणा करने के एक मास के

चर्चा कीजिए :
कर्नाटक में राज्य आपात कालीन परिस्थिति जारी के संदर्भ में शिक्षकों के साथ चर्चा कीजिए।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

भीतर संसद का अनुमोदन पाना अनिवार्य है। हमारे संविधान के 18 वें अध्याय में तीन प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति घोषणा का अवसर प्रदान किया गया है।

ज्ञात रहे :

1. **राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति (352 वीं विधि) :** देश के किसी भाग में या पूरे देश में युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण से कोई संकट आये अथवा आंतरिक कलह के कारण संकट आये तो आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। उदाः 1962, 1971, और 1975 में ।
2. **राज्य आपात कालीन परिस्थिति (356 वीं विधि) :** किसी राज्य के राज्यपाल की रपट के आधार पर अथवा अन्य कारण पर राज्य सरकार संबिधान के नियमों के अनुसार प्रशासन नहीं चलाता है तो 356 वीं विधि का प्रयोग करके राष्ट्राध्यक्ष आपात कालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। कर्नाटक में अब तक 6 बार राज्य आपात कालीन परिस्थिति की घोषण की गई है। राज्य आपात कालीन परिस्थिति को संविधानात्म आपात कालीन परिस्थिति या राष्ट्राध्यक्ष शासन भी कहा जाता है।
3. **वित्तीय आपातकालीन परिस्थिति (360 वीं विधि) :** देश की वित्तीय परिस्थिति संकट में पड़ने पर 360 वीं विधि अनुसार आर्थिक अथवा वित्तीय आपतकालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन आज तक वित्तीय परिस्थिति की घोषणा नहीं हुई है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

विवेचनाधिकार : राष्ट्राध्यक्ष मंत्रिमंडल की सलाह के बिना कुछ अधिकार चला सकते हैं। उन्हें विवेचनाधिकार कहते हैं । वे इस प्रकार है : हैं :

1. लोकसभा के सार्वत्रिक निर्वाचन में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तब कोई भी पार्टी के नेता को सरकार की रचना के लिए आमंत्रित करने का अधिकार रखते हैं।
2. संसद से स्वीकृत विधेयक को राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति के लिए भेजा जाने पर उसे पुनः परीशीलन के लिए वापस भेज सकते हैं।

प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति को प्रशासन में सलाह और सहयता करने प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल को संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। फिर भी प्रधानमंत्री अधिकार के केंद्रबिंदु माने जाते हैं। राष्ट्र के समस्त प्रशासन को चलाने का निर्वहण करने का अधिकार उन्हें है। राष्ट्रपति देश के नेता होंगे तो प्रधानमंत्री सरकार को नेता (नायक) है। लोकसभा का विश्वास जहाँ तक रहेगा तब तक ये अधिकार में रहेंगे।

प्रधान मंत्री के संवैधानिक कर्तव्य और दायित्व :

1. मंत्रियों की नियुक्ति, खातों का वितरण और मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार: प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं। विविध मंत्रणालयों के लिए मंत्रियों को नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, खातों का वितरण करते हैं। खातों के वितरण करते वक्त प्रधानमंत्री को पूर्ण अधिकार रहता है। असमर्थ, कलंकित, विवादित मंत्रियों को मंत्रिमंडल से हटा सकते हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. सरकार के प्रधान : सरकार के सभी अच्छे बुरे में इनका ही जिम्मेदारी होती है। विविध इलाखाओं के मंत्रियों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। योजना, रक्षा, विदेशांग नीति जारी करने में विशेष देखभाल करते हैं।

3. मंत्रिमंडल का नायक : प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक होती है। मंत्रिमंडल के क्रियाकलाप, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विषयों की चर्चा और निर्णय इन्हीं की अध्यक्षता में लिया जायेगा। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों के बीच में सेतु निर्माण करते हैं।

4. लोकसभा को विसर्जन करने की सलाह देने की अधिकार : राष्ट्राध्यक्ष को लोकसभा विसर्जन करने की सलाह देने की अधिकार प्रधानमंत्री के पास है । मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से प्रशासन में अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने पर, जब मंत्रिमंडल में तीव्र मतभेद हो और जब मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देता है, तब प्रधान मंत्री राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह की सलाह देते हैं ।

केंद्र मंत्रिमंडल : हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्राध्यक्ष की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल होना चाहिए। प्रधान मंत्री की नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल, वास्तविक कार्यपालिका होकर राष्ट्र के संपूर्ण

हमारे प्रधान मंत्री

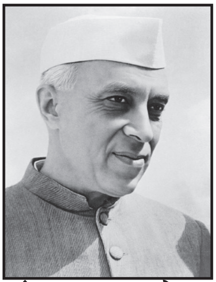

पं.जवाहरलाल नेहरू
1947-1964

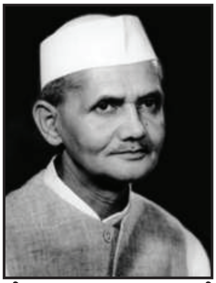

श्री. लाल बहादुर शास्त्री
1964-1966

श्री. गुलजारीलाल नंदा
1966

श्रीमती इंदिरा गांधी
1966-77, 1980-84

श्री. मुरारजी देसाई
1977-1979

श्री. चरण सिंह
1979-1980

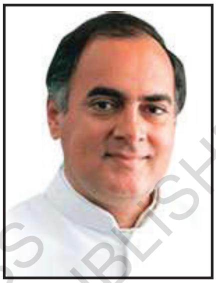

श्री. राजीव गांधी
1984-89

श्री. वि. पी. सिंह
1989-1990

श्री. चंद्रशेखर (1990
नवंबर-1991 जुन

श्री. पी. वी नरसिंहराव
1991-1996

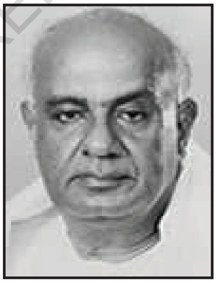

श्री. एच्. डी. देवेगौडा
1996 जुन-1997 अप्रैल

श्री. आय. के. गुजराल
1997 अप्रैल-1998 मार्च

अटल बिहारी वाजपेयी
मई 18, 1996-31 मई 1996
19 मार्च 1998 - 2004

डॉ. मनमोहन सिंह
2004 - 2014

श्री. नरेंद्र मोदी
2014 -

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

प्रशासन का प्रबंधन करता है । केंद्रीय मंत्रिमंडल सार्वजनिक नीतियों और योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल को तीन विधों में वर्गीकृत किया जा सकता है । जैसे :

1) कैबिनट ग्रेड मंत्री

2) राज्य मंत्री

3) उपमंत्री

संविधान के 91 वे परिष्कृत अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल का आकार प्रधान मंत्री सहित, कुल लोक सभा सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस मंत्रिमंडल को दो प्रकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं। प्रत्येक विभाग के मंत्री अपने खाते की अच्छे-बुरे, सफलता- असफलता का व्यक्तिगत जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल अपने प्रशासन निर्वहण नीति निर्णय और कार्यक्रमों से संबंधित संसद का पूर्ण जिम्मेदार होता है। इसलिए मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर अवलंबित होता है। विश्वास खो जाने पर अविश्वास, प्रतिरोध (No Confidence Motion) परीशोध के द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

NOT TO BE REPUBLISHED
@KTBS

ज्ञात रहे :

अविश्वास प्रतिरोध : प्रशासन चलानेवाले प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों का विश्वास खो जाने पर अथवा औचित्य वापस लेने पर प्रधानमंत्री और मंत्रीमंडल इस्तीफा देना पड़ता है। इसे अविश्वास प्रतिरोध कहा जाता है।

भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और राजधानियाँ

राज्य

1. आंध्र प्रदेश (अमरावती)
2. अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर)
3. असम (दिसपुर)
4. बिहार (पटना)
5. गौवा (पणजी)
6. गुजरात (गांधीनगर)
7. हरियाणा (चंडीगढ़)
8. हिमाचल प्रदेश (शिम्ला)
9. कर्नाटक (बेंगलूरु)
10. केरल (तिरुवनंतपुरम्)
11. मध्यप्रदेश (भोपाल)
12. महाराष्ट्र (मुंबई)
13. मणिपुर (इम्फाल)
14. मेघालय (शिलोंग)
15. मिज़ोराम (आइज़ोल)
16. नागालैंड (कोहिमा)
17. ओड़िशा (भुवनेश्वर)
18. पंजाब (चंड़ीगढ़)
19. राजस्थान (जयपुर)
20. सिक्किम (गैंगटोक)
21. तमिलनाडु (चेन्नई)
22. त्रिपुरा (अगरतला)
23. उत्तर प्रदेश (लखनऊ)
24. पश्चिम बंगाल (कोलकाता)
25. छत्तीसगढ़ (रायपुर)
26. झारखंड (रांची)
27. उत्तराखंड (देहरादून)
28. तेलंगाना (हैदराबाद)

केंद्र शासित प्रदेश

1. जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर-गर्मी, जम्मू-सर्दी)
2. लद्दाख (लेह)
3. अंडमान और निकोबार द्वीप (श्रीविजयपुरं)
4. चंडीगढ़ (चंडीगढ़)
5. दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव (दमन)
6. लक्षद्वीप (कवरत्ती)
7. पुडुचेरी (पुडुचेरी)
8. दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आपको ज्ञात रहे :

बरारी सैन - उत्तराखंड राज्य की शीतकालीन राजधानी है।

धर्मशाला - हिमालय प्रदेश राज्य को दूसरी राजधानी है ।

अटॉर्बी जनरल - भारत का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाती है।

अभ्यास :

I. खाली जगहों को सार्थक शब्दों से भरिए :

1. भारत देश ______________ का संघ है।
2. केंद्र शासकांग को ______________ कहते हैं।
3. राज्यसभा के सभापति __________ होते हैं।
4. लोक सभा का सदस्य होने के लिए __________ वर्ष की आयु होनी चाहिए।
5. तीनों सेना दलों के सर्वोच्च कमांडर __________ होते हैं।
6. संविधान के ______________ और ______________ वें अधिनियम में राष्ट्रपति के चयन का विधान उल्लिखित है।
7. केंद्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को _____________ नियुक्त करते हैं।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सहपाठियों के साथ चर्चा करके लिखिए:

8. संसद के दोनों सदनों के बारे में लिखिए।
9. राज्य सभा की रचना का विवरण दीजिए।
10. लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं को बताइए।
11. राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का वर्णन कीजिए।
12. प्रधानमंत्री के अधिकारों की सूची बनाइए।
13. केंद्र मंत्रिमंडल की रचना तथा उसके कर्तव्य का विवरण दीजिए।

III. क्रिया कलाप :

1. केंद्र संसद के समान अपने विद्यालय में कृत्रिम संसद बनाइए।
2. अपने क्षेत्र के संसद सदस्यों से मिलकर उनके कर्तव्यों के बारे में चर्चा कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :

संसद भवन का चित्र तैयार कर विद्यालय में लगाइए।

***

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय 7

राज्य सरकार

S1Z5H8

इस अध्याय में निम्न लिकित अंशों की जानकारी पायेंगे।

- राज्य शासकांग में विधानसभा, विधान परिषद का स्वरूप, सदस्यता और कार्य निर्वाह।
- राज्य कार्यांग में राज्यपाल, उनकी योग्यताएँ और कार्य।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अधिकार और कार्यभार।

विधान सौध, बेंगलूर

भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाला संघराष्ट्र है। केंद्र सरकार की तरह राज्य भी शासनपालिका, कार्यपालिका रखता हैं। राज्यसूची में उल्लिखित विषयों के लिए कानून बनाकर उनको जारी करने का अधिकार राज्य को है। संसद की तरह राज्य में भी दो सदन हैं कुछ राज्यों में निचला सदन (विधानसभा) मात्र होता है। उच्चतम सदन (विधान परिषद) नहीं होता।

NOT TO BE REPUBLISHED

राज्य सरकार

- **शासनपालिका**
  - **कर्नाटक**
  - विधान सभा (निचला सदन)
  - विधान परिषद (उच्च सदन)
- **कार्यपालिका**
  - राज्यपाल
  - मुख्यमंत्री
  - राज्य मंत्रिमंडल
  - एडवोकेट जनरल
- **न्यायपालिका**
  - अधीनस्थ न्यायालय

> **आपको ज्ञात रहे :** कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार राज्य द्विसदन शासन वाले हैं। बाकी राज्यों में एक सदन है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

राज्य शासन पालिका :

राज्यपाल राज्य शासनपालिका का एक अभिन्न अंग है । कुछ राज्यों में द्विसदनीय शासनपालिका प्रणाली है, तो कुछ राज्यों में एक सदनीय शासनपालिका प्रणाली है। द्विसदनीय शासनपालिका प्रणालीवाले राज्यों में निचला सदन विधानसभा और ऊपरी सदन विधान परिषद दोनों मौजूद हैं। एकसदनीय विधायी प्रणालीवाले राज्योंमें केवल निचला सदन, विधान सभा अस्तित्व में है और उच्च सदन विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है। राज्य में विधानसभा लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। विधान परिषद, विविध क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है।

विधानसभा (Assembly) :

> **क्रियाकलाप :**
> अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य से मुलाकात कर उनके कार्यों के बारे में चर्चा कीजिए।

विधान सभा राज्य शासनपालिका का निचला सदन है ।विधानसभा के सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। किसी भी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या 500 से अधिक न हो। 60 से कम न हो। लेकिन छोटे राज्यों में सदस्यों की संख्या कम होती है। उदा : सिक्किम विधान सभा में 32

सदस्य है। प्रस्तुत निर्वाचन के द्वारा नियुक्त होनेवाले कर्नाटक विधानसभा के सदस्यों की संख्या 224 हैं । 15वीं विधानसभा के अंत तक कर्नाटक विधान सभा में कुल 225 सदस्य थे वर्तमान 16वीं विधानसभा में केवल 224 निर्चाचित सदस्य है । 2020 तक, राज्यपाल को एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामांकन करने की अनुमति थी, लेकिन 2020 में लागू हुई 104वे संविधान परिष्करण के अनुसार एंग्लो-इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में नामांकन करने की प्रथा जारी नहीं रखी गई है। इसलिए आगे से कर्नाटक विधानसघभा में 224 निर्वाचित सदस्य होंगे। कर्नाटक विधानसभा में 36 स्थान अनुसूचित जाति के लिए और 15 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। संविधान के 106वाँ परिष्कृत विधेयक (नारी शक्ति वंदना अधिनियम) लागू होने के बाद विधानसभा के कुल स्थानों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षण करना पड़ेगा ।

विधान सभा सदस्यों की योग्याताएँ :

1) वह भारतीय नागरिक हो। 2) उसकी आयु 25 वर्ष की हो। 3) वह सरकारी नौकर न हो। 4) वह अपराधी या न्यायालय से दंडित न हो। 5) मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। 6) वह दिवालिया न हो। 7) संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताएँ उस में हो।

अधिकार अवधि: विधान सभा की अधिकार अवधि 5 वर्ष की है। अवधि के पूर्व भी मंत्रीमंडल के सलाह पर खारिज भी किया जा सकता है। ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति राज्य का शासन चलाते हैं। सदस्यों को अपने पद में आगे बढ़ने की इच्छा न हो तो सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।

निर्वाचन में विजयी एक सदस्य को सभापति, दूसरे को उपसभापति के रूप में निर्वाचित किया जाता है। अधिवेशन उसकी अध्यक्षता में चलती है। सदन में शांति अनुशासन पालन करके सदन की गरिमा बढ़ाने का उत्तर दायित्व सभापति पर होता है। अधिवेशन का आमंत्रण, अग्रेषित करना सदस्यों की अधिकार की रक्षा करना, सदन में सम्मति होने पर निर्णायक मतदान करने का अधिकार भी सभापति को होता है।

क्रियाकलाप :
विधान सभा के अधिवेशन समय जाएँ और कार्यों का निरीक्षण करें। वहाँ होनेवाली चर्चाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

राज्य शासनपालिका के अधिकार और कार्य :

सुवर्ण विधानसौधा, बेलगावी

शासन संबंधी अधिकार एवं कार्य : साम ान्य विधेयक को विधान सभा के किसी भी सदन में मंडन किया जा सकता है । विधानसभा द्वारा अनुमोदित विधेयकों को विधान परिषद में अनुमोदन के लिए भेजा जाता है । तब विधान परिषद तीन महीनों के भीतर परिष्करण के साथ या बिना परिष्करण के साथ अनुमोदन देकर विधेयक को विधानसभा को वापस करना होगा। अन्यथा, विधानसभा विधेयक को मंजूरी के लिए दूसरी बार विधान परिषद के पास भेजती है, ऐसी स्थिति में विधान परिषद को एक महीने के भीतर विधेयक को अपनी मंजूरी के साथ विधान सभा को वापस भेजना होगा। नहीं तो दोनों सदन सहमत, यह घोषणा करते हुए विधेयक को राज्यपाल के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकार विधान परिषद के पास किसी साधारण विधेयक को चार महीने तक निलंबित करने की अधिकार के अलावा और कोई अधिकार नहीं होता।

वित्तीय अधिकार: वित्त व्यवस्था के विषय में विधान सभा को अधिक अधिकार प्राप्त है। वित्तीय विधेयक को पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधान सभा से अनुति प्राप्त विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है। विधेयक को तिरस्कार करने का अधिकार विधान परिषद को नहीं है। 14 दिनों तक उसको रोका जा सकता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण: राज्य कार्यपलिका विधान सभा का जिम्मेदार होता है। विधान सभा का विश्वास जब तक रहेगा तब तक मंत्रिमंडल रहता है। विशवास खो जाने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रीमंडल और उसके सदस्यादि व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं।

निर्वाचन के अधिकार : राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य सभापति, उपसभापति आदी को निर्वाचित करने का अधिकार विधानसभा को है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

संविधान को परिष्कृत करने का अधिकार : कुछ संवैधानिक परिष्करण विधेयकों को आधे राज्य विधानसभाओं के अनुमोदन की आवश्यकता होती है । उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित 122 वां संवैधानिक परिष्करण विधेयक 2016 ।

अन्य कार्य: केंद्र संसद से संबंधित कुछ विधेयकों की चर्चा में विधानसभा अधिकार चलाता है। राज्य लोक सेवा आयोग की रपट पर चर्चा करने का अधिकार रखता है।

विधान परिषद (Vidhana Parishad) :

राज्य शासन पालिका का उच्चतम सदन विधान परिषद है। इसमें सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की एक तिहाई संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 सदस्यों से कम भी न होनी चाहिए। इसलिए कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होता। कर्नाटक में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। ये सदस्य 5 क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व हैं। विधान सभा के सदस्यों से, स्थानीय संस्थाओं से, स्नातक क्षेत्र से, शिक्षक क्षेत्र से, कुछ लोग होते हैं तो कुछ लोगो को कला, साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्रों से उनकी सेवा के आधार पर राज्यपाल नामांकित करते है। विधान परिषद स्थायी होता है। हर दो वर्ष में अवधि पूर्ति किये हुए $\frac{1}{3}$ सदस्य निवृत होते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं । विधान परिषद की कार्य कलाप सभापति के अध्यक्षता में होती है। वे सदन में शांति और अनुशासन बनाये रखना, मान-सम्मान बढ़ाना, कार्यकलापों का स्थगन करना, सदस्यों के अधिकारों और दायित्वों की रक्षा करना, सदन में समान मत आने पर निर्णायक मत देने की कार्य करते हैं ।

योग्यताएँ : 1) भारतीय नागरिक हो। 2) सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए 3) वह किसी लाभप्रद पद पर नही होना चाहिए। 4) वह न्यायालय से दंडित न हो। 5) मानसिक रूप से अस्वस्थ न हो। 6) वह दिवालिया न हो। 7) संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताएँ उस में हो।

क्रियाकलाप :
अपने गाँव/वार्ड के सदस्यों से अपने के लोकसभा सदस्यों तक के विविध जनप्रतिनिधियों के नामों की सूची बनाइए।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कार्यभार और जिम्मेदारियाँ :

शासन संबंधी अधिकार एवं कार्य : कानून बनाने का अधिकार विधान परिषद को भी है। सामान्य विधेयक को दोनों सदनों में पेश कर सकते हैं। एक संघटन से स्वीकृत विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक को तीन महीनों तक रोक सकता है। दोबारा उसे भेजने पर एक महीने के भीतर स्वीकृती देनी पड़ती है। ऐसा नहीं हुआ तो दोनो सदनों से स्वीकृत मानकर राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा जाता है।

वित्तीय अधिकार एवं कार्य : वित्तीय अधिकार के मामलों में विधानसभा को सर्वाधिकार प्राप्त है। विधान परिषद 14 दिनों तक वित्तीय विधयेक को रोक सकता है। 14 दिनों से ज्यादा रोकता है तो दोनों सदनों से अनुमति प्राप्त मानकार राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा।

कार्यकारी अधिकार एवं कार्य : प्रशासन पर इसका नियंत्रण कम है। सदस्य और मंत्रियों को प्रश्न पूछने के द्वारा जानकारी के सकते हैं। उत्तर तत्संबंधी न होने पर मंत्री के त्यागपत्र के लिए दबाव डाला जा सकता है। अविश्वास निर्णय का मंडन नहीं कर सकते।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

राज्य कार्य पालिका :

राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। संविधानात्म क रूप से राज्यपाल मुखिया है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ही वास्तविक शासकांग है ।

राज्यपाल :

प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते है। हर एक राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक राज्यपाल के होने से संबंधित नियम है। लेकिन दो अथवा दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं।

योग्यता, अधिकार अवधि और वेतन: 1) भारतीय नागरिक हो। 2) 35 वर्ष से अधिक आयु हो। 3) किसी सरकारी नौकरी में न हो। 4) राज्य शासन पालिका अथवा संसद न हो। सदस्य अगर हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति के बाद सदस्य पद से हटना पड़ता है। इनकी अधिकार अवधि 5 वर्ष है। बदली राज्यपाल की नियुक्ति होने तक अधिकार चला सकते हैं। केंद्र मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अवधि से पहले भी राष्ट्रपति उन्हें वापस

बुला सकते है। संसद के निर्णयानुसार इनको वेतन तथा भत्ता, बिना किराये का लोकभवन (राजभवन) इनको दिया जाता है। इनके अधिकार और कार्यों से संबंधित अपील न्यायालय में नहीं हो सकती। इन पर कोई क्रिमिनल, अपराध संबंधी मुकदमा नहीं चलता।

राज्यपाल के अधिकार एवं कार्य : कानूनन राज्यपाल को सभी अधिकार प्राप्त हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ही अधिकार चलाता है। राज्यपाल के कर्तव्य निम्नलिखित हैं।

कार्यपालिक के अधिकार एवं कार्य: ये कार्यपालिका के मुखिया होते हैं। मुख्यमंत्री की सिफारिश के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी है। विश्वविद्यालय के उपकुलपति और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार इनको है।

प्रशासनीय अधिकार एवं कार्य: अधिवेशन बुलाना, आगे बढ़ाना और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को खारिज करने का अधिकार इनको है। विधान सभा के लिए एक सदस्य, विधान परिषद के लिए एक तिहाई छः सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार इनको है। कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहयोग के क्षेत्र में प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए नाम निर्देशित करने का अधिकार है। शासन पालिका द्वारा मान्य विधेयक पर हस्ताक्षर करना, रोकना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजने का अधिकार भी इनकी है।

वित्तीय अधिकार: राज्यपाल की अनुमति के बिना वित्तीय विधेयक को विधान सभा में पेश नहीं किया जाता। राज्य वित्तीय और योजना आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है। राज्य आपातनिधि इनके वश में रहती है। अकाल, प्रवाह, भूकंप आदि संकट काल की परिस्थिति का निर्वाह करके इस निधि से पैसा दे सकते हैं।

न्यायिक अधिकार: किसी अपराधी के दंड को कम करना माफी देना, आगे बढ़ाना अथवा दंड को बदलने का अधिकार इनको है । राज्य के वकील, जनरल, जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार इन्हें है।

विवेचनाधिकार: राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति करते समय विवेकाधिकार का उपयोग राज्यपाल करते हैं। शासन पालिका द्वारा स्वीकृत विधेयक को राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए रोक

क्रियाकलाप :

राज्य के आदेशों को राज्यपाल आज्ञानुसार कर, राष्ट्रीय आदेशों को राष्ट्रपति के आज्ञानुसार जारी किये जाते हैं। क्यों ? शिक्षकों के साथ चर्चा करें।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

रखना, राज्य में संवैधानिक समस्या अथवा विफल हाने पर राष्ट्रपति को उसकी रपट भेजकर राष्ट्रपति प्रशासन की माँग कर सकते है अथवा मंत्रिमंडल को रद्द कर सकते हैं। विधानसभा का विसर्जन भी कर सकते हैं।

राज्य मंत्रिमंडल :

हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के नेतृत्व के मंत्रिमंडल के लिए अवसर प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल राज्य विधान सभा का उत्तरदायी भी होता है। यह मंत्रिमंडल अनेक कार्यों का निर्वाह करता है। वे हैं- 1) सरकारी नीतियों का निर्णय करना है। 2) राज्य बजट का प्रस्ताव तैयार करके शासनपालिका के सामने प्रस्तुत करना। 3) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य लोकायुक्त आदि अधिकारियों को नियुक्त के लिए राज्यपाल की सिफारिश करना। 4) प्रत्येक मंत्री के अधीन विभाग से संबंधित कार्यनिर्वाह की देखभाल करना। 5) विविध विभागों के कार्यों का परिवीक्षण करना उनके बीच समन्वय स्थापित करना, आदि कार्यों को मंत्रिमंडल राज्य के वास्तविक कार्यांग के रूप में करता है।

क्रियाकलाप :
अपने राज्य के अब तक के राज्यापालों के नाम और उनकी अधिकार अवधि की सूची तैयार कीजिए।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया है। राज्य सरकार की उन्नति अथवा अवनति इनके व्यक्तित्व पर निर्भर है। राज्य का पूर्ण अधिकार इनके हाथों में होता है। वे मंत्रिमंडल, शासकांग और बहुमत प्राप्त दल के नायक होते हैं। मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त होनेवाला राज्य शासनपालिका के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य होना चाहिए। सदन का सदस्य न होने पर भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के भीतर किसी भी एक सदन के सदस्यत्व को प्राप्त करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री के कार्य :

1) ये मंत्रियों की सूची तैयार करके राज्यपाल की सिफारिश करते हैं।
2) ये मंत्रियों का खाता वितरण और बदलाव के लिए सिफारिश करते हैं।
3) सरकार के प्रति निष्ठा न रखने वाले, मंत्रिमंडल के विरूद्ध काम करनेवाले, अपराधी मंत्रियों को पद से हटाने की राज्यपाल से सिफारिश करते हैं।
4) ये सरकार का मुखिया बनकर नीति निणर्य में प्रमखु भूमिका निभाते हैं।

5) ये मंत्रिमंडल का अध्यक्ष स्थान ग्रहण कर बैठ क बुलाना, आगे बढ़ाना आदि अधिकार चलाते हैं।

6) ये विविध कार्यालयों की कार्यक्षमता का परिवीक्षण करके उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं।

7) ये अवधि से पूर्व विधानसभा को खारिज करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं।

8) ये राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच संपर्क सेतु के रूप में काम करते हैं।

9) ये राज्यपाल के सलाहकार का काम करते हुए विविध पदों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।

कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची और कार्यकाल

1.	श्री के.सी. रेड्डी	25 अक्तूबर 1947 - 30 मार्च 1952
2.	श्री केंगल् हनुमंतैय्या	30 मार्च 1952 - 19 अगस्त 1956
3.	श्री कडिदाल मंजप्पा	19 अगस्त 1956-31 अक्तूबर 1956
4.	श्री एस. निजलिंगप्पा	1 नवंबर 1956 - 16 मई 1958
5.	श्री बी.डी. जट्टी	16 मई 1958 - 9 मार्च 1962
6.	श्री एस.आर. कंठी	14 मार्च 1962 - 20 जून 1962
7.	श्री एस. निजलिंगप्पा	21 जून 1962 - 28 मई 1968
8.	श्री वीरेन्द्र पाटिल	29 मई 1968 - 18 मार्च 1971
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	19 मार्च 1971 - 20 मार्च 1972
9.	श्री डी. देवराज अरस	20 मार्च 1972 - 31 दिसंबर 1977
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	31 दिसंबर 1977-28 फरवरी 1978
10.	श्री डी. देवराज अरस	28 फरवरी 1978 - 7 जनवरी 1980
11.	श्री आर गुंडूराव	12 जनवरी 1980-6 जनवरी 1983
12.	श्री रामकृष्ण हेगडे	10 जनवरी 1983 - 29 दिसंबर 1984
		8 मार्च 1985 - 13 फरवरी 1986
		16 फरवरी 1986 - 10 अगस्त 1988

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

13.	श्री एस.आर. बोमई	13 अगस्त 1988 - 21 अप्रैल 1989
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	21 अप्रैल 1989 - 30 नवंबर 1989
14.	श्री वीरेंद्र पाटिल	30 नवंबर 1989 - 10 अक्तूबर 1990
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	10 अक्तूबर 1990 - 17 अक्तूबर 1990
15.	श्री एस. बंगारप्पा	17 अक्तूबर 1990-19 नवंबर 1992
16.	श्री एम. वीरप्पा मोइली	19 नवंबर 1992 - 11 दिसंबर 1994
17.	श्री एच.डी. देवेगौड़ा	11 दिसंबर 1994 - 31 मई 1996
18.	श्री जे.एच. पटेल	31 मई 1996 - 7 अक्तूबर 1999
19.	श्री.एस.एम. कृष्णा	11 अक्तूबर 1999 - 28 मई 2004
20.	श्री.एन. धरम सिंह	28 मई 2004 - 2 फरवरी 2006
21.	श्री एच.डी. कुमारस्वामी	3 फरवरी 2006 - 8 अक्तूबर 2007
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	8 अक्तूबर 2007 - 12 नवंबर 2007
22.	श्री बी.एस. येडियुरप्पा	12 नवंबर 2007 - 19 नवंबर 2007
	(राष्ट्राध्यक्ष शासन)	20 नवंबर 2007 - 29 मई 2008
23.	श्री बी.एस. येडियुरप्पा	30 मई 2008 - 4 अगस्त 2011
24.	श्री डी.वी. सदानंद गौड़	5 अगस्त 2011 - 11 जुलाई 2012
25.	श्री जगदीश शेट्टर	12 जुलाई 2012 - 12 मई 2013
26.	श्री सिद्धरामय्या	13 मई 2013 - 15 मई 2018
27.	बी.एस. यडियुरप्पा	17 मई 2018 - 19 मई 2018
28.	श्री.एच.डी. कुमारस्वामी	23 मई 2018 - 23 जुलाई 2019
29.	श्री बी.एस. यडियुरप्पा	26 जुलाई 2019 - 26 जुलाई 2021
30.	श्री. बसवराजु बोमई	27 जुलाई 2021 - 20 मई 2023
31.	श्री सिद्धरामय्या	20 मई 2023 से ....

- एडवोकेट जनरल - राज्य के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार
- कर्नाटक राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य परिवर्तना संस्था (SITK - State Institute for Transformation of Karnataka) नाम दिया गया है ।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों की सूची और कार्यकाल की जानकारी कर्नाटक हैंडबुक से प्राप्त की गई है ।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरिए :

1. भारत _____________ राज्यों तथा _____________ केंद्रशासित प्रदेशों वाला देश है।
2. कर्नाटक राज्य विधान परिषद् में _____________ सदस्य है।
3. राज्य मंत्रिमंडल _____________ और _____________से युक्त वास्तविक कार्यांग हैं।
4. राज्यपाल की नियुक्ति _____________ करता है।

II. निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा कर लिखिए :

5. राज्य विधान सभा की रचना के बारे में लिखिए।
6. राज्य विधान परिषद के सदस्य किन-किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं?
7. राज्यपाल की योग्यता, अधिकार अवधि का विवरण दीजिए।
8. मुख्यमंत्री के बारे में एक टिप्पणी लिखिए।

III. क्रिया कलाप :

1. कर्नाटक की विधान सभा तथा विधान परिषद का दौराकर वहाँ के कार्य कलापों की जानकारी प्राप्त कीजिए।
2. राज्य शासन के समान अपने विद्यालय संसद की रचना कीजिए।

IV. प्रदत्त कार्य :

1. अपने क्षेत्र के शासक से मिलकर सदन के कार्य कलापों की चर्चा कीजिए।
2. अब तक के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्रियों के छवि चित्र संग्रह कर अलबम तैयार कीजिए।

***

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

Z9V4Y5

अध्याय 8

न्यायपालिका

इस अध्याय में निम्न लिखित अंशों की जानकारी पायेंगे।

- संघ की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उत्तरदायित्व और कार्य।
- विविध स्तरों के अधीनस्थ न्यायलयों के कार्य।
- लोक अदालतों का स्वरूप तथा उत्तरदायित्व।

हमारी न्यायपालिका व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण की है। अमेरिका की तरह केंद्र तथा प्राँतों में अलग-अलग न्यायलय न होकर समस्त राष्ट्र के लिए एक ही न्यायपालिका व्यवस्था लागू की गई है। हमारी न्यायपालिका प्रशासन तथा कार्यांग से पूर्ण स्वतंत्र है। उच्च न्यायालय तथा अधीन न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। न्याय, संविधान, शासन, संप्रदाय और पहले से निर्धारित विधियाँ हमारे न्याय निर्णयों के लिए आधार हैं। सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्र का अति उन्नत न्यायालय है। इसका निर्णय ही अंतिम है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

सर्वोच्च न्यायालय :

संविधान द्वारा सूचित संसदीय शासन से सर्वोच्च न्यायालय की रचना की गयी है। यह जनवरी 28, 1950 को अस्थित्व में आया। यह दिल्ली में है। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते है। आज मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योग्यताएँ :

1. वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह कम से कम पाँच वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उसने कम से काम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत की हो।
3. वह राष्ट्राध्यक्ष की दृष्टि में न्याय का विशेषज्ञ होना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति 65 वर्ष और अन्य न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति 62 आयु होती है। चाहे तो वे इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकते हैं। असमर्थता या कर्तव्यलोप होने पर संसद के दोनों सदनों में निश्चित बहुमत के प्राप्त होने पर संसद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निवृति अथवा पद से हटाने के पश्चात देश के किसी भी न्यायालय में वकालत का काम नहीं कर सकता। इनका वेतन भत्ता आदि संसद के कानून के अनुसार होता है।

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालय के कार्य :

1. मूल अधिकार सीमा: सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र -राज्यों के बीच, राज्य-राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने का अधिकार है। जनता के मूलभूत अधिकारों की रक्षा संविधान को अर्थ विवरण देना तथा बंधी प्रत्यक्षीकरण (हेबियसकार्पस) तथा अन्य रिट अपीलों के बारे पूछताछ करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है।

2. अपील सलाह अधिकार सीमा: अधीन न्यायालय प्रदत्त निर्णयों पर सर्वोच्च न्यायालय में मुवक्किल अपील कर सकता है। अपीलों को स्वीकार करके विचार विमर्श का अधिकार इस न्यायालय को है। अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार भी है।

3. सलाह अधिकार सीमा: सार्वजनिक महत्व के बारे में राष्ट्रपति की माँग पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देता है। संविधान जारी करने से पूर्व सरकार के समझौते आदि विषयों के विवाद से संबंधित सलाह को भी राष्ट्रपति के माँगने पर सर्वाच्च न्यायालय देता है।

इन अधिकारों के अलावा सर्वोच्च न्यायालय दस्तावेजों की रक्षा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच के सलाहाकार के रूप काम करते हुए विशेष रिट निकालने से संबंधित आदेश भी देता है।

4. न्यायिक समीक्षा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय के पास शासनपालिका द्वारा अधिनियमित कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों और निर्णय संवैधानिकबद्ध है या नहीं है इसकी समीक्षा करने का अधिकार है । यदि ये संविधान का उल्लंघन करते है तो सर्वोच्च न्यायालय इन्हें असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर देता है, इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।

5. मूलभूत अधिकारों का संरक्षण : सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत विशेष आज्ञाओं (रिट्) को जारी करके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को मूलभूत अधिकारों के संरक्षक कहा जाता है । डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहकर प्रशंसा की है । जब मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है तब सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के विशेषाज्ञा (रिट्) जारी करके मूलभूत अधिकारों की रक्षा करता है । विशेषाज्ञा (रिट्) इस प्रकार है - 1) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) 2) परमादेश (Mandamus) 3) निषेधाज्ञा (Prohibition) 4) उत्प्रेषण लेखा (Certiorari) 5) सह वारंट (Co-warranto)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

* न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है।
* न्यायाधीश धंनजय यशवंत चंद्रचूड भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50 वी मुख्य न्यायाधीश है।

उच्च न्यायालय :

प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए संविधान में अवसर प्रदान किया गया है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक मात्र न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या में राज्य- राज्यों के बीच में भिन्नता होती है।

उच्च न्यायालय, बेंगलूरु

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ज्ञात रहे:

1. भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने 1862 में कोलकत्ता, मुबई, मद्रास (चेन्नै) मं तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की। राज्य में प्रस्तुत कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।
2. पंजाब हरियाण राज्यों के लिए चंडीगढ़ में एक मात्र उच्च न्यायालय है। उसी प्रकार असम, मणिपूर, मेघालय, त्रिपूरा, नागालैंड, मिजोराम और अरुणाचल प्रदेशों के लिए असम की गोहाटी में एक मात्र उच्च न्यायालय है।
3. कर्नाटक उच्च न्यायालयूरू बेंगलूरू में स्थित है और इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। 2008 में हुबली-धारवाड कलबुर्गी में कर्नाटक उच्च न्यायालय की संचारी पीठों की स्थापना की गई, लेकिन 2013 में इन दो संचारी पीठों को उच्च न्यायालय के कायम पीठों के रूप में परिवर्तित किया गया ।

उच्च न्यायालाय के न्यायाधीश की योग्यताएँ :

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. निम्नतम किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर काम किया हो अथवा 10 वर्ष तक उच्च न्यायालाय में वकालत कर चुका हो ।

नियुक्ति, कार्यकाल और पदावनति : उच्च्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सर्वोच्च्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठ न्यायाधीशों वाले कॉलजियम की सिफारिश पर की जाती है । उच्च्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशवाले कॉलजियम की सिफारिश पर राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त करते है। उच्च्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इसके पहले ही वे राष्ट्राध्यक्ष के पास इस्तीफा दे सकते हैं । उन्हें कदाचार या अक्षमता साबित होने के आधार पर संसद के दोनों सदनों के निश्चित बहुमत की सिफारिश पर राष्ट्राध्यक्ष पदावनति कर सकते हैं। उनका वेतन और भत्ते संसद द्वारा अधिनियमित करके तय किए जाते हैं और उनके वेतन और भत्ते का भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है ।

अधिकार और कार्य : उच्च न्यायालय का अधिकार पूरे राज्य में चलता है। उसके कार्य इस प्रकार है।

1. नागरिक (Civil) और अपराध विवाद, नौकायान, वैवाहिक संबंध, न्यायिक अवज्ञा आदियों पर निर्णय देने का कार्य करता है।
2. अधीन न्यायालाय के निर्णय पर अपील प्राप्त करके उन पर निर्णय सुनाने का अधिकार उच्च न्यायालय को है।
3. उच्च्च न्यायालय की अधिकार सीमा में आनेवाले न्यायालयों के मुकदमा को हस्तांतरित करने और कुछ नियमों का पालन करने, और दस्तावेजों की सुरक्षा से संबंधित मार्गदर्शन उच्च न्यायालय देता है। उनपर निरीक्षण करने का काम भी करता है। इसके साथ कर्मचारियों की नियुक्ति, मूलभूत अधिकारों की रक्षा, विविध प्रकार के रिट, स्वीकार करके उन पर न्याय निर्णय सुनाने का कार्य उच्च न्यायालय करता है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अधीन न्यायालय :

1948 में न्यायालयों का सम्मेलन हुआ। इसमे अधीन न्यायालयों की स्वायत्तता के बारे में आग्रह किया गया। परिणाम स्वरूप संविधान में अधीन न्यायालय उनकी रचना और कार्यक्षेत्र को लागू किया गया। ये न्यायालाय राज्य-राज्यों से थोडे भिन्न होने पर भी उनका मुख्य लक्षण समान्यत : एक जैसा ही होता है। न्यायालयों को दो भागो में विभाजित किया जाता है। वे है-

1. आम नागरिक न्यायालय (सिविल कोर्ट)
2. अपराध संबंधी न्यायालय (क्रिमिनल कोर्ट)

नागरिक न्यायालय : प्रत्येक जिला में यह न्यायालय होता है। जिला न्यायाधीश इसके मुख्य न्यायाधीश बनते है। राज्यपाल के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करते हैं। जिसने राष्ट्र अथवा राज्य के किसी भी न्यायालय में 7 वर्ष सेवा वकील के रूप में कार्य किया हो। वह इस पद के लिए योग्य है। अन्य न्यायाधीश प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त होते हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इस न्यायालय में नागरिक विवाद जैसे जायदाद, भूमि, वित्तीय व्यवहार, शादी, विवाह विच्छेदन आदि मुकदमों को हल किया जाता है। इसके अलावा अधीन न्यायलय के निर्णयों पर अपील स्वीकार करके उन निर्णयों का पुन परिशीलन करने का अधिकार भी इन न्यायालयों की है। जिले के अंतर्गत आनेवाले सभी सिविल न्यायालयों पर जिला न्यायाधीश नियंत्रण रखते हैं।

इस न्यायालय के अधीन निम्नलिखिल न्यायालय है-

अपराध न्यायालय अथवा दंडाधिकार न्यायालाय :

1. अधीन न्यायाधीशों के न्यायालय (Court of Subordinate Judges)
2. (अतिरिक्त) अपर अधीन न्यायाधीशों के न्यायालय (Court of Additional Subordinate Judges)
3. मुन्सिफ न्यायालय (Court of Muncif)
4. अपर अतिरिक्त मुन्सिफ न्यायालाय (Court of Additional Muncif)

अपराध न्यायालय अथवा दंडाधिकार न्यायालाय (Criminal Court): 1 अप्रैल 1974 को अपराध न्यायालय की स्थापना हुई। इसे जिला दंडाधिकरी न्यायालय भी कहा जाता है। ये उच्च न्यायालय के अधीन में रहते हैं। अपराध न्यायालयों में जिला स्तर पर सत्र न्यायालय का स्थान ऊँचा होता है। जिला न्यायाधीश ही इसका भी न्यायाधीश के रूप में काम करता है। खून, लूटमार, डकैती आदी अपराधों से संबंधित मुकद्दमें को सुनवाई होती है। न्यायालय में मृत्युदंड साहित आजीवन सजा दी जा सकती है। ऐसे दंड उच्च न्यायालय से समर्पित होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णय पर उच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है। इसके अधीन में अन्य अपराध न्यायालय हैं।

मुख्य दंडाधिकारी न्यायलाय: इल न्यायालयों की मृत्युदंड अथवा आजीवन दंड देने का अधिकार नहीं है। मात्र सात वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है।

प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को उच्च अधिकार प्राप्त है तीन साल अथवा 10000 रू तक का दंड अथवा दोनों देने का अधिकार है। अधीन न्यायालय के निर्णय के अपीलों का निर्णय सुनाता है।

> **गतिविधि :** अपने निकट के न्यायलय में भेंट कीजिए। वहाँ होने वाले वाद-विवाद का अवलोकन कर शिक्षकों से चर्चा कीजिए।

द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को दो वर्ष से अधिक 5000 रू से अधिक, जुर्माना (दंड) देने का अधिकार है। अथवा दोनों दे सकता है।

तृतीय श्रेणी के दंडाधिकारी न्यायालय: इस न्यायालय को अधिकार सीमा कम है। एक महीने का बंधीकरण अथवा 50 रू तक का दंड । अथवा दोनों दंड एक साथ देने का अधिकार मात्र इस न्यायालय की है। द्वितीय और तृतीय श्रोणी के न्यायालय के निर्णयों की अपीलों को स्वीकार करने का अधिकार इस कोर्ट को नहीं है।

जिला और सत्र न्यायालय वास्तव में एक ही है। दोनों के न्यायाधीश एक ही है। सिविल (नागारिक) विवादों को निर्णय देने में जिला न्यायालय के रूप अपराध सम्बधी मुकद्दमों के निर्णय करते वक्त सत्र न्यायालय के रूप में काम करता है।

राजस्व (भूमिकर) न्यायालय :

हर एक जिले में भूमिकर न्यायालय होता है। ये भूमिकर से संबंधित मुकद्दमों का निर्णय सुनाने है। भू-दस्तावेज, भूमिकर, आदि का निर्णय इस न्यायालय में सुनाया जाता है। इस न्यायालय के अनेक प्रकार हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

तहसीलदार न्यायालय : भूमिकर न्यायालयों में यह निम्नस्तर का न्यायालाय है। तहसीलदार अथवा (तालूक दंडाधिकारी) इसके न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय को तालूक दंडाधिकारी न्यायालय भी कहा जाता है।

जिला उपविभागाधिकारी न्यायालय: तहसिलदार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्वीकृत अपीलों का निर्णय यह न्यायालय सुनाता है। सहायक कमिश्नर (सह आयुक्त) इस न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।

आपको इसकी जानकारी रहे: प्रशासनिक दृष्टि से कर्नाटक में चार विभाग बनाये गये हैं - 1) बेंगलूरु 2) मैसूरु 3) कलबुर्गी 4) बेलगाँव

जिला भूमिकर न्यायालय अथवा जिला सत्र न्यायालय: ऐसे न्यायालय जिला केंद्रों में होते है। उपविभाग अधिकारी और तहासिवदार के निर्णयों पर अपीलों को सुनवाई यहाँ होती है। जिलाधिकारी (Depty Commissioner) इसके न्यायाधीश होते हैं।

आयुक्त न्यायालय: आयुक्त न्यायालय जिला सत्र न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध के अपीलों को स्वीकार करके उनके संबंध में अलोचना करके निर्णय सुनाते है। इसके न्यायाधीश राज्यस्तर के विभागाधिकारी होते है।

भूमिकर समिति : (मंडल) यह भूमिकर मुकदमों से संबंधित उच्च न्यायालय है। अधीन भूमिकर न्यायालय निर्णयों पर के विरुद्ध अपील को स्वीकार करके उस पर निर्णय सुनाने का अधिकार इस न्यायालय की है। राजस्व अधिकारी इसके प्रधान होते हैं। जो उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में काम करते है।

जनता न्यायालय (लोक अदालत): भारत में न्यायावितरण विलंब और खर्चीले है। इसको ध्यान में रखते हुए मुकदमों को शीघ्रतिशीघ्र और कम खर्च में न्याय, निर्णय सुनाने के लिए 1985 में लोक अदालत की स्थापना की गयी। किसी एक निर्दिष्ट प्रकरण में भागीदार दो व्याक्तियों के बीच के विवाद का फेसला करने का काम ऐसी अदालत करती है।

ऐसे न्यायालय गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक आदि राज्यों में कार्यरत है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, सामजिक कार्यकर्ता और युवा कानून स्नातक व्यक्ति इसकी स्थापना के सदस्य है। राज्यउच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में हल न हुए मुकद्दमों को ऐसे न्यायालयों द्वारा निपटा लिया जाता है। इसके तीन प्रमुख गुण है -

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

1. समझौते के लिए तत्पर रहना।

2. यह अति शीघ्र और मितव्ययी होता है।

3. अन्य न्यायालयों के कार्य-भार के दबाव को कम करता है।

इस न्यायालय में वाहन दुर्घटना, भू स्वाधीनता, बैंकिग से संबांधित प्रकरण वैवाहिक और जीवनांश, कार्मिक समस्या आदि समस्याओं का हल होता है। यह न्यायालय जिला कानून सेवा प्राधिकार अथवा तालूक कानून सेवा समिति से बना न्यायालय है। इसमें दो समझौता कराने वाले होते है।

ऐसे लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है उस पर उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। इस निर्णय के लिए दोनों ओर के सदस्य (मुवक्किल) की उपस्थिति अनिवार्य हैं। नागरिक न्यायालय निर्णय के बराबर इस न्यायालय का निर्णय होता है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

अभ्यास :

I. खाली जगहों को उचित शब्दों से भरिए :

1. सर्वोच्च न्यायालय ______________ में अस्तित्व में आया।
2. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जानेवाल विशेषाज्ञों की संख्या __________
3. अपराध न्यायालय ______________ में अस्तित्व में आया।
4. राजस्व (भूमिकर) न्यायालयों में निम्नतर न्यायालय __________ न्यायालय है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर समूह चर्चा करके लिखिए :

5. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति विधान और योग्यताओं के बारे में लिखिए।
6. उच्च न्यायालय के अधिकार कार्यों का विवरण दीजिए।
7. नागरिक न्यायालय के अंतर्गत अधीन न्यायालय कौन कौन से है?
8. जनता न्यायालय (लोक अदालत) की स्थापना का उद्देश्य क्या है? और उनकी स्थापना कब हुई ?

III. क्रिया कलाप :

1. अपने समीप के वकील से मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अधिक जानकारी हासिल कीजिए।
2. अपने निकट के न्यायालय जाकर न्यायालय के कार्य कलापों पर ध्यान देकर उसकी रपट तैयार कीजिए।

IV. योजना :

1. साप्ताहिक पत्रिकाओं में छपे न्यायालय संबंधी लेख पढ़ें और इनका संग्रह कर अलबम तैयार करें।

***

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

समाज शास्त्र

अध्याय 9

परिवार

G9ZZ21

इस अध्याय में निम्न लिकित अंशों की जानकारी पायेंगे।

- परिवार का अर्थ ।
- परिवार के सदस्यों के संबंध ।
- व्यक्ति विकास के चरण ।

परिवार :

भारत की प्राचीन विरासत व्यवस्था है। माता-पिता, बच्चे, पोते-पोतियों के बीच संबंधों की व्यवस्था को 'परिवार'. कहते हैं । परिवार समाज की एक इकाई है । यह एक सेल है। जिससे समुदाय विकसित होकर राष्ट्र का निर्माण होता है।

परिवार भावनात्मक आधार पर खड़ा होता है। मातृप्रेम, पितृवात्सल्य, पति-पत्नी के प्यार, बच्चे पाकर, पालन-पोषण की इच्छा रखते हैं। यही भावनाएँ परिवार का आधार हैं।

एक समकालीन भारतीय परिवार में, माता और पिता निर्णय लेने से पहले अपने बच्चों से परामर्श करते हैं। चीज़े खरीदना हो, उपहार देना हो, बाल अनुशासन से निपटना हो, परिवार के खर्च को निर्धारित करने में, माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिक आधिकारिक भूमिकाएँ निभाने में माँ की समान भूमिका होती है।

पारिवारिक लक्षण :

परिवार सार्वभौमिक है। यह उन सभी सामाजिक प्रणालियों और सामाजिक व्यवस्थाओं का केंद्र है जो हर समय सभी देशों में मौजूद है। परिवारों द्वारा पड़ोस, गाँव, शहर, राष्ट्र निर्मित है । परिवार के सदस्य कम उम्र से ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारी जानने के अलावा सहयोग को समझते हैं। परिवार समाज के रीति-रिवाजों, नैतिकता और व्यवहार को नियंत्रित करता है। परिवार को एक सर्वव्यापी, स्थायी और विरासत में मिली इकाई कहा जा सकता है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे : विवाह एक पवित्र सामाजिक संस्था है क्योंकि इसकी सार्वभौमिक और सर्वव्यापी मान्यता है। माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चों के लिए पारस्परिक अधिकार दायित्वों को सृजन करता है । भारतीय प्रथानुसार पति का कर्तव्य अपनी पत्नी और बच्चों की परवरिश करना और उनकी रक्षा करना है। बच्चों की देखभाल करना और उन्हें शिक्षित करना माता- पिता का कर्तव्य है। भारत में विशेषकर वृद्ध माताओं की देखभाल करना बच्चों का कर्तव्य है।

बचपन और जवानी : किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास के चरणों में बचपन और जवानी महत्वपूर्ण होते हैं । बच्चा न केवल पहले मातृभाषा जानता है, बल्कि बुनियादी सामाजिक विचारों को भी उसकी निकटता से सीखता है। जो बच्चा परिवार और सामाजिक वातावरण में पला-बढ़ा होता है, अपने लिए उपयुक्त विशेषताओं को अपनाता है और समान आयु के बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित होता है। सभी के साथ मिलकर नेतृत्व के गुणों का अपनाता है। सामाजिक दृष्टिकोण, माँग और मानदंड, बच्चे को प्रभावित करके एक सामाजिक संबंध निर्माण कराता हैं। यह जवानी में जारी रहता है और दोस्ती, स्वतंत्रता, सुरक्षा, स्वीकृति के लिए प्रयास करता है। इस आयु वर्ग में विकसित प्रवृत्तियाँ और अभिप्राय जवानी और बुढ़ापे तक जारी रहती हैं।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

परिवार और पीढियों : परिवार कई पीढियों पर आधारित रहा है। परिवार में रक्त संबंधियों की कई पीढियाँ हैं। यह सभी समाजों में पाया जाता है। दादा-दादी पहली पीढ़ी के हैं, माता-पिता दूसरी पीढ़ी के हैं। बच्चे तीसरी पीढ़ी के होते हैं। इस प्रकार परिवारों को पीढ़ीगत सदस्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है।

1. माता-पिता, और बच्चों वाला परिवार। इसे विभक्त / एकल परिवार कहा जाता है। (कम से कम दो पीढ़ी)
2. माता-पिता, बच्चों और पोते-पोतियों के रक्त संबंधियों के परिवार को संयुक्त / विस्तृत परिवार कहते हैं । (Joint Family) (कम से कम तीन से चार पीढ़ी)

परिवार के प्रकार :

परिवार को परिवार के विभिन्न तथ्यों के आधार पर विभाजित किया जाता है। सत्ता के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। इसके आकार के आधार पर एकल और संयुक्त परिवारों के प्रकार पाए जा सकते हैं।

1. **पितृसत्तात्मक परिवार:** पितृसत्तात्मक परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें पिता अपने नाम पर संपत्ति का मालिक होता है और उसका लेन-देन करता है। पितृसत्तात्मक परिवार प्राचीन भारत, चीन, रोम और ईजिप्ट आदि देशों में पहले से अस्तित्व में थे और आज भी मौजूद हैं ।

2. **मातृसत्तात्मक परिवार:** मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार होता है जिस पर माता का स्वामित्व होता है और वह अपने नाम पर संपत्ति का व्यापार व्यवहार कर सकती है। ऐसे परिवार भारत के केरल राज्य के मालाबार में नायर और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ आदिवासी समुदायों में पाए जाते हैं।

3. **आधुनिक केंद्रीय परिवार:** हम परिवारों को परिवार संरचना और पीढ़ियों की संख्या के आधार पर 'केंद्रीय परिवार' और 'विस्तृत परिवार' के रूप में विभाजन करते हैं। जहाँ केवल पिता, माता और उनके अविवाहित बच्चे परिवार के सदस्य होते हैं उस परिवार को केंद्रीय परिवार कहते हैं । केंद्रीय परिवार को मूल परिवार, प्राथमिक परिवार, व्यक्तिगत परिवार, एकल परिवार भी कहा जाता है। आधुनिक समाज में केंद्रीय परिवार तेजी से आम तौर पर अधिक हैं । व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आनंद, स्वयं तृप्ति, संपत्ति का अधिकार, परिवर्तित सामाजिक मूल्य, भौगोलिक और सामाजिक संरचना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, औद्योगीकरण, शहरीकरण, लोकतांत्रिक और समतावादी तथ्य, धार्मिक कमी और धर्मनिरपेक्षता का व्यापक प्रसार, महिला स्वतंत्रता आदि के कारण एकल परिवार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय परिवार की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

1. आधुनिकता
2. जटिलता
3. छोटा आकार
4. ढीला सामाजिक नियंत्रण
5. सदस्यों की अधिक स्वतंत्रता

NOT TO BE REPUBLISHED @KTRS

संयुक्त परिवार :

> **आप ही कीजिए :** अपने परदादा से लेकर वर्तमान तक के वंश की चर्चा करते हुए एक वंशावली मानचित्र बनाइए।

संयुक्त परिवार में पति, पत्नी, बच्चों और पोते-पोतियों की दो से अधिक पीढ़ियाँ होती हैं। आम तौर पर लोगों का एक समूह जो एक ही घर में रहते हैं, एक तरफ रसोई तैयार करते हैं, सामान्य संपत्ति रखते हैं और सामान्य पारिवारिक पूजा पद्धति और विशिष्ट रिश्तेदारों से एक-दूसरे से संबंधित होते हैं।

संयुक्त (अविभक्त) परिवार

NOT TO BE REPUBLISHED

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ :

> **गतिविधि :** अपने दादा के समय में अपने संयुक्त परिवार (पुरुष और महिला) के सदस्यों की संख्या और उनके संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में अपने पिता से संपर्क कीजिए और जानकारी प्राप्त कीजिए।

बड़ा आकार : रिश्तेदार एक ही घर में एक साथ निरंतर बसते हैं। परिवार का आकार बहुत बड़ा होता है।

संपत्ति: परिवार के सभी सदस्य संपत्ति के मालिक हैं। ऐसा स्वामित्व कमाई और धन का उपयोग सामंजस्य के साथ चलता है। संयुक्त परिवार सदस्यों के आपसी सहयोग से चलता है।

इसका मालिक ट्रस्टी का काम करता है। संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण सदस्यों की सहमति से होगी।

आवास - स्थान : परिवार के सदस्य आम तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं। यद्यपि एक पुत्र का अपनी पत्नी के बच्चों के साथ एक अलग परिवार होता है। तो भी वे मूल परिवार के साथ समान संबंध बनाए रखते हैं। उस नए परिवार को संयुक्त परिवार की शाखा मानी जाती है।

गतिविधि: एकल परिवार की वृद्धि के कारण, परिवार में बुजुर्गों की भलाई की कमी हुई है । परिणाम स्वरूप बुजुर्गों को अनाथालयों में रहना पड़ता है। इसलिए संयुक्त परिवार के आदर्शों का पालन करना सबसे अच्छा है। आदर्शों की सूची बनाइए।

रसोई घर : संयुक्त परिवार के सभी सदस्य आमतौर पर एक ही रसोई घर में खाना बनाते और परोसते हैं।

धर्म : आम तौर पर एक संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही धर्म को मानते हैं। भगवान के एक ही रूप की पूजा करते हैं। महत्वपूर्ण संस्कार, प्रवर्तन, व्रत और ओर्ज की पूजा परिवार की दैनिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं।

आत्मनिर्भरता: संयुक्त परिवार स्वयं की लगभग एक पूर्ण इकाई है। यह अपने सदस्यों के जीवन को पूरी तरह से घेर लेता है। इससे उनकी अधिकांश जरूरतों को पूरा करता है। सभी सदस्य काम को बाँट लेते हैं। विभाजन श्रम, आयु और लिंग पर आधारित है।

अधिकार संरचना : संयुक्त परिवार के वरिष्ठ सदस्य को निर्णय लेने का अधिकार होता है। हालांकि वह अधिकार सौंपता है तो यह वरिष्ठता के सिद्धांत पर आधारित है।

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1. समाज की कोशिका ______________ है।
2. पिता ही परिवार का मुखिया हो तो वह परिवार ______________ कहलाता है।
3. केरल के मालाबार के नायरों में __________ परिवार व्यवस्था पाया जाता है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

4. परिवार समाज की एक इकाई है। कैसे?
5. परिवार के प्रकारों के बारे में बताइए ।
6. संयुक्त परिवार से क्या तात्पर्य है?
7. केंद्रीय परिवार किसे कहते हैं ?
8. परिवार की विशेषताएँ क्या - क्या हैं ?
9. किसी व्यक्ति के सामाजिक विकास के चरणों में बचपन और युवावस्था की भूमिका पहचान करें।
10. संयुक्त परिवार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
11. एकल परिवारों के दिन-ब-दिन बढ़ने के कारण क्या हैं?

III. गतिविधियाँ :

1. एकल-संयुक्त परिवारों के लाभ और हानि पर चर्चा करें ।
2. आदिवासी समुदायों की परिवार प्रणाली को जानने के लिए आदिवासी निवास स्थान पर जाएँ।

IV. परियोजनाएँ :

1. मातृसत्तात्मक - पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करें।

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

***

भूगोल शास्त्र

अध्याय 10

E9A2I4

हमारा राज्य - कर्नाटक - प्राकृतिक विभाग

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को सीखेंगे:

- हमारे देश की महानता और विरासत के बारे में।
- 'कर्नाटक' नाम की पृष्ठभूमि और कर्नाटक राज्य का गठन।
- कर्नाटक, क्षेत्र, भूमि और जल निकायों और पड़ोसी राज्यों की भौगोलिक स्थिति।
- कर्नाटक की प्राकृतिक विशेषताएँ।
- कर्नाटक के प्राकृतिक विभाजन।
- हमारे राज्य की पहाडयि़ाँ, सबसे ऊँची चोटियाँ ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

पिछली कक्षा में प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया गया है। अब हम अपने देश कन्नड़, कर्नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। यह भारत के राज्यों में एक आदर्श परिदृश्य है, इसकी समृद्धि, परंपरा और समृद्ध विरासत, विविध इलाकों, वनस्पतियों और जीवों, विभिन्न मिट्टी, नदियों, खनिजों और आबादी में समृद्ध है। साहित्य, कला, संस्कृति, धार्मिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, पवित्र और तीर्थ की भूमि है। हमारा राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन और विश्व विरासत रेखा के लिए प्रसिद्ध है।

नाम पृष्ठभूमि: कर्नाटक नाम का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसे करुनाडू (कर + नाडू का अर्थ काली मिट्टी) कहा जाता था। यह ज्ञात है कि कर्नाटक तमिल के 'शिलाप्पदिकारम' प्राचीन कृति में 'करुनाट' शब्द से लिया गया है। करुनाट का अर्थ है उच्च या उच्चतर की भूमि। नृपतुंगा के काव्य कवि श्रीविजय की अलंकार, कविराजमार्ग में इसका उल्लेख है कि यह पूर्व में कावेरी नदी से गोदावरी नदी तक फैली हुई थी। आजादी के बाद भारत कई राज्यों में बंट गया। 1956 में राज्यों के पुनर विंगडन अधिनियम के तहत 1956 नवंबर 1 को 'महान मैसूर राज्य' अस्तित्व में आया, जब बॉम्बे, हैदराबाद, मद्रास और कोडगु के कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के क्षेत्रों को एक भाषाई प्रांत में मिला दिया गया। राज्योत्सव हर साल नवंबर के महीने में इसके स्मरणार्थ मनाया जाता है। कन्नडिगों की

इच्छा के अनुसार 1 नवंबर, 1973 को हमारे राज्य का नाम बदलकर ‘कर्नाटक’ कर दिया गया।

भौगोलिक स्थिति :

कर्नाटक भारत के 28 राज्यों में से एक है। यह भारत के दक्षिण में और प्रायः द्वीप के पश्चिमी केंद्र में स्थित है। यह 11°- 31' और 18°- 45' ‘उत्तरी अक्षांश, और 74°- 12' और 78°- 40' पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। बीदर जिले के सबसे उत्तरी सिरे से औराद तालुक तक, चामराजनगर जिले का दक्षिणी छोर कुल 750 कि.मी. लंबा है। पश्चिम से पूर्व की ओर 400 कि.मी. चौड़ा है। कारवार उत्तर कन्नड़ जिले के पश्चिमी भाग में स्थित है और कोलार जिले के मुलबागिलु तालुक के पूर्वी छोर पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में भूमि और जल निकाय दोनों शामिल हैं। कर्नाटक पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडू, दक्षिण पश्चिम में केरल और उत्तर पश्चिम में गोवा है। कर्नाटक आकार में काजू जैसा दिखता है।

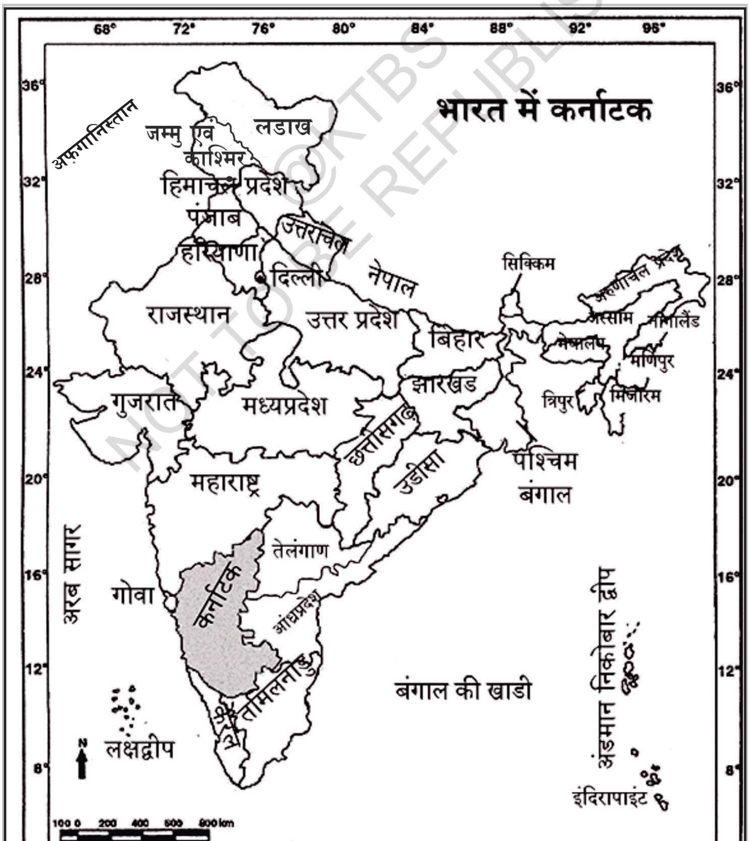

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

विस्तार : विस्तार में कर्नाटक राज्य का क्षेत्रफल 1,91,791 वर्ग कि.मी. है। भारत के आठवें सबसे बड़े राज्य और 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की जनसंख्या 6,10,95,297 है और जनसंख्या में नौवें स्थान पर है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कर्नाटक का क्षेत्रफल 5.83% भाग है।

> **ज्ञात रहे :** संविधान के अनुच्छेद 371(J) के तहत कल्याण कर्नाटक के जिन जिलों को केंद्र सरकार ने विशेष दर्जा दिया है वे हैं - बीदर, रायचूर, कलबुर्गी, कोप्पल, यादगिरी, बल्लारी और विजयनगर.

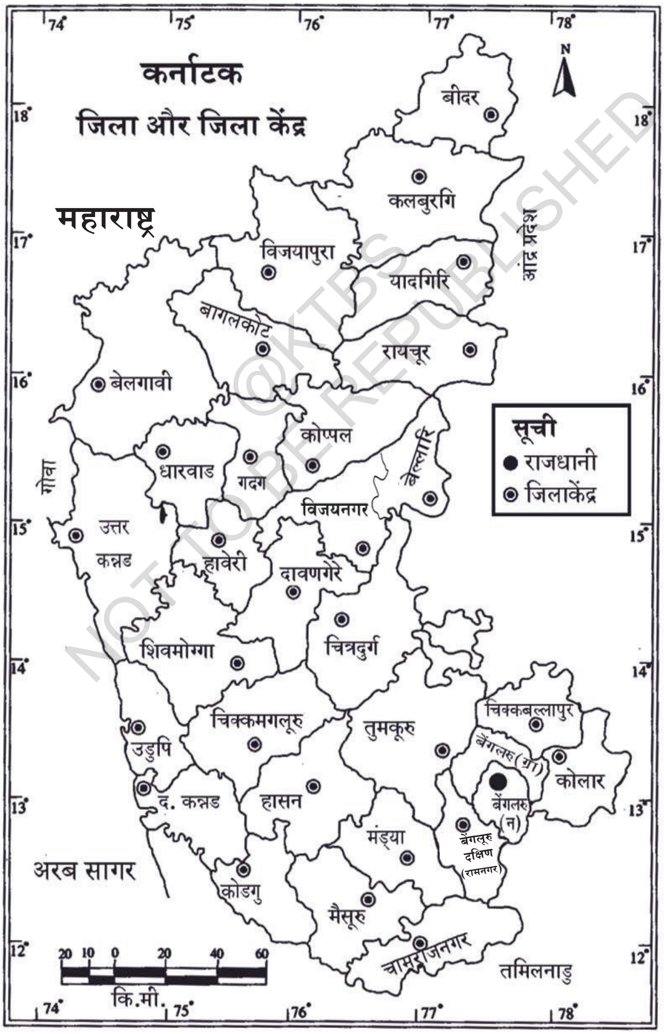

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कर्नाटक के जिला और जिला केंद्र

आज हमारे राज्य में 31 जिले हैं। इन जिलों में 239 तालुका, 745 कस्बे, 347 शहर, 29483 गाँव हैं। बेलगावी जिला क्षेत्र में सबसे बडा है और बैंगलूरु शहर सबसे छोटा जिला है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से, कर्नाटक को चार कर वर्गीं में विभाजित किया गया है। ये; बैंगलूरु, मैसूर, बेलगावी और कलबुर्गी विभाग हैं।

प्राकृतिक विभाग :

कर्नाटक राज्य भारत के प्रायःद्वीप का एक अंश होने के साथ-साथ विविध प्राकृतिक लक्षणों से परिपूर्ण है। इसका दक्षिणी भाग उतार चढाव युक्त भूमि है तो उत्तरी भाग विशाल मैदानी सीमा वाला है। समुद्र तटीय प्रदेश तथा पर्वतीय प्रदेशों की भूमि इसके विपरीत है। पूर्वी भाग साधारण ढलवाँ तथा पश्चिमी क्षेत्र तीव्र ढलाऊ है। यत्र-तत्र लगातार पहाडी भूमि है। बीच-बीच में तराई का मैदान है। राज्य का बहुत सा भाग समुद्र-स्तर से 450 से 900 मीटर ऊंचा है। कुछ भागों में यह ऊँचाई 1800 मीटर तक भी है।

भू-रचना तथा बाह्य लक्षणों के आधार पर कर्नाटक को तीन प्राकृतिक विभागों में बाँटा जा सकता है। 1) समुद्र तटीय प्रदेश 2) पर्वतीय प्रदेश 3) मैदानी प्रदेश।

1) समुद्र तटीय प्रदेश :

तटीय प्रदेश भाषाई विभाजन के परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य समुद्री तट तथा तटीय मैदानी भाग से युक्त है। यह प्राकृतिक विभाग अरब सागर से पर्वतीय प्रदेशों वाला है, तो दक्षिण में मंगलूरु, उत्तर में कारवार तक 320 कि.मी. लम्बा तटीय मैदान है। इसकी चौड़ाई 12 से 64 कि.मी है दक्षिणी भाग में तथा उत्तर में संकरा होते हुये खडे ढलाऊ भाग वाला है। समुद्र स्तर से इस भूमि की ऊँचाई 200 मीटर से अधिक है। यह भाग कर्नाटक का तटीय प्रदेश या 'केनरा' तटीय भाग कहलाता है। तटीय प्रदेशों के कटाव के कारण निर्मित इन भागों से हो कर कुछ नदियाँ तेजी से बहती है जो समुद्री ताल (अनूप, लैगून) का निर्माण करती हैं। किन्तु विशाल नदी मुहानों का निर्माण नहीं कर सकतीं।

तटीय प्रदेशों में अनेक बन्दरगाह हैं। उनमें 'नव मंगलूरु' कर्नाटक का सबसे बड़ा बन्दरगाह है। भटकल, मलपे, कारवार, कुमटा, बेलेकरे, तथा होन्नावर मछली पकड़ने के बन्दरगाह हैं। यहाँ स्थित अनेक सुन्दर समुद्री तट प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। उनमें मंगलूर के निकट सोमेश्वर बीच (तट), पणंबूर, उल्लाल, उडुपि के निकट मलपे, कारवार, होन्नावार के निकट मुरुडेश्वर, मरवंते तथा गोकर्ण के निकट ओम बीच (तट) प्रमुख है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

इन समुद्र तटीय प्रदेशों के निकट अनेक छोटे-छोटे द्वीप भी हैं। उनमें सेन्ट मेरीस द्वीप (कोकोनट द्वीप) कारवार के निकट अंजा द्वीप, देवगढ, कांजीगुड्डा द्वीप आदि प्रमुख है। तटवर्ती प्रदेशों में लोगों की प्रमुख वृत्ति मत्स्यपालन है। इसके साथ साथ वे कृषि भी करते हैं। यहाँ काजू, नारियल, सुपारी, इलाइची, धान जैसी प्रमुख फसलों की उपज की जाती है। दक्षिण कन्नड, उडुपि तथा उत्तर कन्नड तटवर्ती क्षेत्रों के प्रमुख जिले हैं।

2. पर्वतीय प्रदेश :

हमारे राज्य के पश्चिमी घाटों को ही पर्वतीय प्रदेश (मलेनाडु) कहा जाता है। इसे 'सहयाद्रि पर्वत' के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रदेश उत्तर दक्षिणी भाग में तटवर्ती प्रदेश में सामानांतर विस्तृत है। पश्चिमी भाग में खडी ढलान है। पूर्वी भाग की ओर क्रमशः ढलान बढती जाती है। इस कारण इन्हें घाट कहा जाता है। इस भाग की लम्बाई 650 कि.मी. तथा चौड़ाई 50 से 76 कि.मी.है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 900 से 1500 मीटर है। यह घाट अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं को रोककर 200 से.मी. से भी अधिक वर्षा प्रदान करता है। यहाँ का सबसे ऊँचा शिखर 'मुल्लयनगिरि' तथा कुद्रेमुख, कल्हतगिरि, रुद्रगिरि, देविरम्मनगुड्डा आदि अन्य चिकमगलूर जिले में हैं । इसके अतिरिक्ति बल्लालरायन दुर्गा, मेर्तिगुड्डा, पुष्पगिरि, कोडचाद्रि, पश्चिमी घाट के अन्य उन्नत शिखर हैं। इनमें मुल्लयनगिरि (1913 मी) राज्य का सर्वोच्च शिखर है ।

ज्ञात रहे :
- कर्नाटक का बृहत द्वार नवमंगलूरु बंदरगाह है।
- सेंटमेरीस द्वीप को स्थानीय लोग 'तोन्सेपार' कहते हैं ।
- मुरुडेश्वर के निकट नेत्राणी द्वीप है। यहाँ कबूतर अधिक होने के कारण इसे 'पिजन आइलैण्ड' कहा जाता है ।

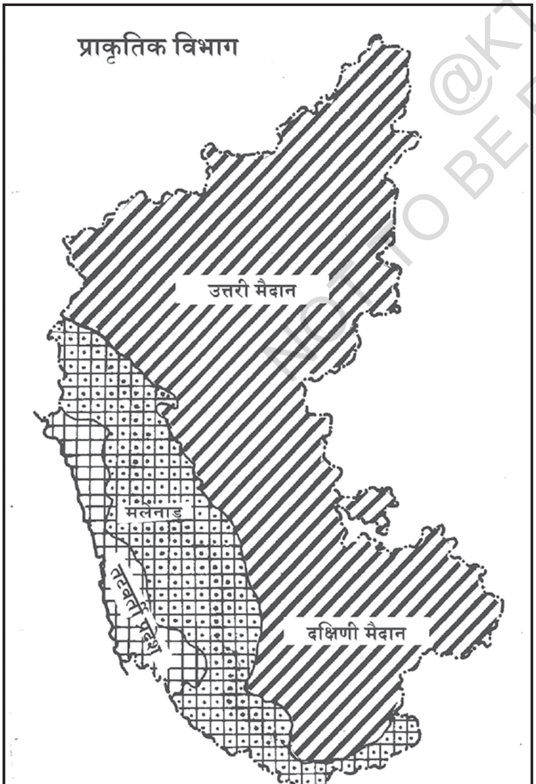

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

पर्वत घाटी

कर्नाटक के पूर्वी मैदान से पश्चिमी घाट के पर तटवर्ती मैदान की ओर जाने वाला मार्ग पर्वत घाटीय मार्ग कहलाता है । प्रमुख घाटी के मार्ग निम्नलिखित है :

1. चारमाडी घाटी : मंगलूरु तथा चिक्कमगलूरु के मध्य सम्पर्क मार्ग ।
2. शिराडी घाटी : हासन-सकलेशपुर मंगलूरु के मध्य सम्पर्क मार्ग ।
3. आगुंबे घाटी : शिवमोग्गा तथा उडुपि के मध्य सम्पर्क मार्ग ।
4. हुलिकल घाटी : शिवमोग्गा - कुंदापुर के बीच सम्पर्क मार्ग ।

ये पहाडी प्रदेश अधिक वर्षा वाले सदाबहार हरित वन हैं तथा मनोहारी है। यहाँ कर्नाटक की कई नदियों का उद्गम होता है। ये नदियाँ यहाँ से ढलान की ओर तेजी से बहती हुयी अनेक जलप्रपातों का निर्माण करती है। भारत का सर्वोच्च जोग जल प्रपात (शरावती नदी) तथा ऊँचल्लि, मागोडु, गोकाक, शिवनसमुद्र, अब्बि जलप्रपात मुख प्रपातों में गिने जाते है। इसके साथ-साथ यहाँ कई घाटियों और गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। यहाँ कॉफी, चाय, रबड के बागान, मसालों के पदार्थों को काफी उपज की जाती है। कॉफी के अत्यधिक उत्पादन के कारण चिकमगलूर को 'कॉफी प्रदेश' कहा जाता है। कोडगु जिले में शीत जलवायु के कारण इसे 'कर्नाटक का कश्मीर' कहा जाता है। यहाँ संतरेका उत्पादन अधिक होने के कारण इसे 'संतरा प्रदेश' भी कहा जाता है। आज भी इन पहाडी प्रदेशों की रक्षा 'जीववैविध्य प्रदेश' के तौर पर की जा रही है। हासन, कोडगु, शिवमोग्गा और चिकमगलूरु पहाडी प्रदेशों के जिले हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. मैदानी प्रदेश :

पर्वतीय प्रदेश के पूर्वी भाग में मैदान भाग हैं। ये लगभग 450 से 760 मीटर ऊँचा है। यह प्रदेशा कृष्णा, तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों से परिपूर्ण है। अनेक छोटे-बडे पहाडो की आवलियाँ देखी जा सकती हैं। ये पहाडी के क्षेत्र पूर्व की ओर ढलाऊ होते जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर इनकी ऊँचाई बढ़ती जाती है। इस मैदानी भाग को दो भागों में विभक्त किया जाता है। (1) उत्तरी मैदान (2) दक्षिणी मैदान

> **गतिविधि :** आपका जिला किस प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत आता है । आपके जिले के पडोसी जिलों का नामाँकन कीजिए और विशेष लक्षणों की सूची बनाइए ।

(i) उत्तरी मैदान : यह काली मिट्टी का मैदानी प्रदेश है। तथा विस्तृत उपजाऊ भूमि वाला प्रदेश है। यह समुद्री स्तर से लगभग 365 से 610 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ-वहाँ पहाडी स्थानभी दिखाई पड़ते है। इनमें नरगुंदा पहाड, परसगड पहाड, इलकल पहाड प्रमुख हैं। सवदत्ती और बादामी के पूर्वी भाग में चूना-पत्थर से निर्मित कुछ भाग भूस्खलन के कारण काफी उतार चढाव वाले भाग हैं। लगभग 52 मीटर की ऊँचाई से गिरने वाली घटप्रभा नदी का गोकाक जल प्रपात यहाँ प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त छाया भगवती और सोगल जलप्रपात उत्तरी मैदानी भाग में है। बीदर, विजयपुर, कलबुर्गी, यादगिरि, गदग, कोप्पला, रायचूर, बल्लारी, हावेरी, बागलकोट जिले और धारवाड तथा बेलगावी के कुछ भाग उत्तरी मैदान में आते हैं। गर्मियों (उष्णकाल) में अधिक गर्मी होने के कारण इसे 'गरम प्रदेश' कहा जाता है। सूखी कृषि के अनाजों में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, रूई, अनाजों की पैदावार होती है।

मुल्लयन गिरि

अखंड शिलापर्वत्त - मधुगिरि

NOT TO BE REPUBLISHED
© KTBS

(ii) दक्षिणी मैदान: यह उत्तर में तुंगभद्रा नदी के प्रांतीय भाग से दक्षिण के चामराज नगर जिले तक फैला हुआ है। यह काफी लाल मिट्टी वाला उपजाऊ भूमि वाला प्रायःद्वीप प्रदेश है। यह प्रदेश ऊँची नीची भूमियुक्त 900-975 मीटर ऊँचाई वाला भाग है। उत्तरी मैदान से पूर्व की ओर ढलाऊ हैं। यहा अनेक पहाड जैसे- नारायण दुर्गा, शिवगंगा, सावन दुर्गा मुख्य है। तुमकुरु जिला के मधुगिरि अत्यंत ऊँचा एकशिला से निर्मित पहाड है। चिक्कबल्लापूर जिले का नंदीगिरिधाम, कवले दुर्गा और स्कंधगिरि (हरिहरेश्वर पहाड) मंड्या जिले का आदिचुंचनागिरि पहाड, चामराजनगर जिल का बिलिगिरिरंगा पहाड, मलैमहादेश्वर पहाड, गोपालस्वामी पहाड़, मैसूर का चामुंडी पहाड़ प्रमुख है। ये प्रदेश वर्षायुक्त प्रदेश है। कावेरी, पालार, पेन्नार, यहाँ बहनेवाली प्रमुख नदियाँ है। रागी, धान, ईख (गन्ना),

मूंगफली, शहतूत, सब्जी, फल-फूल आदि यहाँ की प्रमुख उपज है। बेंगलूर नगर, बेंगलूर ग्रामांतर, बेंगलूरु दक्षिण (रामनगर), दावणगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकूरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, मंड्या, मैसूर, चामराज नगर जिले दक्षिणी मैदान में हैं।

क्रियाकलाप :
आपने जिले के प्राकृतिक वैविध्य के बारे में एक टिप्पणी लिखिए ।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही शब्दों से कीजिए :

1) कन्नड राज्योत्सव ____________ तारीक को मनाया जाता है।
2) कर्नाटक का पुनर्नामकरण ____________ में हुआ है।
3) कर्नाटक के पूर्वी भाग में ____________ राज्य हैं।
4) कर्नाटक का ____________ जिला विस्तार में बड़ा है।
5) कर्नाटक भारत के ____________ भाग में है।
6) मल्पे के निकट ____________ द्वीप है।
7) कर्नाटक के पश्चिमी घाट को ____________ पहाडियों के नाम से जाना जाता है।
8) आगुंबे घाटी ____________ और ____________ स्थानों को जोड़ती है।
9) 'कर्नाटक का कश्मीर' ____________ जिले को कहा जाता है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह चर्चा करके द्वारा लिखिए :

10) कर्नाटक के अक्षांश और देशांतर के विस्तार के बारे में लिखिए।
11) हमारे पडोसी राज्यों के नाम लिखिए।
12) कर्नाटक के चार राजस्व विभाग कौन-से हैं?
13) भारत में कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखिए।
14) कर्नाटक के प्रमुख प्राकृतिक विभागों का विवरण दीजिए।
15) पर्वतीय प्रदेश के लक्षण का विवरण दीजिए।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

16) कर्नाटक के तटीय मैदानी भाग का विवरण दिजिए।

17) दक्षिणी मैदान के प्रमुख पहाड़ों के नाम लिखिए।

18) पश्चिमी घाट के प्रमुख घाटों को बताइए।

III. सही जोडे बनाइए:

अ	आ
i) जोग जल प्रपात	अ) मंगलूर
ii) ओम (बीच) समुद्रीतट	क) उत्तरी मैदान
iii) नंदी गिरिधाम	ज) शरावती नदी
iv) एकशिला पहाड	ग) गोकर्ण
v) गर्म प्रदेश	घ) चिक्कबल्लापुर
	च) मधुगिरि पहाड़

IV. गतिविधियाँ :

i) कर्नाटक का मान चित्र बनाकर जिलों को नामांकित करें और अक्षांश - देशांतर को सूचित करें।

ii) पर्वतीय प्रदेश और तटीय प्रदेशों के जिलों को कर्नाटक के नक्शे में नामांकित करें तथा कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपातों का चित्र संग्रह कीजिए।

V. प्रदत्त कार्य :

अपने जिले / नगर का मानचित्र तैयार कर अक्षांश और देशांतर प्रदर्शित करें। पडोसी जिले या अन्य प्रदेशों को अपने अध्यापक की सहायत से मानचित्र में प्रदर्शित करें।

***

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 11

कर्नाटक की प्राकृतिक विविधता

H8F9P3

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी होगी -

- कर्नाटक की जलवायु के प्रमुख लक्षण।
- कर्नाटक की मौसम सम्बंधी जलवायु, स्थिति।
- कर्नाटक की मौसमी वर्षा वितरण और परिणाम।
- कर्नाटक के मिट्टी के प्रकार और वितरण।
- कर्नाटक के प्राकृतिक पेड-पौधे, उसके प्रकार, वितरण और जीवजन्तु।

कर्नाटक की जलवायु :

कर्नाटक में उष्ण मंडल की मानसूनी जलवायु है। अधिक ताप और आद्रता युक्त गर्मी तथा शीत और शुष्क सर्दी का मौसम इस जलवायु के प्रमुख लक्षण हैं। फिर भी जलवायु में विविधता है। इस भौगोलिक स्थान में समुद्र की निकटता, भूस्वरुप, पेड़-पौधे और मानसूनी हवाओं, उष्णांश औरवर्षा का वितरण सम्पूर्ण राज्य में एक जैसा नहीं होता।

जलवायु की ऋतुएँ : भारत के अनुसार कर्नाटक की वार्षिक जलवायु को चार भागों में बाँटा जा सकता है ।

1) ग्रीष्म ऋतु (मार्च - मई)
2) वर्षा ऋतु (जून - सितंबर)
3) मानसूनी हवाओं निर्गमन काल (अक्तूबर - नवंबर)
4) शीत ऋतु (दिसंबर - फरवरी)

ग्रीष्मऋतु : इस ऋतु में जलवायु अधिकता शुष्क और गर्मी से युक्त होती है। मार्च के महीने के बाद पूरे राज्य में उष्णता समान रूप से बढ़ती है। अप्रैल-मई के महीने में वह गरिष्ठ स्तर (चरमसीमा) पर पहुँच जाती है। रायचूर में सामान्यतः प्रतिवर्ष 45.6^0 सेंटिग्रेड उष्णांश तापमान नापा गया यह हमारे राज्य का अधिक उष्णांश प्रदेश है। उत्तरी मैदान के अन्य जिलों में भी उष्णांश अधिक होता है। संक्षेप में इस अवधि में सम्पूर्ण कर्नाटक अधिक ताप युक्त होता है। उत्तरी मैदान में आद्रता का स्तर (सीमा) दक्षिणी मैदान से

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

कम होता है। गर्मियों में आधिक बाष्पीकरण से वर्षा के बादल का निर्माण होता है। और इससे बिजली का चमकना, कडकना, बादल गरजना, कोलाहल युक्त बूंदाबांदी वर्षा होती है। कुछ स्थानों पर ओले भी पडते हैं। यह सामान्यत: दोपहार के समय थोडे समय के लिए होती है। यह वर्षा कहवा (कॉफी) के पौधे के फूल खिलने के लिए अनुकूल होती है इसलिए इसे कॉफी के 'फूल की वर्षा' के नाम से जाना जाता है। आम की फसल (उपज) के लिए भी अनुकूल होने के कारण इसे 'आम की पुकार' (माविनहुयलू) भी कहा जाता है। इस काल में राज्य की कुल वर्षा का 7% भाग बरसता है।

2. वर्षा काल (ऋतु): इसे दक्षिण पश्चिमी हवाओं का काल कहा जाता है। अरब सागर से होकर चलने वाली आर्द्र हवाओं को पर्वतीय क्षेत्र के घाट रोककर अधिक वर्षा करते हैं। पूर्व की ओर जाते जाते इस वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इस प्रकार पूर्व का मैदान वर्षा युक्त प्रदेश के रुप में सामने आता है। आगुंबे अधिक वर्षा का स्थान है। इसे दक्षिण का चेरापूँजी कहा जाता है। भागमंडल और हुलिकल अधिक वर्षा वाले अन्य क्षेत्र हैं। चित्रदुर्गा में चल्लेकेरे के निकट नायकन हट्टी अत्यंत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। इस समय पूरे राज्य में उष्णांश अधिक होता है और साथ ही आद्रता भी अधिक होती हैं। घने बादल घिरे होते है।इस मौसम में कर्नाटक में 80 प्रतिशत वर्षा होती है। राज्य के खरीफ की फसल के लिए यह काल अनुकूल होता है।

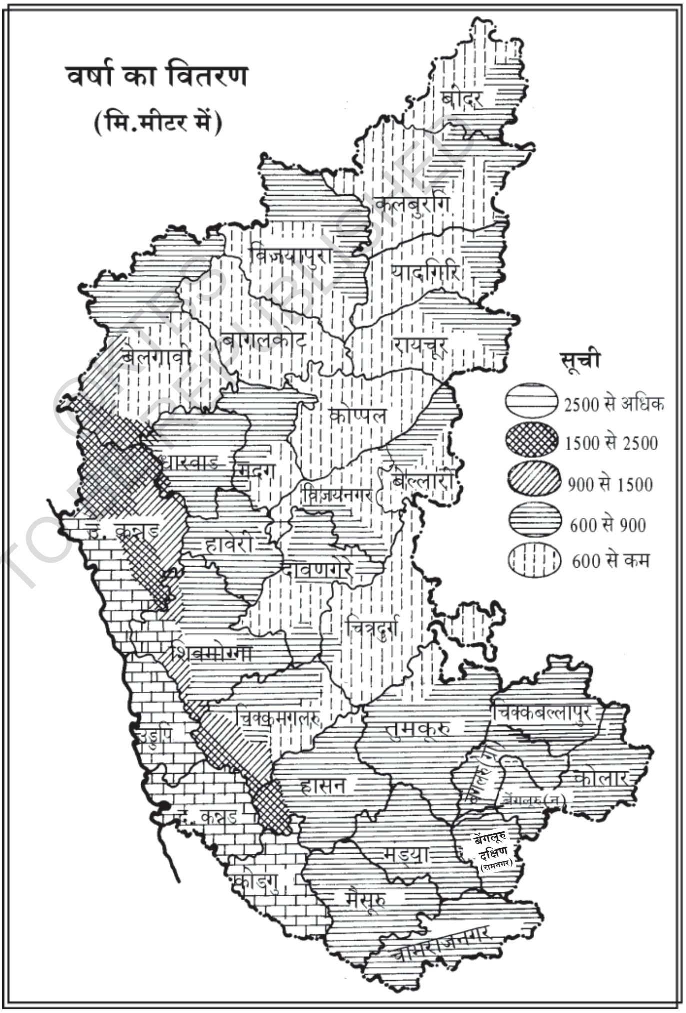

3. मानसून हवाओं का निर्गमन काल : इसे उत्तरी-पूर्व मानसून हवाओं का काल भी कहा जाता है। उत्तरी भारत में उष्णांश कम होकर तापमान के दबाव के बढ़ने से पश्चिमी दक्षिण मानसून हवाएँ उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर बहते हुए चली जाती हैं। भू-भाग से चलनेवाली ये हवाएँ वर्षा नहीं करती। लेकिन बंगाल की खाड़ी की ओर से बहने पर यहाँ से आने वाली तूफानी हवाओं के प्रभाव से नवंबर - दिसंबर के महीनों में यहाँ वर्षा होती है । इस काल में वर्षा का 12 प्रतिशत भाग राज्य में बरसता है। इस अवधि में मौसम की स्थिती अनिश्चितता होती है।

क्रियाकलाप : ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु में आपको कौन-सी ऋतु पसंद है और क्यों ?

4. शीत काल : (ऋतु) इस काल में कम उष्णांश, कम आद्रता, कम वर्षा और स्वच्छ आकाश युक्त जलवायु होती है। उष्णांश लगभग 25 से 27 सेल्सियस तापमान होता है। जनवरी अत्यं क्रम उष्णांश नापा जाने वाला महीना होता है। इस मास को 'कर्नाटक का प्रवास मास' माना जाता है। तब बेलगावी में उष्णांश कम से कम 6.7 सेल्सियस होता है। उत्तरी जिलों में निम्नतम उष्णांश होता है। उदा : विजयापुरा, कलबुर्गी और बीदर में शीतकाल कम है। जैसे राज्य के कुल वर्षा में 1% भाग बरसता है। कभी-कभी प्रातःकाल कुहरा (कुहासा) भी छाया रहता है।

वर्षा का वितरण : पर्वतीय प्रदेश और तटीय प्रदेश अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पूर्वी भाग के मैदानी कम वर्षा वाले प्रदेश हैं। असंगत और असमान वर्षा के वितरण से राज्य में जब-तब अकाल और बाढ़ का प्रकोप होता है।

कर्नाटक की मिट्टियाँ :

भूमि पर स्थित पतली परत ही मिट्टी है। कृषि के विकास के लिए उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। कर्नाटक में विविध प्रकार की मिट्टियाँ हैं। उन्हें चार प्रकारों में बाँटा गया है - 1) लाल मिट्टी 2) काली मिट्टी 3) मखरैल मिट्टी 4) तटीय जलोढ़ मिट्टी।

1) लाल मिट्टी : यह ग्रेनाइट, नीस शिलाद्रव्य द्वारा निर्मित लौह ऑक्साइड युक्त होने के कारण यह लाल रंग का होता है। इस मिट्टी में अधिक मात्रा में चूना और लवण के अंश और सावयव अंश कम होता है। बहुत हल्की पतली परत वाली यहा मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है। आद्रता बनाए रखने की क्षमता इसमें कम है। इस मिट्टी में रागी, साँवाँ, बाजरा,

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कोदों, ज्वार, तंबाकू, द्विदलधान्य, मूंगफली जैसे वर्षा पर आधारित फसलों की उपज की जा सकती है। सींचाई की सुविधा के क्षेत्र में धान, ईख, आलू, सब्जियाँ, केला, नारियल, सुपारी आदि उत्पादन के लिए यह अनुकूल है। तुमकूरू, बैंगलूरु, बेंगलूरु दक्षिण (रामनगर), चिकबल्लापुर, कोलार, चामराजनगर, मंड्या और मैंसूरु जिलों में यह मिट्टी अधिकतम दिखाई देती है।

2) काली मिट्टी: यह बेसाल्ट पत्थर की शिथिल अवस्था से निर्मित है इसमें अधिक मात्रा में मेग्नीशियम, अल्युमीनियम और लौह आक्साइड होता है। इस प्रकार इसका रंग काला है। इसे मकाली मिट्टी अथवा काली रूई की मिट्टी (ब्लैक कोटन सॉयल) कहा जाता है। इस मिट्टी में अधिक दिनों तक आर्द्रता (नमी) को बनाए रखने की क्षमता है। इस मिट्टी में रुई, ज्वार, सूरजमुखी, मिर्च, मक्का,आज, अनाज, ईख, प्याज और धान की उपज की जाती है। यह मिट्टी उत्तर कर्नाटक के जिलों में व्यापक रूप से देखी जा सकती है। धारवाड, गदग, बल्लारी, कोप्पल, कलबुर्गी, यादगिरि. बागलकोटे, बेलगावी, चित्रदुर्गा तथा चामराजनगर जिलों में काली मिट्टी का विस्तार हुआ है।

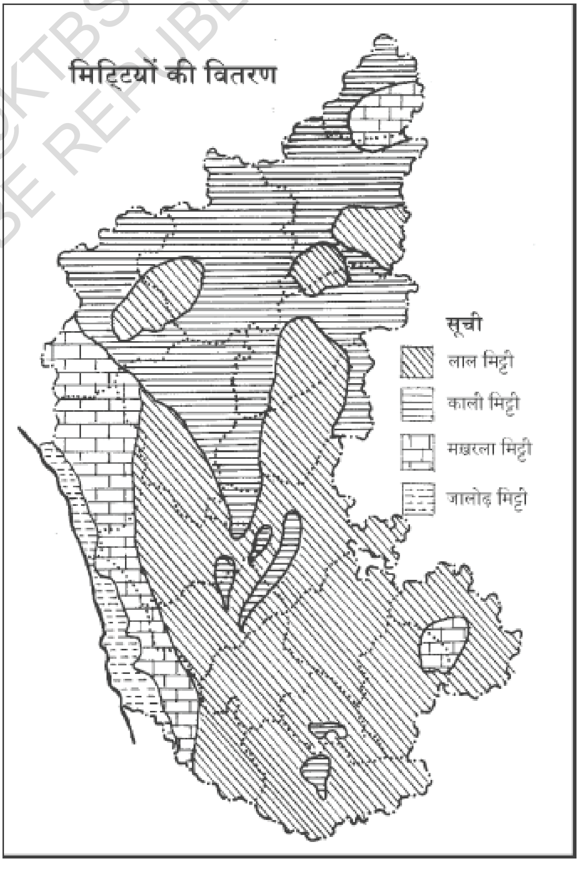

3) जलोढ़ मिट्टी: अधिक उष्णांश और (लेटेराइट) अधिक वर्षा वाले भाग में इस प्रकार की मिट्टी पायी जाती है। पानी में गलने वाले चूना और सिलिकेट वर्षा के पानी में मिलकर तली में मिट्टी के स्तर तक पहुँचता है। न गलने वाला लौह और अल्यूमीनियम ऊपरी सतह पर मुलायम होकर, गर्मी में सूख कर कठोर हो जाता है और लेटेराडट पत्थर बन जाता है। उसे भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। इस मिट्टी में काजू, कहवा (कॉफी), चाय, इलाइची, कालीमिर्च, रबड, नारियल

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आदि फसलों की उपज की जाती है। उत्तर कन्नड, उडुपि, दक्षिणकन्नड, कोडगु, चिक्कमगलूरु, शिवमोग्गा, बेलगावी आदि पर्वतीय प्रदेशों के जिलोमें अधिकतर काली मिट्टी का विस्तार है।

4) जलोढ मिट्टी: नदी, समुद्र की लहरों द्वारा (अल्यूवियल, कछारी) ढोकर लायी गई मिट्टी समुद्र तट पर एकत्र होकर इसका निर्माण करती है। इस प्रकार राज्यके तटीय क्षेत्रों उडुपि, दक्षिण कन्नड और उत्तर कन्नड जिलों में यह मिट्टी देखी जा सकती है। इस में बालू और जलोढ़ मिट्टी के मिश्रण के साथा सडे-गले जैविकांश (पोटाश) समृद्द रूप से होते हैं । धान, काजू, नारियल, सुपारी, केला आदि की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है।

प्राकृतिक पेड-पौधे :

प्राकृतिक रूप से उगनेवाले विविध पेड-पौधों के समुदाय को प्राकृतिक पेड़-पौधे कहा जाता है। कर्नाटक विविधता और समृद्ध वनस्पति संसाधन से युक्त है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में पेड-पौधों का महत्वपूर्ण स्थान है। पेड-पौधों से लकडी, हाथ की कारीगरी के लिए कच्चा माल, ईंधन, जडी-बूटी, शहद, बाँस, बेंत आदि प्राप्त होता है। ये जंगल (कानन) जानवरों का निवास स्थान हैं। हाथी, चीता, शेर, बाघ, जंगली भैंस, हिरन, मोर कर्नाटक के जंगलों में ये जानवर देखे जा सकते हैं। इनसे मनोरंजन और प्रवास केंद्र का विकास होता है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित करता है।

कर्नाटक के जगलों में चंदन वृक्ष प्राप्त होते हैं। इनसे सुगंधित द्रव्य, सूक्ष्म कार्य के लिए कुशल उत्तम वस्तु, साबुन औषधि आदि तैयार की जाती हैं। ये विश्व विख्यात होने के साथ साथ देश की अधिकतम माँग को ही पूरा नहीं करते बल्कि विदेशों को भी निर्यात किए जाते हैं। इसलिए कर्नाटक 'चंदन के प्रदेश' नाम से प्रख्यात है।

पेड-पौधों के प्रकार :

वर्षा का अनुपात, भूमिका स्वरुप और मिट्टी के लक्षण के आधार पर कर्नाटक इस प्रकार विभाग किया जा सकता है - 1) सदाबहारी जंगल 2) पतझडी (पर्णपाती) पेड-पौधे 3) मिश्रित जंगल 4) नाटे अथवा घास का मैदान (टंड्रा)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1) सदाबहारी जंगल : मुख्य रूप से 250 से.भी अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ऐसे जंगल पाए जाते हैं। अधिक वर्षा और अधिक गर्मी के कारण यहाँ वृक्ष ऊँचे और घने होते हैं। ये वन घने होने के साथ-साथ यहाँ कुछ स्थानों पर सूर्य की किरणें भूमि तक नहीं पहुँच पाती। यहाँ मुख्य रुप से सीसम, सागौन, (नंदी) पुन्नाग, आदि ऊँचे ऊँचे वृक्ष पाए जाते हैं। पेडों के नीचे घनें झाड और पौधे उगते हैं। अनेक प्रकार के मसाले, लौंग, इलाइची, दालचीनी, औषधि के पौधे आदि बहुलता से उगते हैं। ऐसे वन उत्तर-कन्नड, उडुपी, दक्षिणकन्नड, शिवमोग्गा, हासन, चिक्कमगलूरु, चामाराजनगर, कोडगु जिलों में देखे जा सकते हैं।

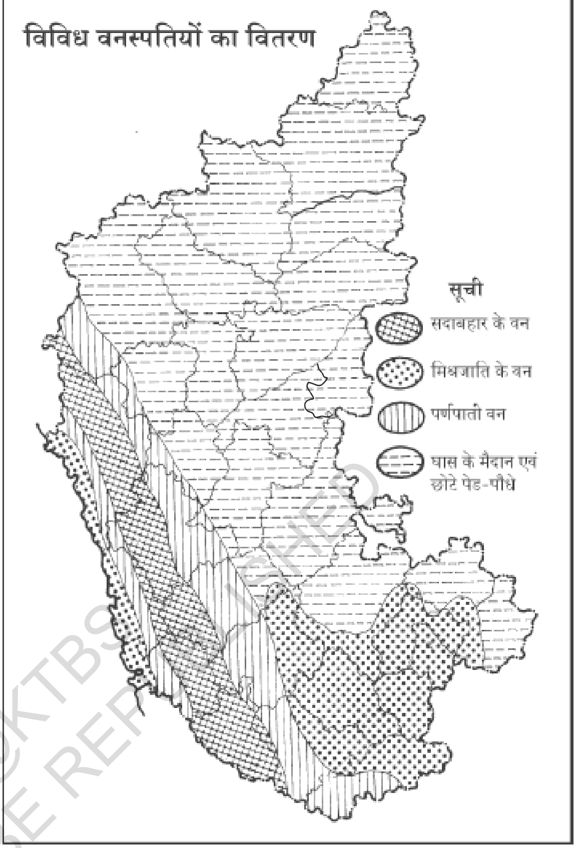

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2) पर्णपाती वन : शरत ऋतु के बाद आर्द्रता (नमी) की कमी के कारण वृक्षों के पत्ते झडने लगते हैं । इन्हें 'पर्णपाती (पत्तों का झडना) वन' कहा जाता है। 60-120 से भी अधिक वार्षिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ ऐसे वृक्ष देखे जा सकते हैं। ऐसे वन चिकमगलूरु, मैसूरू, चामराजनगर, हासन जिलों के पूर्वी भाग, तुमकूरु, चिक्कबल्लापूर, कोलार के दक्षिणी भाग, मंड्या, बेंगलूरु दक्षिण (रामनगर) और बेंगलूरु ग्रामांतर जिलों में दिखाई पड़ते हैं। सागौन, पुन्नाग, नीम, आम, कटहल, ढाक, बरगद, चंदन और बाँस यहाँ पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये बहुत घने वृक्ष नहीं होते हैं।

3) मिश्र- जाति के वनः सदाबहार और चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती वृक्षों वाले पेड-पौधों वाले क्षेत्र में ऐसे वन है। 120-150 से मी. वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ऐसे वृक्ष पाये

जाते हैं। ऐसे वन उडुपि, दक्षिण कन्नड, उत्तर कन्नड के कुछ भागों में, कूर्ग के पूर्व भाग में तथा चिक्कमगलूरु, हासन और मैसूरु जिलो में देखे जा सकते हैं। सागौन, होने, देवदार, मत्ती, नन्दी, चंदन, कटहल, पलाश तथा कैस यहाँ के प्रमुख वृक्ष है।

4) घास का मैदान और छोटे- पेड़-पौधे : कर्नाटकमें 60 से.मी. से भी कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में ऐसे वृक्षों का वितरण है। वर्षा की कमी और शुष्क हवा के कारण नाटे (छोटे) पौधे और काँटेदार पौधे उगते हैं। उदाहरण के लिए करील, बबूल, बेल, खजूर, कुंती घास आदि। यहाँ-वहाँ बरगद नीम, पीपल, ढाक जैसे वृक्ष मिलते हैं। ऐसे पेड-पौधे बीदर, कलबुर्गी, यादगिरि, रायचूर, कोप्पल, विजयापुरा- बल्लारी, चित्रदुर्गा, इत्यादि जिलों में वितरित हैं।

तटीय प्रदेशों के निकट का नदी का डेल्टा (नदी मुखभूमि) अवशेष और रेत का किनारा, इन भागों में जड़युक्त पेड-पौधे हैं। ये खारे पानी में उगने की विशेषता रखते हैं। इन्हें ही मैन्ग्रोव (कच्छ वनस्पति) कहा जाता है । ये इस राज्य में अति अल्प मात्रा में पाये जाये हैं।

1400 मीटर से अधिक ऊँचे भाग में ठंडी जलवायु वाले स्थल कुद्रेमुख, बाबाबुडनगिरी, बिलिगिरि रंगा पहाड, कूर्ग का ब्रम्हगिरि श्रेणी का ढलाऊ भाग घास के मैदान से युक्त है। इनके ढलाऊ घाटी, प्रपात, झरनों युक्त भागों में विशेष 'शोलावन' विस्तृत है।

ज्ञात रहे :

- बेंगलूरु के निकट रामोहल्लि में सबसे बडा बरगद का पेड है ।
- चिक्कबल्लापुर के शिड्लुघट्टा में टी. वेंकटापुर के पास बहुत बडा नीम का पेड है ।
- हावेरी जिले के सवणूर के निकट बडा इमली का पेड़ है ।

वनवितरण :

सभी प्रकार के वनों से युक्त कर्नाटक में ज्ञात वन प्रदेश का क्षेत्रफल 40649.30 क्षेत्रफल कि.मी.है। यह राज्य के भौगोलिक प्रदेश का 21.19 प्रतिशत हिस्सा है। भारत के समृद्द वन प्रदेशों वाले राज्यों मेंक नटिक 7 वाँ स्थान रखता है। उत्तर कन्नड अधिक वन प्रदेश वाला जिला है। इस के बाद शिवमोग्गा और चामाराजनगर क्रमश: द्वितीय और तृतीय स्थान रखते हैं। विजयापुरा अत्यंत कम वन प्रदेश वाला जिला है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

जीवजन्तु :

कर्नाटक राज्य के वनस्पति और पेड - पौधे की मात्रा में ही वन्य जीव संपदा भी है । इसके लिए समृद्ध वन क्षेत्र प्रमुख कारण हैं । दुनिया में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉट स्पॉट में से राज्य की सह्याद्री श्रृंखला भी एक है । आजकल उसे विश्व परंपरागत प्रदेश के नाम से घोषित किया गया है । भारत के कुल हाथियों का 25 प्रतिशत और बाघ का 18 प्रतिशत भाग हमारे कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त चीता, जंगली सूअर, जंगली भैसा, बारहसिंघा हिरन, भालू, सेही (काँटेदार सूअर) यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। साथ ही विविध प्रभेदों (प्रकार) के साँप और रंग-बिरंगे पक्षियों को भी देखा जा सकता है।

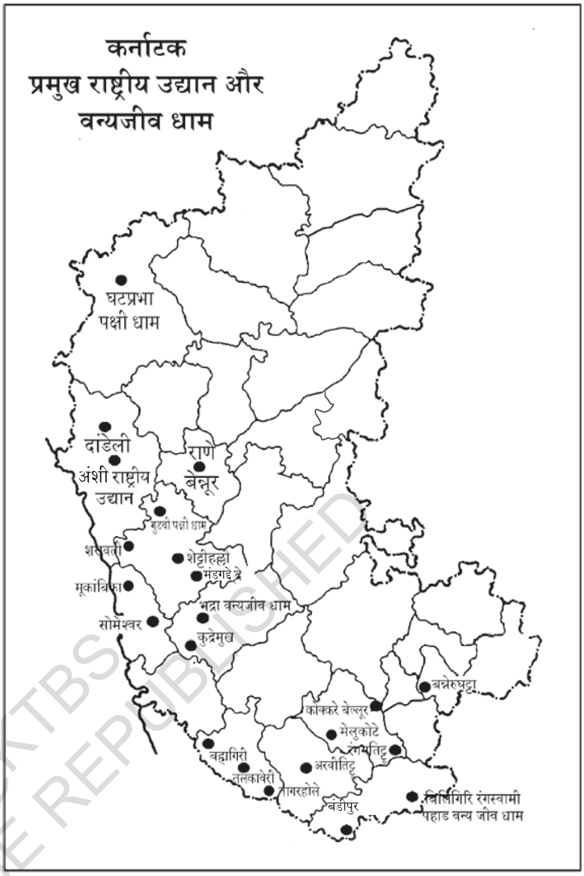

पश्चिमी घाट के मध्य भाग में स्थित कर्नाटक का पहाडी भाग मात्र अपने में जैविक पारम्परिकता को बनाए हुए है । इस प्रकार इस भाग में वन्य प्राणी संकुल काफी मात्रा में देखा जा सकता है। वन्य प्राणियों के निवास स्थान वाले राज्य वनप्रदेश वे इस प्रकार हैं उत्तर कन्नड और बेलगावी के तटीय भाग, सहयाद्रि पर्वत श्रेणी, उदाहरण के लिए इनाम दत्तात्रेय पीठ (बाबाबुडनगिरि) श्रेणी, बिलगिरिरंगा पहाड, मलै महादेश्वर गोपाल स्वामी पहाड इत्यादि से युक्त दक्षिणी मैदान, राणेबेन्नूर का उत्तरी मैदान प्रमुख वन्य जीव धाम है। आज कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान, 7 पक्षीधाम और लगभग 36 वन्य प्राणी धाम हैं ।

ज्ञात रहे :

- कर्नाटक में तीन प्रमुख बाघ संरक्षण क्षेत्र (Tiger Reserves) हैं बंडीपुर, नागर होले, बिलिगिरिरंगनबेट्टा, भद्रा और काली बाघ संरक्षण क्षेत्र।
- कर्नाटक का प्रसिद्ध पक्षीधाम है - रंगनतिट्टु । यह राम सार स्थानों की सूची में शामिल होने वाला कर्नाटक का पहला स्थान है ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए :

1) ग्रीष्म ऋतु (उष्ण काल) ______________ महीने से महीने तक होता है।

2) अत्यधिक वर्षा वाली ऋतु ______________ है।

3) उत्तर कर्नाटक में ______________ मिट्टी अधिक दिखाई देती है।

4) सदाबहार बन ______________से. मी से अधिक वार्षिक वर्षावाले क्षेत्रों में स्थित है ।

5) अत्यधिक वन प्रदेश ______________ जिले में है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर समूह में चर्चा करके लिखिए :

6) कर्नाटक के चार मौसम के नाम लिखिए।

7) कर्नाटक के वर्षाकाल के बारे में लिखिए।

8) कर्नाटक की मिट्टी के प्रकारों की जानकारी दीजिए।

9) कर्नाटक के स्वाभाविक पेड-पौधों की जानकारी दीजिए।

10) कर्नाटक को चंदन का राज्य क्यों कहा गया है ?

11) हमारे वन प्रदेशों में स्थित प्रमुख वन्यजीवों के नाम लिखिए।

III. सही मिलान कीजिए :

अ	आ
i) आदिचुंचनगिरि	अ) पक्षीधाम
ii) मंदगद्दे	क) राष्ट्रीय उद्यान
iii) नागरहोले	ज) पर्णपाती वन
iv) चंदनवृक्ष	प) मयूरधाम
	ब) लालमिट्टी

IV. क्रिया कलाप :

i) कर्नाटक के वन्य प्राणियों का चित्र संग्रह कर अलबम बनाइए। पक्षीधाम, वन्य जीव धामों की सूची तैयार कीजिए।

V. प्रदत्त कार्य :

i) अपने जिले में पाये जाने वाले स्वाभाविक वनस्पतियों के बारे में समूह चर्चा कीजिए।

***

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

X2M1A2

अध्याय - 12

कर्नाटक की जल संसाधन

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी प्राप्त करेंगे -
- कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ।
- कर्नाटक की सींचाई के प्रकार।
- जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्रो के महत्व की जानकारी ।
- कर्नाटक के प्रमुख बाँध।

कर्नाटक की नदियाँ :

जल संसाधनों में नदियों के स्थान महत्वपूर्ण है। कर्नाटक की नदियों का जाल मुख्य रुप से पूर्व की ओर बहनेवाली नदियों और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को दो विभागों में रखा जा सकता हैं।

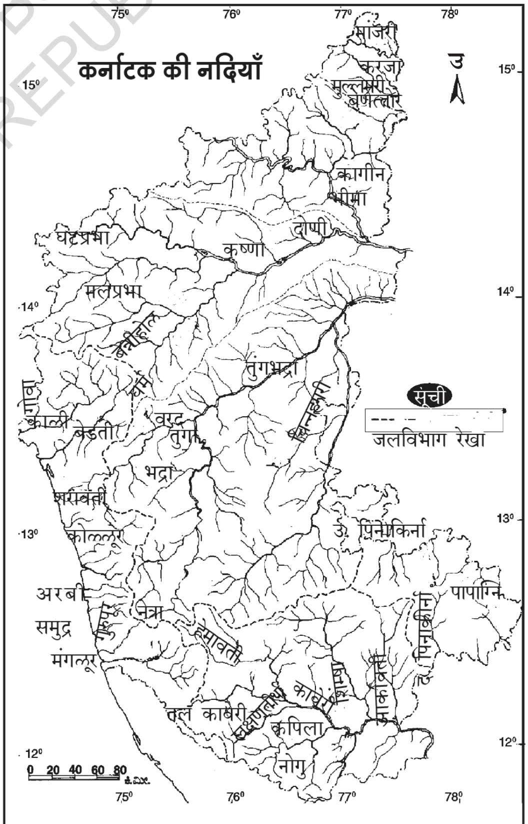

ध्यान रखें :
कावेरी नदी अपने मार्ग में तीन। जलप्रपातों का निर्माण करती है। - 1) चुंचनकट्टे, 2) गगनचुक्की और भरचुक्की 3) होगेनकल तथा तीन द्वीपों का निर्माण हुआ है और वे है 1) श्रीरंगपट्टण 2) शिवनसमुद्र 3) श्री रंगम्

क्या आप जानते हैं ?
- कूडल संगम क्षेत्र में मलप्रभा और कृष्णा नदियों का संगम है।
  कूडलि - तुंगा और भद्रा नदियों का संगम स्थल है।
- कृष्णराज सागर के पास हेमावती नदी कावेरी से जा मिलती है।

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

1) पूर्वदिशा की ओर बहने वाली नदियाँ : कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और पालार नदियाँ पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं ।

कृष्ण नदी दक्षिण भारत की दूसरी प्रमुख नदी है। यह महाबलेश्वर में उगम होकर 1392 कि..मी. लम्बाई में पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन यह कर्नाटक में 480 कि.मी. की दूरी तय करती है। भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा और मलप्रभा इसकी उपनदियाँ है। कृष्णा नदी सींचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए बडी सहायक है।

ज्ञात रहे :

पेन्नार नदी का एक अन्य नाम पिनाकिनी है ।

तमिलनाडु में दक्षिण पेन्नार नदी को (दक्षिण पिनाकिनी) पन्नैयार कहा जाता है ।

कावेरी नदी कर्नाटक की सबसे प्रमुख नदी है। यह दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कोडगु जिले का तलकावेरी नामक स्थान में उगम हो कर,कर्नाटक और तमिलनाडु में पूर्व दिशा की ओर यह बहते हुए 804 कि.मी. की दूरी तयकर बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। कर्नाटक में 380 कि.मी. तक बहती है। इस नदी में कई उपनदियाँ मिल जाती हैं । उदा - हेमावती, हारंगी, लोकपावनी, अर्कवती, शिंशा, लक्ष्मण तीर्थ, कपिला, सुवर्णावती । पीने का पानी की पूर्ति, कृषि, जल ऊर्जा उत्पादन के लिए ये नदियाँ बहुत सहायक है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

पेन्नार और पालार नदियाँ कोलार, तुमकुरु और बेंगलूरु जिले में बहती हैं और बाद में आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडू में प्रवेश करती है। उत्तर पेन्नार और दक्षिण पेन्नार दो अलग-अलग नदियाँ हैं।

2) पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ : इन नदियों का उगम स्थल पर्वतीय प्रदेश (मलेनाडु) है । यहाँ से पश्चिम की ओर बहती हुई अरबसागर में जाकर मिलजाती हैं। उदा: शरावती, काली, गंगावली (बेड्ती) नेत्रावती, वाराही, अघनाशिनी आदि ये नदियाँ गहरे ढलान की ओर बहती हुई जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जल विद्युत उत्पादन में ये नदियाँ सहायक होती है। शरावती नदी द्वारा निर्मित जोग जलप्रपात विश्वविख्यात है। यह भारत का ऊंचा जल प्रपात (लगभग 253 मी ऊँची) है। अन्य प्रमुख जल प्रपातों में गोकाक (घट प्रभा), बंडाजे (नेत्रावती), उंचल्ली (अघनाशिनी) छाया भगवती (दोणी नदी), चुंचनकट्टे, शिम्श, गगनचुक्की, भरचुक्की (कावेरी), मागोडू जलप्रपात (बेड्ती) आदि।

कर्नाटक की सींचाई

कृषि हेतु कृत्रिमजल (नहरोंद्वारा) पूर्ति ही सींचाई है। अकालिक और असमान वर्षा वितरण और कृषि विकास के लिए सींचाई अत्यावश्यक है। कर्नाटक पुरातन (प्राचीन) काल से ही सींचाई के विविध आयामों से व्यवसाय करने की परम्परा रही है। सींचाई का प्रमुख स्रोत कुंए, नहर, तालाब रहे हैं।

ज्ञात रहे :

कर्नाटक के प्रमुख बड़े सरोवर
मुदगद सरोवर - (कडूर के निकट), तोण्णूर सरोवर (पांडवपुर के निकट), हैरिगे सरोवर (हुणसूर), राम समुद्र सरोवर (चिकबल्लापुर), अमानी बैरसागर सरोवर (गुडिबंडे), कल्लंबेल्ला सरोवर (शिरा), बैरमंगल सरोवर (बिडदी) इत्यादि ।

पहले गाँवों में कुएँ खोदकर सींचाई की जाती थी। तत्पश्चात व्यवसाय के लिए नहर बनाकर नदियों का जल आपूर्ति की जाने लगी। आज भी बड़े-बड़े तालाब हैं। उदाहरण दावणगेरे का शांति सागर, ग्यारहवीं, शताब्दी में खोदे गये कलबुर्गी जिले के कुएँ, विजयनगर शासन काल का तुंगभद्रा नहर, मैसूर महाराजा द्वारा निर्मित करवाया गया। वाणिविलास सागर तथा कृष्णराज सागर बाँध कर्नाटक में सींचाई के प्रमुख साधन हैं। आज राज्य में नदियों का जल तथा भूमिगत जलसंपदा का उपयोग सींचाई के लिए किया जा रहा है । राज्य में कृषि योग्य भूमि का 41% भाग सींचाई की सुविधा से परिपूर्ण है। सींचाई की दृष्टि से भारत में कर्नाटक का स्थान नौवां है।

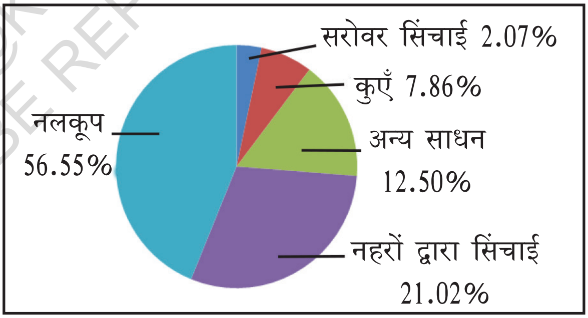

सींचाई क्षेत्र का प्रतिशत अंश

रायचूर जिला सम्पूर्ण राज्य का सर्वाधिक नहर द्वारा सींचाई का क्षेत्र है। तालाब द्वारा सींचाई के प्रदेश सर्वाधिक शिवमोग्गा जिले में

ज्ञात रहे :

कर्नाटक का सर्वप्रथम जलाशय विलास सागर सन 1907 में हिरियूर के निकट निर्मित किया था । इसे 'अमानी कणिवे योजने' के नाम से जाना जाता है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

है। कुंओं द्वारा सींचाई सुविधा बेलगावी (बेलगाम) जिले में सर्वाधिक है। आजकल नलकूपों की संख्या अधिक गयी है। सींचाई प्रदेशों में सर्वप्रथम स्थान बेलगावी जिले का और अंतिम स्थान कोडगु जिले का है।

राज्य के प्रमुख नहर सींचाई योजना के अंतर्गत कृष्णराज सागर बाँध, तुंगभद्रा, हेमावती, कबिनी, हारंगी, वाणीविलास सागार (मारी नहर), कृष्णनदी का ऊपरीतट, आलमट्टी, नारायाणपुरा, मलप्रभा, कारंजा, बेण्णेतोरे योजना, हिप्परगी बाँध, भद्रा योजना आदि प्रमुख है।

जलविद्युत शक्ति (ऊर्जा) :

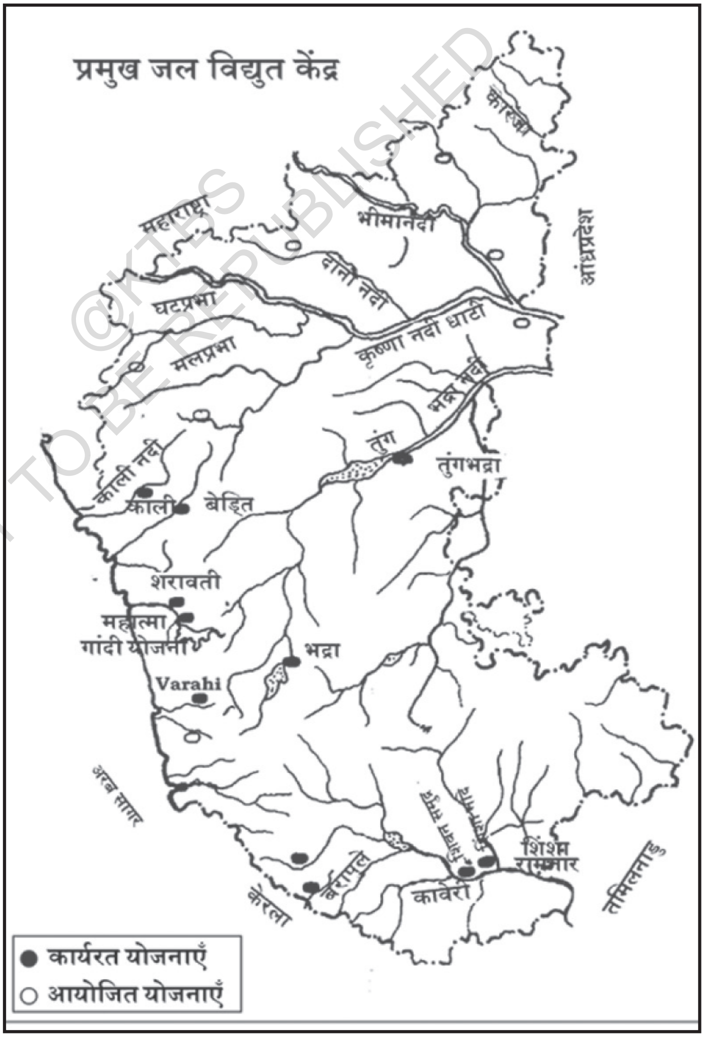

भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का श्रेय कर्नाटक को ही प्राप्त है। हमारे राज्य में एक तरफ कोयला और पैट्रेलियम की कमी है तो दूसरी तरफ जलशक्ति उत्पादन के कई मार्ग है। सर्वत्र तथा अधिक शक्ति पूर्ति के साधन को समृद्धता देने वाली नदियाँ कर्नाटक में स्थित है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में जलशक्ति सामर्थ्य की अधिकता है।

कोलार स्थित सोने की खान को विद्युतशक्ति की अपूर्ति के लिए सन 1902 में शिवनसमुद्र के निकट विद्युत स्टेशन केन्द्र का कार्य आरंभ हुआ। यह योजना कावेरी नदी पर बनी है। इसके समीप ही राज्य की दूसरी जल

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

विद्युत योजना सन 1940 में कावेरी नदी की पानी को उपयोगित करके शिम्षा में स्थापित किया गया। इसको जलविद्युत योजना कहते है। अधिक विद्युत मांग की आपूर्ति के लिए शरावती नदी पर जोग जलप्रपात के निकट 'महात्मागांधी' जल विद्युत योजना सन् 1947 में स्थापित की गई।

इसके बाद पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अन्य कई जल विद्युत शक्ति योजनाओं की अभिवृद्धि हुई। परिणामतः कर्नाटक जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर है।

कर्नाटक की प्रमुख जल विद्युत योजनाएँ : शिवनसमुद्र, शिंशा (कावेरी नदी), शरावती, लिंगनमक्की, महात्मा गांधी, गेरुसोप्प (शरावती नदी), सूपा, नागझरी, कद्रा और कोडसल्ली (काली नदी), वाराही (वाराही नदी) और मारीकणिवे (वेदावती नदी), भद्रा, तुंगभद्रा (तुंगभद्रा नदी), घटप्रभा (घटप्रभा नदी) तथा आलमट्टी (कृष्ण नदी) योजनाएँ इन में प्रमुख हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

अभ्यास :

I. उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) कावेरी नदी का उगम स्थल कोडगु जिले का ______________ नामक स्थान है।

2) प्रसिद्ध जोग जल प्रपात ______________ नदी पर निर्मित है।

3) कर्नाटक में सर्वाधिक नहर सिंचित जिला ______________ ।

4) कर्नाटक की प्रथम जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र ______________ है ।

5) आलमट्टी बाँध ______________ नदी पर निर्मित है।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो- तीन वाक्यों में लिखिए :

6) कर्नाटक की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए ।

7) कृष्णा नदी के बारे में टिप्पणी लिखिए।

8) कावेरी नदी की सहायक उपनदियों की सूची बनाइए।

9) कर्नाटक की सींचाई के विविध प्रकार लिखिए।

10) अपने राज्य के प्रमुख जलविद्युत उत्पादन केंद्रों के नाम लिखिए।

III. सुमेलित कीजिए :

i) लिंगनमकी बांध	अ) घटप्रभा नदी
ii) गगन चुकी, भरचुक्की	क) बेड़ती नदी
iii) वाणी विलास सागार	ज) काली नदी
iv) गोकाक जलप्रपात	प) कावेरी नदी
v) मागोड जलप्रपात	ब) शरावती नदी
	म) मारीकणिवे

IV. क्रिया कलाप :

1) कर्नाटक की नदियां और उनके उपनदियों की सूची बनाइए ।

V. प्रदत्त कार्य :

1) अपने राज्य की बाँधों को कर्नाटक के मानचित्र में अंकित कीजिए।

2) अपने घर के नजदीक के नदी, तालाब, सरोवर, सरिता का मुआयना अवसर करें और उनके महत्व की परस्पर चर्चा करें।

3) नदियाँ, राज्यों के बीच किस प्रकार सद्भाव को बढ़ावा देती है। इसके बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए ।

***

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अध्याय - 13

कर्नाटक की भू-संपदा (सम्पत्ति)

N3L3G9

इस अध्याय में निम्नलिखित अंशो की जानकारी प्राप्त करेंगे :

- कर्नाटक की भूमि संपदा के उपयोग के विभिन्न प्रकार ।
- कृषि का महत्व तथा विविध प्रकार ।
- कर्नाटक की प्रमुख उपज का महत्व और उत्पादन ।

कर्नाटक राज्य भोगोलिक दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य है। यह प्राकृतिक खनिज, नदी और भूमिगत जल सम्पदा आदि से परिपूर्ण है। ऐसे नैसर्गिक संसाधनों में भूमि अमूल्य है। उसका सदुपयोग राज्य के विकास का सूचक होता है।

भूमि का उपयोग :

भूमि का विविध उद्देश्यों के लिए उपयोग ही भू-उपयोगिता है। इसमें कृषि योग्य भूमि, वनप्रदेश, बंजर भूमि, कृषि से अलग (निवासयोग्य भूमि) आवास, सडक, रेलमार्ग, बांध, नहर इत्यादि का निर्माण प्रमुख है। भूमि का सही और उचित उपयोग आर्थिक विकास की बुनियाद है।

कर्नाटक राज्य कुल 19.05 लाख हेक्टेयर भौगोलिक प्रदेश में विस्तृत है। यह निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों के लिए उपयोगी है :

कर्नाटक के भू उपयोग के नमूने :

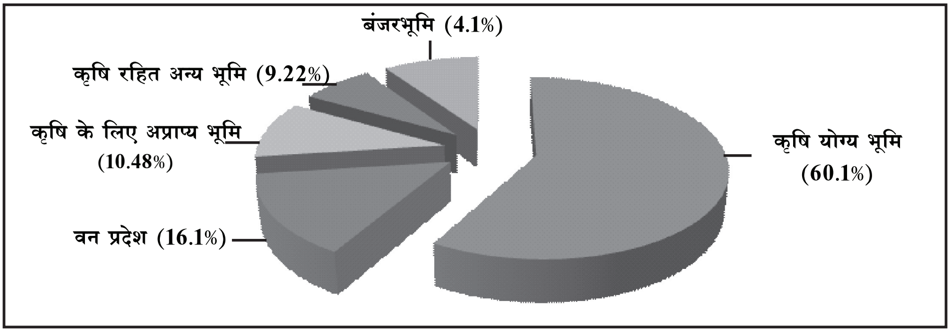

विविध भू-उपयोग के प्रतिशत भाग

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1. कृषियोग्य भूमि : कुल कृषि के लिए उपयोगी भूमि राज्य के सभी भागों में एक समान नहीं है। कलबुर्गी जिले में राज्य का अत्यधिक भाग कृषि योग्य भूमिवाला है। अन्य स्थानों में बेलगावी, विजयापुरा, तुमकूरु रायचूर, बागलकोट, बल्लारी, चित्रदुर्ग और मैसूरू जिले आते हैं। तीव्र नागरीकरण से बेंगलूरु नगर, निकृष्ट कृषि योग्य भूमि वाला है । उत्तर कन्नड, दक्षिण कन्नड, उडुपी और कोडगु जिलों में कृषि योग्य भूमि कम प्रमाण में है ।

2. वनप्रदेश - उत्तर कन्नड जिले का अत्यधिक भाग वनप्रदेशयुक्त है। शिवमोग्गा, चामराजनगर, चिकमगलूरु, कोडागु, बेलगावी, दक्षिण कन्नड, उडुपि, बल्लारी जिलों में भी वन प्रदेश काफी मात्रा में देखे जा सकते हैं। विजयपुर जिलें में निकृष्ट (अत्यंतकम) वन प्रदेश हैं। बेंगलूरु ग्रामांतर, बेंगलूरु नगर, रायचूर, बीदर और गदग जिलों में वन प्रदेश कम मात्रा में हैं।

3. कृषि के लिए अप्राप्य भूमि : यह व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कई उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग के क्षेत्रों से युक्त भूमि है। रेलमार्ग, सडक, आवास, उद्योग धन्धों, सींचाईयोजना इनमें प्रमुख है। आजकल अभिवृद्धि की दृष्टि से ऐसे भू-उपयोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें बेंगलूर नगर जिला प्रथम स्थान पर है। शिवमोग्गा, तुमकुरु बेलगावी, बल्लारी, मैसूरु, दक्षिण कन्नड जिलों में भी यह अधिक है। परन्तु यह बीदर जिले में अत्यन्त कम तथा शेष जिलों में सीमित मात्रा में है।

4. कृषि रहित अन्य भूमि : इसके अन्तर्गत स्थायी चारागाह, वृक्ष और बाग-बगीचे आते हैं। ये - शिवमोग्गा, तुमकुरु कोलार, चिकमगलूरु, और चित्रदुर्ग जिलों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। गदग, बगलकोट और धारवाड जिलों में निकृष्ट (कम) या ऐसी भूमि को सुधारकर कृषि-हेतु उपयोगी बनाया जा सकता है।

5. बंजर भूमि : दो अथवा तीन वर्षो से भी अधिक काल तक निरंतर कृषि हीन भूमि को बंजर भूमि कहा जाता है। कलबुर्गी जिले में बंजर भूमि अधिक है। रायचूर, बेलगावी, विजयपुर (बिजापुर), कोप्पल, तुमकुरु जिलों की गणना इसके बाद होती है। दक्षिण कन्नड, चिकमगलूरु, कोडगू, मैसूरु, उत्तर कन्नड और उडुपि जिलों में बंजर भूमि कम होने पर भी यहाँ इसका विस्तार बढ़ रहा है। ऐसी भूमि का सुधार किया जा सकता है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

कृषि (व्यवसाय) :

भूमि की जोताई करके अनाज की उपज करने को कृषि कहते हैं। इसके अतिरिक्त पशु पालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और रेशम उद्योग इन कृषि के अंतर्गत शामिल है। कर्नाटक के 61.33% लोग ग्रामीण प्रदर्शों में रहते हैं। अतः उनका जीवन कृषि पर ही अवलंबित है।

महत्व : कर्नाटक के प्राचीन उद्योगों में कृषि भी एक है। यहाँ जीवन आधारित मुख्य पेशा कृषि (उद्योग) है। यह हमारी राज्य को आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। आर्थिक अभिवृद्धि भी व्यवसाय पर आधारित है। इससे जीवन यापन के लिए उद्योग प्राप्त होता है। लोगों को आहार, उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कृषि राज्य की आय का अधार है। विदेशी विनिमय प्रदान करता है। कॉफी (कहवा), रेशम, मसाले, तम्बाकू, रुई आदि निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद है। अन्य सहउद्योग जैसे यातायात, बैंकिगं व्यवस्था, बीमा कंपनियाँ आदि के विकास के लिए भी यह पूरक है।

कृषि के प्रकार : कर्नाटक राज्य में भू-स्वामित्व (अधिकार) के साथ-साथ उपजाऊ, जलसुविधा, वर्षा की मात्रा, जलवायु, भू-स्वरूप, बाजार इनके अनुकूल विविध अनाजों की पैदावार की जाती है। इनके अनुरूप कृषि के प्रकारों को वर्गीकृत किया गया है। इनमें जीवनयापन संबंधी कृषि, सींचाई कृषि, सूखा कृषि, मिश्रा कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्य कृषि, वृक्षारोपण कृषि आदि प्रमुख है।

नहरों, तालाबों और कुंओं द्वारा जल पूर्ति कर खेती करने की कृषि पद्धति को सींचाई द्वारा खेती कहा जाता है। धान, गन्ना सींचाई खेती की प्रमुख पैदावर है। वर्षा पर निर्भर पैदावार को सूखी अथवा शुष्क खेती कहा जाता है।

विस्तृत उपजाऊ कृषि भूमिपर रुपया कमाने के उद्देश्य से कुछ वार्षिक फसल उगायी जाती है। इसे ही वृक्षारोपण व्यवसाय (प्लेन्टेशन) कहते हैं। उदा- कॉफी, चाय, रबड, कोको आदि। स्वदेशी उपयोग के अतिरिक्त विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर की जानेवाली पैदावर कृषि को वाणिज्य व्यवसाय कहते हैं। उदा- तंबाकू, रुई, जूट आदि। किसानों के जीवनयापन हेतु, (व्यापार हेतु नहीं) उगायी गई फसल (पैदावार) पद्धति को जीवानाधार कृषि कहते हैं। यह पुराने नमूने का कृषि है ।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आजकल मिश्र- फसल अधिक प्रचलित हो रही है। फसल पैदावार के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन, रेशम उद्योग, भेड़-पालन, मुर्गी पालन-मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन आदि सहउद्योगों का निर्वाह करना मिश्र कृषि कहलाता है।

कर्नाटक की प्रमुख उपज :

जैसा कि पहले बताया जा चुका है व्यवसाय की विविध पद्धतियों के अनुसार कर्नाटक की उपज के प्रकारों में विविधता है। इसका प्रमुख कारण विविध भूस्वरुप, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, सींचाई की व्यवस्था, कृषि सम्बधी संप्रदाय, कृषि उत्पाद के लिए बाजार में माँग आदि है।

कर्नाटक की फसलों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। आहार संबंधी फसल - धान, रागी, मक्का, द्विदल बीज धान्य, तृणधान्य आदि । वाणिज्यिक फसल - रुई, तंबाकू, गन्ना, शहतूत आदि हैं।

तैलीय बीज वाली फसलें- मूंगफली, तिल, सूरजमुखी इत्यादि प्रमुख हैं। वृक्षारोपित फसलें - कॉफी (कहवा) नारियल, सुपारी, रबड, केला आदि हैं। इसके अतिरित कर्नाटक में विविध प्रकार की खेती और पुष्प उत्पादन भी किया जाता है।

अब आगे कर्नाटक के प्रमुख फसलों के बारे में संक्षेप में जानेंगे।

कर्नाटक की विशेष उपाज :

1. नंजनगूड - केले
2. व्याडगी - मिर्च
3. तिपटूर - नारियल
4. मैसूरु - पान का पत्ता
5. बेंगलूरु - नीले अंगूर
6. देवनहल्ली - चक्कोता
7. ईरनगेरे - बैंगन
8. निप्पाणी - तम्बाकू
9. कमलापुर - लाल केले

ज्ञात रहे :

धान (पोयेसि) पिटाई, घास के वर्ग का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ओरैसा सटैवा है ।

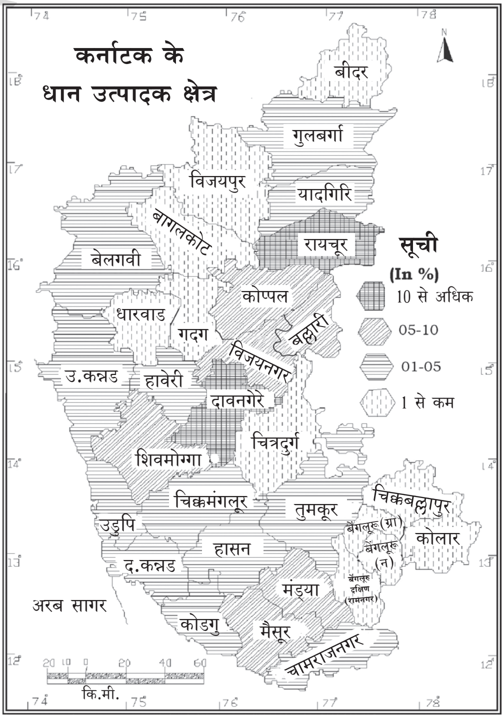

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

खाद्य पदार्थ :

1. धान - यह कर्नाटक राज्य का प्रमुख आहार धन्य है । राज्य के लोग चावल का उपयोग मुख्य खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं । कुल कृषि प्रदेश 28.2% प्रतिशत भाग में धान की खेती की जाती है। सींचाई, रासायनिक सटैवा है। और अधिक उत्पाद के लिए सँकर (मिश्र) बीज उपयोग धान उपज में वृद्धि हुई है ।

धान उष्ण क्षेत्र की फसल है । इसकी पैदावार के लिए अधिक वर्षा और उष्णांश का होना आवश्यक है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सींचाई की सुविधा की आवश्यकता होती है। धान की खेती के लिए समतल भूमि चाहिए। उदाहरण : मैदानी भाग, उपजाऊ मिट्टी, चिकनी मिट्टी इसकी फसल के लिए बहुत उत्तम है। हरे पत्तों की खाद, जैविक खाद और अधिक संख्या में मजदूर भी धान की खेती के लिए अनिवार्य है। लगभग 70% प्रतिशत भाग फसल के लिए जून से अगस्त मास में बुवाई की जाती है। नवंबर - दिसंबर में कटाई की जाती है। इसे 'खरीफ' की फसल कहा जाता है। गर्मियों में भी सींचाई की उपलब्ध क्षेत्रों में धान उगाए जाते हैं जिसे 'रबी' की फसल कहा जाता है। धान खेती पर्वतीय प्रदेशों में विखेरकर तथा मैदान प्रदेशों में बुवाई द्वारा की जाती है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

धान उत्पादक क्षेत्र :

धान सभी जिलों में उगाया जाता है। कृष्णा, तुगभद्रा, कावेरी नदी घाटी और तटीय प्रदेश धान की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। रायचूर जिला धान के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तत्पश्चात बल्लारी, दावाणगेरे, मैसूर, शिवमोगा, मंड्या, कोप्पल, उत्तर कन्नड़, उडुपी दक्षिण कन्नड तथा कलबुरगि जिले प्रमुख हैं। राज्य के अन्य धान उत्पादक क्षेत्र हैं : तुमकूर, हासन, चिकमगलूर, कोडगू, बेलगावी जिले। सींचाई द्वारा उत्पादित धान उत्तम स्तर का और अधिक मात्रा में भी होता है।

2) ज्वार : धान के बाद ज्वार कर्नाटक का दूसरा प्रमुख उपज है। पहले, धान की फसल से अधिक ज्वार की फसल का क्षेत्र ही अधिक था। आजकल ज्वार उपजने के क्षेत्र कम हो गए हैं। कुल कृषि योग्य भूमि का 26% भाग ज्वार की पैदावार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारत में कर्नाटक प्रदेश ज्वार उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है।

> **ज्ञात रहे:** कलबुर्गी जिले को तुअर का धान्यागार कहा जाता है ।

मक्का - विश्व स्तर पर 'अनाज की रानी' के रूप में जानी जानेवाले मक्का दक्षिण कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। दक्षिण कर्नाटक में ज्यादा उगाये जानेवाले मक्का को मुख्य रूप से मानव भोजन के लिए और पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है ।

यह भी घास-फूस की श्रेणी का पौधा है। यह उष्ण क्षेत्र की पैदावार है। इसकी पैदावार के लिए साधारण वर्षा, शुष्क वायु, काली, लाल तथा कछारी (जलोढ़) मिट्टी काफी है। यह वर्षा आधारित उपज है। इसकी बुवाई की विधि के कारण वर्षा के आश्रय में उपजा जाता है।

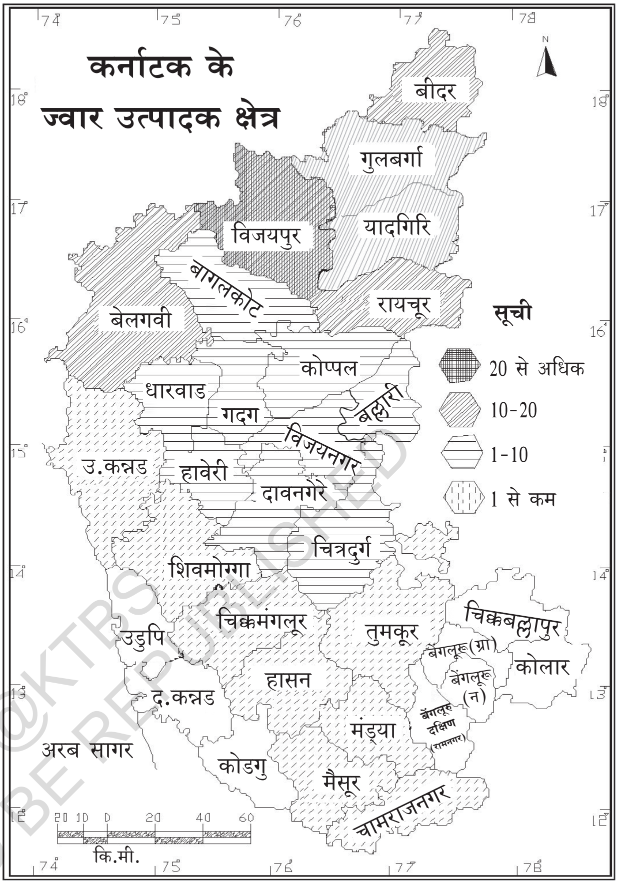

ज्वार उत्पादन क्षेत्र : दक्षिण कर्नाटक के कुछ जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में ज्वार की पैदावार होती है। विजयपुर, कलबुर्गी, बागलकोट, रायचूर, बेलगावी, बीदर, बल्लारी, दावणगेरे, कोप्पल और गदग जिलों में ज्वार का अधिकतम उत्पादन होता है। विजयपुर जिला ज्वार के उत्पादन की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान रखता है। चित्रदुर्ग, शिवमोग्गा,चामराजनगर, हासन, तुमकुरू और मंड्या जिलों में ज्वार की उपज थोड़ी कम मात्रा में होती है।

3) रागी : यह उत्तम पौष्टिक तत्वों से युक्त खाद्यान है। रागी से लौंदा, दलिया, रोटी, भुनाआटा, माल्ट, दोसा आदि खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। कर्नाटक में धान तथा ज्वार के बाद तीसरा मुख्य खाद्य है। यह कम दाम में मिलता है। रागी की घास-फूस जानवरों के चारे के लिए उपयोग की जाती है। इस अनाज को अधिक काल तक संग्रह किया जा सकता है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

यह उष्ण क्षेत्र की फसल है। अधिक उष्णांश, साधारण वर्षा, लाल मिट्टी, जलोढ मिश्रित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। यह अकाल में भी उगायी जाने वाली फसल है। कुछ स्थानों पर सींचाई पर आश्रित होकर रागी की फसल उपजी जाती है। रागी की पैदावार के लिए बुबाई, निराई, कटाई तथा संग्रहण आदि के लिए अधिक संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है। यह प्रमुख रूप से खरीफ फसल है। गर्मियों में भी सींचाई की सहायता से इसका उपज किया जा सकता है।

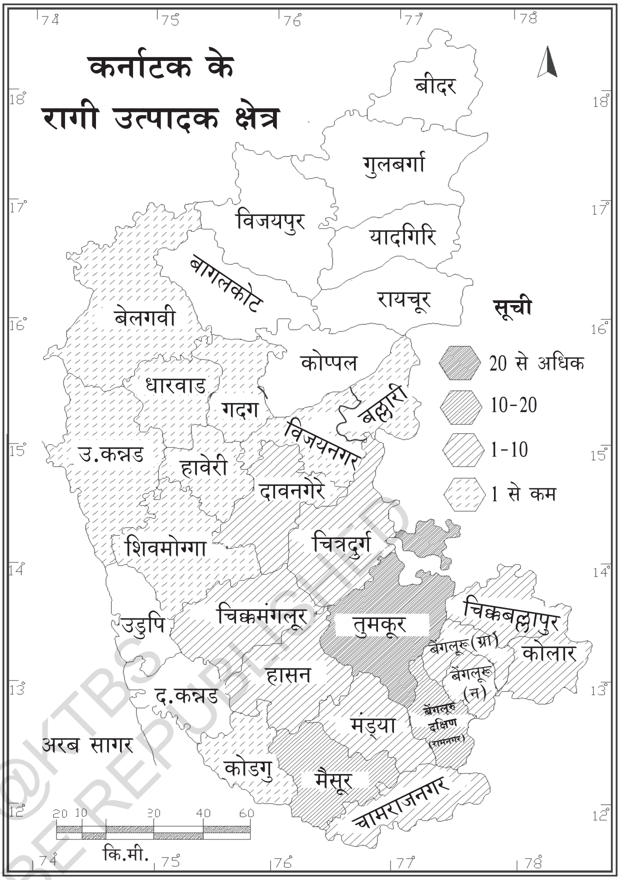

रागी उत्पाद क्षेत्र : रागी उत्पादन की दृष्टि से पूरे भारत में कर्नाटक का प्रथम स्थान है। रागी का उपयोग आजकल कम होता जा रहा है। परिणाम स्वरूप रागी उत्पाद क्षेत्र भी कम होते जा रहे हैं। कुल कृषियोग्य भूमि का 14% प्रतिशत भाग पर रागी की पैदावार की जाती है। दक्षिणी मैदानी भागों में रागी उत्पाद प्रदेश केंद्रीकृत हो गए हैं। यह प्राचीन मैसूर प्रांत की परंपरागत (सांप्रदायिक) उपज है। उत्तर कर्नाटक में ज्वार की प्रधानता है तो दक्षिण कर्नाटक में रागी की ही प्रधानता है। कर्नाटक में तुमकुरू अत्यधिक रागी उत्पादक क्षेत्र है। तत्पश्चात बेंगलूरु दक्षिण (रामनगर), हासन, मंड्या, बेंगलूरु ग्राम्य क्षेत्र, कोलार, चिक्कबल्लापुर, शिवमोग्गा, चामराज नगर, चिक्कमगलूरु तथा दावणगेरे जिले रागी उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं।

वाणिज्यिक फसल :

1) गन्ना (ईख) : यह कर्नाटक की मुख्य वाणिज्य और औद्योगिक फसल है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से भारत में कर्नाटक का स्थान चौथा है। यह उष्ण क्षेत्र की फसल है।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अधिक उष्णांश और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों अथवा सींचाई को व्यवस्था वाले क्षेत्रों में इसकी पैदावार होती है। गन्ने की पैदावार के लिए (रत) बालूमिश्रित कछारी मिट्टी, लाल मिट्टी, उत्तम है। गन्ने की कटाई के तुरंत बाद उपयोग हेतु कारखानों को भेजना होता है। अतः उन्नत यातायात की सुविधा भी आवश्यक है।

यह भी घास की श्रेणी का पौधा है। यह लगभग तीन मीटर ऊँचाई तक उगता है। इसमें चीनी के अंश होने के कारण इसे गुड तथा शक्कर (चीनी) बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह बहुवार्षिक (वर्ष में कई बार) उपज होने के कारण इसके लिए सींचाई की सुविधा का होना अनिवार्य है।

क्रियाकलाप : अपने जिले की पैदावर आहार पदार्थ तथा वाणिज्य उपज की सूची बनाइए ।

गन्ना उत्पादक क्षेत्र : राज्य का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला (क्षेत्र) बेलगावी है। आलमट्टी योजना द्वारा सींचाई की सुविधा प्राप्त बागलकोट को द्वितीय स्थान प्राप्त है। मंड्या, मैसूरु, विजयपुर, बीदर, बल्लारी, शिवमोग्गा, दावणगेरे, हासन, कोप्पल, हावेरी, गन्ना उत्पादक अन्य क्षेत्र है। गन्ना उत्पादन की दृष्टि से मंड्या स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रसिद्ध स्थान है।

2) रूई (कपास) : रूई रेशेदार पैदावार है। रूई, कपडा उद्योग के लिए कच्चा माल है। साथ ही दरी, रस्सियाँ, बिस्तर के तकिए बनाने के लिए इनका उपयोग होता है। इसके बीज से खाद्य तेल का उत्पादन होता है। इसकी खली का उपयोग जानवरों के चारे के रूप में होता है।

यह उष्ण क्षेत्र का और उप उष्णमंडल की वाणिज्य उपज है। इसके लिए साधारण वर्षा, अधिक ताप और काली मिट्टी उत्तम है। हमारे राज्य में काफी दिनों से रूई के प्रयोग का चलन है। लम्बा, मध्यम और छोटा सूत रूई के प्रकार है। परन्तु कर्नाटक में अधिकतर मध्यम और छोटे तारों के सूत (रूई) का उपयोग होता है। रूई (कपास) की बुवाई कर्नाटक में अगस्त-सितंबर के महीनों में की जाती है। इसे वर्षा के समय में ही अधिकतर उगाया जाता है। सींचाई की सहायता से भी (कपास) रुई उत्पादन होता है।

रुई (कपास) उत्पादन क्षेत्र : कर्नाटक राज्य में रुई उत्पद के जिले हैं : हावेरी,

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

धारवाड, गदग, मैसूर, बल्लारी, रायचूर, कलबुर्गी, बेलागवी, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, कोप्पल, और विजयपुर इन में हावेरी जिला रुई उत्पादन के लिए राज्य में प्रथम स्थान रखता है। धारवाड जिला द्वितीय स्थान पाता है।

रुई को उपज में कोट और रोग नियंत्रण ही एक बड़ी समस्या है। रोग निरोधक और उत्तम श्रेणी की कृषि हेतु कृषि अनुसंधान संस्था इसकी अभिवृद्धि के प्रयास कर रही है, अतः आजकल इसके उत्पादन और मात्रा में वृद्धि और सुधार देखा जा रहा है।

3) तम्बाकू : यह 'निकोशियाना' वर्ग का पौधा है। इसमें 'निकोटिन' नामक मादक पदार्थ होता है। तम्बाकू का उपयोग धूम्रपान के लिए जैसे बीडी, सिगरेट, सिगार, सुंघनी (नसवार) इत्यादि तैयार करने के लिए किया जाता है। 17 वीं. शताब्दि में पुर्तगलियों द्वारा तम्बाकू भारत लाया गया। तत्पश्चात यह कर्नाटक में उगाया जाने लगा। अब तम्बाकू कर्नाटक के प्रमुख वाणिज्य उत्पादों में से एक है। यह साधारण वर्षा और अधिक ताप वाले बालूमिश्रित मिट्टी वाले प्रदेशों में उगाया जाता है।

कर्नाटक में बीडी, तम्बाकू तथा चबाने के लिए प्रयुक्त तम्बाकू के लिए वर्जीनिया तम्बाकू का उत्पादन होता है। वर्जीनिया तम्बाकू उत्तम स्तर का तम्बाकू है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अत्यधिक माँग है। इससे विदेशी विनिमय का अर्जन और राजस्व के रूप में राज्य के खजाने में काफी मात्रा में आय हो जाती है।

> **क्रियाकलाप :** अपने विद्यालय में किसानों को बुलाकर उनके द्वारा उत्पन्न, उपज विधान, उन्हें बेचने के बारे में संवाद करें ।

तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र : भारत के प्रमुख तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में कर्नाटक का स्थान चौथा है। कर्नाटक में मैसूरु जिला तम्बाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। हासन, शिवमोग्गा, कोडगु, बेलगावी, बल्लारी, चित्रदुर्गा, रायचूर, दावणगेरे, तुमकुरु, गदग जिलों में भी तम्बकू उत्पादन होता है। बेलगावी जिले का 'निप्पाणी' स्थान देश के बीडी निर्माण के तम्बाकू बाजार में अत्यन्त प्रसिद्ध है। कर्नाटक में उत्पादित तम्बाकू विश्वस्तर का होने के साथ-साथ अधिकतम निर्यात होता है।

> **क्रियाकलाप :** सावयवकृषि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए ।

4) कॉफी (कहवा) : कॉफी, कर्नाटक का प्रसिद्ध बागान और पेय पदार्थों की पैदावर है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

उत्पादन की दृष्टि से कर्नाटक का पहला स्थान है। लगभग सन् 1670 में एक मुस्लिम फकीर बाबाबुडन ने चिकमगलूर की पहाडय़िों में कॉफी के पौधों को लगाया। इस कारण आज उन पाहाडियों को 'बाबाबुडन गिरि' (इनाम दत्तात्रेय पीठ) कहा जाता है। परंतु क्रमबद्द रूप से कॉफी की उपज सन् 1826 में ब्रिटिश शासन काल में प्रारंभ हुआ और आज कर्नाटक में विस्तृत रूप से कॉफी के बागान देखे जा सकते हैं ।

कर्नाटक में अरेबिका कॉफी और रोबुस्टा कॉफी के दो प्रकार उत्पादित होते हैं । इनमें ओरबिका श्रेष्ठ स्तर का है और विश्व स्तर पर बाजार में इसकी माँग है। कॉफी उष्णमंडल के अधिक वर्षा वाले पहाडी ढलान वाले क्षेत्रों में उगाने वाली उपज है। एक प्रकार की सफेद मिट्टी मिश्रित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। कॉफी के पौधों पर सूर्य को सीधी किरणें न पड़ें, इसके लिए बगल में छायादार पेड लगाने चाहिए। वर्षा का जल बहजाने की व्यवस्था हो। इन सभी अंशों से युक्त कर्नाटक के पर्वतीय प्रदेशों में कॉफी का उत्पदन होता है।

कॉफी उत्पादक क्षेत्र - पूरे भारत के कॉफी उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग कर्नाटक में उत्पन्न होता है। कोडगु जिला कॉफी उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। चिकमगलूरु, हासन प्रमुख क्षेत्र हैं। शिवमोग्गा, चामराजनगर और दक्षिण कन्नड जिलों में अल्पमात्र में कॉफी उत्पन्न की जाती है।

कर्नाटक में उत्पन्न कॉफी उत्कृष्ट, स्वादिष्ट और ताजगी प्रदान करने के लिए प्रसिध्द है। इससे देश-विदेशों के बाजारों में कॉफी की बडी माँग है। इससे कर्नाटक 'कॉफी की भूमि' के नाम से प्रसिद्ध है।

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) भूमि का विविध उद्देश्यों के लिए उपयोग ______________ कहलाता है।

2) अत्यधिक कृषि योग्य भूमि ______________ जिले में है।

3) कर्नाटक के ______________ जिले में सर्वाधिक गन्ना उगाया जाता है।

4) तंबाकू में ______________ नामक मादक वस्तु होती है।

II. निम्ननिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

5) कर्नाटक के भू-उपयोग का नमूना समझाइए।

6) कर्नाटक में खेती की महत्ता पर एक टिप्पणी लिखिए।

7) सींचाई द्वारा खेती से क्या तात्पर्य है? सींचाई द्वारा होने वाली उपज के नाम लिखिए।

8) मिश्र खेती के मुख्य लक्षण क्या-क्या हैं?

9) रागी के उपयोग के बारे में लिखिए।

III. सुमेलित कीजिए :

i) कॉफी (कहवा)	अ) विजयपुर
ii) रुई	आ) तुमकूर
iii) धान	ज) बेलगावी
iv) राजी	प) रायचूर
v) ज्वार	ब) हावेरी
	म) कोडगु

NOT TO BE REPUBLISHED
@KTBS

IV. क्रियाकलाप :

1) कर्नाटक में उत्पन्न विविध खाद्य और द्विदल अनाज का संग्रह कीजिए।

2) ज्वार, रागी आदि अनाज उत्पादन प्रदेशों को कर्नाटक के नक्शे में नामांकित कीजिए।

V. परियोजना :

1) अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की जाने वाली खेती तथा उत्पाद के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तत्सम्बधी चित्रों का संग्रह कीजिए।

***

अर्थशास्त्र

अध्याय - 14

आर्थिक संरचना

M8T9F9

इस अध्याय में हम निम्नलिखित अंशों को जानेंगे :

- प्राचीन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ और परिवर्तन की प्रकृति।
- आय और रोजगार का स्त्रोत।
- एक स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ।
- आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में भारत की उन्नति।

संरचनात्मक परिवर्तन: हम पिछली कक्षा में आर्थिक गतिविधियों के बारे में जान चुके हैं। आर्थिक गतिविधियों को कृषि औदयोगिक और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था के इन तीन क्षेत्रों में उत्पादन और रोजगार की प्रकृति आय स्तर, प्रौद्योगिक उपयोग जीवन शैली को बदल रहे हैं। इन्हें आर्थिक संरचना कहते हैं।

सामान्य तौर पर प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आर्थिक संरचना लगातार बदल रही है। उत्पादक उद्योगों जैसे भूमि, श्रम, पूँजी और उत्पादन गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले संगठनों की दक्षता उत्पादन को अनुकूलित कर सकती है। उत्पादन में नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग से रोजगार की प्रकृति और उत्पादन का स्तर बदल जाएगा।

प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य प्राचीन आर्थिक प्रणालियों की तरह कृषि की मुख्य आर्थिक व्यवस्था थी। देश का अधिकांश भाग कृषि पर निर्भर था। तब खेती ही आजीविका थी। निर्वाह खेती में वह आवश्यक भोजन के लिए सिर्फ उत्पादन करते थे। लोगों की इच्छाएँ कम थी और उनका जीवन सरल था। इसलिए श्रम विभाजन का इतना अधिक उपयोग नहीं किया गया था और सामग्री के विनिमय का उपयोग किया जा रहा था। जैसे-जैसे कृषि का व्यावसायिकरण प्राचीन अर्थव्यवस्थाएँ आधुनिकता की ओर बढ़ने लगी। किसानों ने अपने स्वयं उपयोग के बजाए बाजारों के लिए फसल उगाना शुरू कर दिया। पारंपरिक खाद्यान्न जैसे बाजरा, चावल, मक्का, और गेहूँ के साथ-साथ नारियल, कपास, गन्ना, जूट, मूंगफली और मसाले जैसी व्यावसायिक फसलें अधिक लाभदायक थी।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कृषि आधारित उद्योगों में कपास, गन्ना और अन्य वाणिज्य फसलों के उपयोग से व्यवसायों को बढ़ने में मदद मिली है ।

17 वीं और 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुई औदयोगिक क्रांति धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैल गई। औदयोगिक क्रांति ने समाज में पूँजीपतियों के एक नए वर्ग के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जो जमींदार थे उन्होंने अपना पैसा उदयोगों में निवेश करने का फैसला किया। और पूँजीपति कहलाएं। भारी मुनाफे से प्रेरित होकर उन्होंने नवीन अनुसंधान का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के उदयोग स्थापित किए। धीरे-धीरे कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाने लगा। उत्पादन, रोजगार और आय ने बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुधार किया है। इस प्रकार प्राचीन अर्थव्यवस्थाएँ आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रही है। इस प्रक्रिया में कुछ अर्थव्यवस्थाएँ अन्य प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन करती है। इसलिए दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अलग-अलग चरणों में आगे बढ़ रही है।

आप जान सकते हैं :
आपके गाँव के अतीत में स्थित जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या तथा आपके गाँव की कृषि के क्षेत्र में हुए बदलावों के बारे में जानिए।

भारतीय कृषि में आधुनिक कृषि को भी अपनाया गया। परिणामस्वरूप उच्च उपज देने वाले बीजों के बढ़ते उपयोग, यांत्रिक खेती, रासायनिक उर्वरकों और कृषि उत्पादन और खेती के कई अन्य नवाचारों के परिणामस्वरूप कई बदलाव हुए हैं। प्रजनन तकनीक में प्रौदयोगिकी को अपनाने और सींचाई के उपयोग जैसे उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग और इसी तरह से पर्यावरण को भी काफी प्रदूषित किया गया है। भूमि कटाव बढ़ने से उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई। भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल की अधिकता के कारण भूजल में गिरावट आई है। भारी कीटनाशकों के प्रयोग से जल के कुछ स्त्रोत दूषित हो गए हैं। नतीजा स्थाई कृषि विकास के लिए जैविक खेती और प्राकृतिक खेती तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है।

इन सब के परिणामस्वरूप भारत की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जहाँ आजीविका पर कृषि की निर्भरता पहले की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी कृषि पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन राष्ट्रीय आय में इसका योगदान काफी कम हो रहा

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

है। यह कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। और सेवा क्षेत्र के बाद राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है।

आय के स्त्रोत (Sources of Income) :

एक साधारण अर्थव्यवस्था में, आय का स्त्रोत दो स्रोतों से उपलब्ध होता है वे हैं- 1. घरेलू इकाई और 2. व्यावसायिक इकाई है। ये आपसी विनिमय के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं।

एक साधारण अर्थव्यवस्था में घरेलू संस्थाओं और उद्योग इकाइयों के बीच अन्योन्याश्रयता और नीचे दिए गए चित्र पर ध्यान दें।

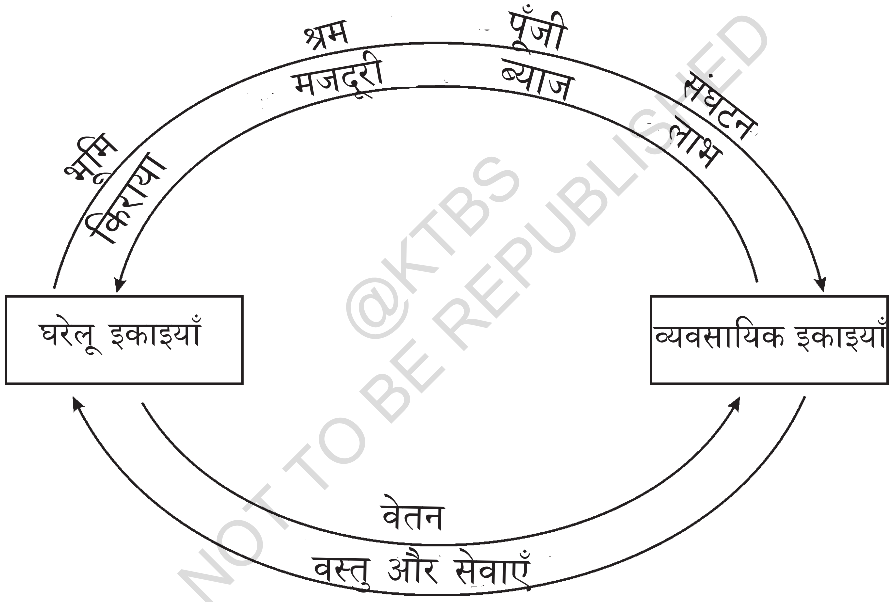

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

घरेलू इकाइयों के पास भूमि, श्रम, पूँजी और निगमों जैसी उत्पादन सुविधाएँ हैं। जो उन्हें उद्योग इकाइयों की आपूर्ति करती है। व्यवसाई की इकाइयाँ बदले में भूमि के लिए भुगतान करती है, श्रम के लिए भुगतान करती है, पूँजी पर ब्याज देती है और संगठन को लाभान्वित करती है। आय, ब्याज और लाभ घरेलू इकाइयों की आय हैं।

व्यावसायिक इकाइयाँ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। विनिर्माण उपकरणों का उपयोग करके घरेलू इकाइयों को बेचती है। घरेलू इकाइयों द्वारा भुगतान किया गया धन व्यावसायिक इकाइयों की आय है।

आधुनिक राष्ट्र कल्याणकारी राज्य है। इसलिए सरकारें लोगों के कल्याण के लिए आय बढ़ाने के लिए आवास, और व्यावसायिक इकाइयों पर कर लगाती है। बदले में आवास इकाइयाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, आवास, परिवहन और पेयजल जैसी सेवाएँ हैं और सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह सरकार परिवहन, संचार, रक्षा, बिजली जैसे व्यावसायिक संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करती है। इसे अलग आरेख में देखें।

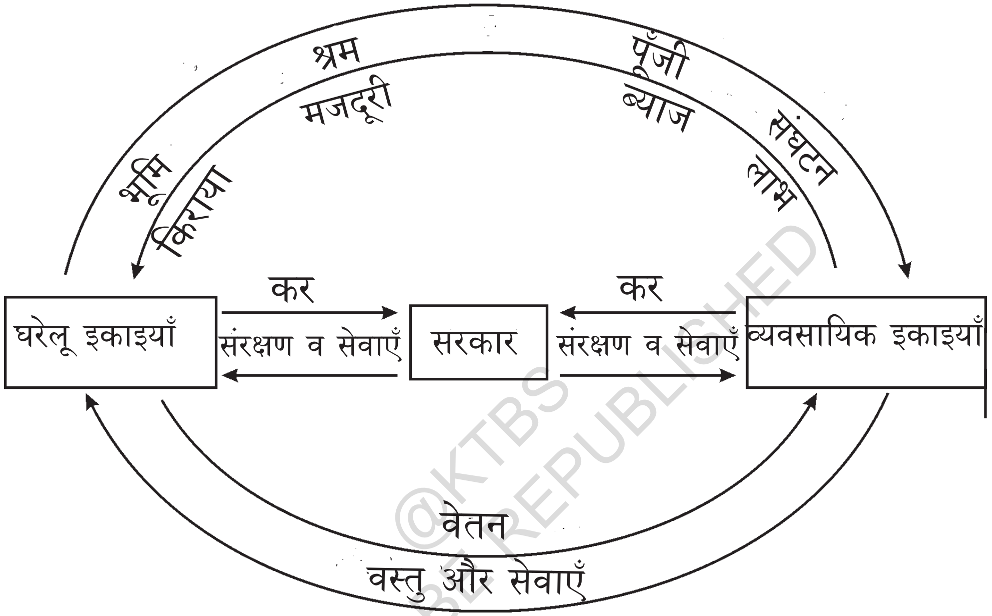

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

रोजगार के स्त्रोत (Sources of Employment) :

व्यक्ति अपने जीवन का प्रबंधन करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग और सेवा में काम करते हैं। समय के साथ साथ कृषि प्रधान देश उद्योग और सेवा क्षेत्र के प्रमुख देश बनने जा रहे हैं। जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित हई, आधुनिक तकनीक को अपनाने के साथ कृषि में भी कई बदलाव हुए हैं। प्रौद्योगिकी और कौशल आधारित कृषि को अपनाने के साथ कृषि में श्रम शक्ति ने बड़े पैमाने पर (Surplus Labour Force) अधिशेष श्रम बल में वृद्धि की हैं।

उस समय तक भारत में उदयोग और सेवा क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था। श्रम बल तब कषि से औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया। लेकिन औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में अधिकांश नौकरियों के लिए कुशल जनशक्ति की आवश्यकता थी। जो कि अकुशल श्रम बल के लिए बड़ी बाधा थी जिसे कृषि से अकुशल खेतिहर मजदूरों को

औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलने लगे। उनमें से कुछ प्रशिक्षण के माध्यम से आवश्यक कौशल हासिल कर नौकरिया पाने लगे फिर भी अधिकांश कृषि पर निर्भर थे। कुछ किसान परिवार कृषि कौशल से बेहतर उपज प्राप्त करने में सक्षम हुए है। और अन्य ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जबकि समग्र रूप में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घट रहा है। कृषि पर निर्भरता अभी भी अधिक है। सरकार ने अकुशल खेतिहर मजदूरों के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

स्थिर और गतिशील अर्थव्यवस्था: स्थिर (Static) शब्द ग्रीक स्टाटिके (Statike) से लिया गया है। स्टाटिके का मतलब है स्थिर से खड़े रहना। अर्थशास्त्र में यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्थिर अर्थव्यवस्था एक कालातीत अर्थ प्रणाली है। जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व जनसंख्या का आकार, पूँजी की आपूर्ति, उत्पादन का तरीका, व्यावसायिक संगठनों की प्रकृति और लोगों की इच्छाएँ अपरिवर्तित है। इसलिए आर्थिक विकास ठप पड गया है।

अंग्रेजों के जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था एक स्थिर आर्थिक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के लंबे समय तक आर्थिक शोषण के परिणामस्वरूप भारत एक गरीब देश बन गया। पौष्टिक भोजन की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ने मृत्यु दर में वृद्धि की। पूँजी की कमी गरीबी के कारण भारी थी। कृषि और उद्योग में उत्पादन के कई पुराने तरीके अभी भी उपयोग में थे। इसलिए स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर थी।

गतिशील शब्द ग्रीक के डायनामिकोस शब्द से आया है। इसका अर्थ है शक्तिशाली परिवर्तन या निरंतर परिवर्तन। गतिशील अर्थशास्त्र में से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन से है। यह समय-समय पर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। एक गतिशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का आकार, पूँजी की आपूर्ति, व्यावसायिक संगठनों की प्रकृति, लोगों की इच्छाएँ समय-समय पर लगातार बदलती रहती है। साल दर साल आर्थिक विकास लगातार बदल रहा है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। नवीन प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन और उत्पादन का तरीका बदल जाता है। जिससे लोगों की जीवन शैली बदल रही है।

आजादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था एक गतिशील अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विस्तार से मृत्यु दर में कमी आई है और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से पूँजी निवेश बढ़ाया जा रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन नवीन तकनीकों के उपयोग के साथ तेजी से बदल रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ रहा है। लोगों की जिंदगी बदल रही है और उनकी जरूरतें बदल रही है। उदारीकरण,

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

निजी करण और वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं ने उनकी आर्थिक नीतियों के कारण परिवर्तन की गति को तेज कर दिया है जो 1991 से लागू की गई है। यह अर्थ व्यवस्था की संरचना को बदल रहा है। जहाँ कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वही सेवा क्षेत्र पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ रहा है। सरकार की नई आर्थिक नीतियों से प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षा जाल(Safety net) बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। समावेशी विकास (Inclusive Growth) के लिए सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों को सही उत्तर उनसे भरिए :

1. संरचनात्मक परिवर्तन ______________ गतिविधियों से संबंधित है।
2. प्राचीन अर्थव्यवस्था में ______________ प्रधान था।
3. एक साधारण अर्थव्यवस्था में ______________ क्षेत्र मौजूद होते हैं।
4. स्थिर अर्थशास्त्र ______________ शब्द से आया है।
5. औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ______________ देश में हुआ।

II. निम्नलिखित प्रश्नों पर समूहों में चर्चा कर उत्तर लिखिए :

6. संरचनात्मक परिवर्तन क्या है?
7. प्राचीन अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में लिखिए।
8. पूँजी वर्ग का उदय कैसे हुआ?
9. आय के स्त्रोत कौन-कौन से हैं?
10. रोजगार स्त्रोत क्या हैं?
11. स्थिर और गतिशील अर्थशास्त्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

III. गतिविधियाँ :

1. अपने अभिभावकों से पूछिए कि अपने गाँव में 20 साल पहले किसान खेती में क्या-क्या फसल उगाते थे। तुलना कीजिए कि अब आपके गाँव में कौन सी फसलें उग रही है। 20 वर्ष की अवधि में अपने गाँव की फसलों में हए परिवर्तनों की पहचान करें। इस पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए :

IV. परियोजना :

1. सरकार के आय के चक्रीय स्वरूप प्रदर्शित कीजिए और उसका वर्णन करें।

***

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

अध्याय - 15

भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

X4Q3N8

इस अध्याय से निम्नलिखित अंशों को जानते हैं :

- भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र।
- प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ और महत्व ।
- उत्पादन क्षेत्र के वर्गीकरण और महत्व ।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका ।
- तृतीय क्षेत्र का महत्व ।
- कर्नाटक की अर्थव्यवस्था ।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

आप पहले से ही जानते हैं कि, भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियों के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित है। वे हैं,

1. **प्राथमिक क्षेत्र:** कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन आदि ।
2. **माध्यमिक क्षेत्र:** विभिन्न औद्योगिक, भवन निर्माण, बिजली उत्पादन आदि ।
3. **तृतीय क्षेत्र:** शिक्षा, परिवहन, गोदाम, पर्यटन, होटल और रेस्तरॉ, बीमा, **रियल एस्टेट**, व्यापार सेवाएँ, सार्वजनिक प्रशासन आदि ।

प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector) :

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और कृषि संबंधी गतिविधियाँ जैसे रेशम, बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य-पालन और फूलों की खेती शामिल हैं। ये उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं।

कृषि क्षेत्र का महत्व : भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। आज भी यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है।

1) अधिक लोग अभी भी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं।

2) कृषि, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है।

3) लोगों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारा प्रदान करती है।

4) कृषि किसानों की बचत के माध्यम से पूँजी जुटाने में मदद करती है।

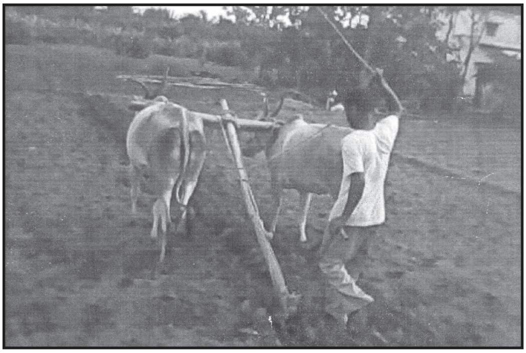

खेती

कृषि एक प्रमुख उद्योग होने के बावजूद भी किसानों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। कारण हैं:

1) अधिकांश किसान छोटे और बहुत छोटे किसान हैं।

2) कृषि का अधिकांश भाग वर्षा पर आधारित है।

3) कृषि क्षेत्र में उत्पादन मात्रा बहुत कम है।

4) आधुनिक कृषि उपकरण और नई उत्पादन तकनीकों को अपनाने में अधिकांश किसान पिछड़े हुए हैं।

5) दलालों की तकलीफों के कारण किसानों को उनकी उपज को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।

गतिविधि :

1) अपने गाँव में एक किसान का साक्षात्कार लें और निम्नलिखित अंशों पर जानकारी संग्रहित करें:

क) इस साल में उनके द्वारा उप जायी गयी फसलें कौन-कौन सी हैं ।

ख) इन फसलों के उत्पन्नों को बेचने की व्यवस्था कैसी है?

@KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

सरकार ने देश में कृषिका उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कई क्रमों को अपनाया हैं।

माध्यमिक क्षेत्र (Secondary sector) :

द्वितीयक क्षेत्र को तैयारी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदला जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं-

अ) कृषि आधारित उद्योग

ब) वन आधारित उद्योग।

क) खनिज आधारित उद्योग।

गतिविधि : आजकल कृषि क्षेत्र के सुधार से संबंधित विकास के बारे में जानिए ।

उद्योग के स्वामित्व के आधार पर उन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योग । जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार या जनता के स्वामित्व में हैं। इन्हें केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSE) और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (SPSE) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं।

उद्योग

इनमें, बहुराष्ट्रीय निगम और अन्य निजी उद्योग शामिल हैं।

पूँजी निवेश और यंत्रोपकरण पर आधारित बड़े पैमाने के उद्योगों को और सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों (MSME's) के नाम से विभाजित किया जा सकता हैं।

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र: स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था में, लोगों की आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी नहीं के बराबर थी। सरकारी नियंत्रण और निर्वाह में स्थित व्यवहार संगठन है - रेल परिवहन, बंदरगाह ट्रस्ट, डाक और तार, तथा विमान और रक्षा कारखाने।

1956 में स्वतंत्र भारत की औद्योगिक नीति लागू होने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग अत्यधिक विस्तार हुए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) अब उनके संचालन, कार्यक्षेत्र, तकनीकी विशेषज्ञता और रोजगार सृजन में राष्ट्रीय महत्वपाये हैं। भारत में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम BEL, BHEL, हिंदुस्तान जहाज निर्माण केंद्र आदि हैं।

निजी क्षेत्र: निजी क्षेत्र सभी प्रकार की व्यक्तिगत और निजी कंपनियों से संबंधित हैं। इस क्षेत्र में उत्पादन गतिविधियों से संबंधित विविध उत्पादन के अंग व्यक्तिगत या निजी कंपनियों के मालिकत्व और उनके संचालन के अधीन में रहते हैं। उदाहरण: टाटा, बिर्ला, जिंदाल, महींद्रा, अंबानी, किर्लोस्कर आदि ।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

बहुराष्ट्रीय निगम (MNC 's): बहुराष्ट्रीय निगम ऐसे व्यवसाय हैं जिनका मुख्यालय मूल राष्ट्र में है, दो या दो से अधिक देशों में व्यापार करते हैं और वित्तीय व्यवसाय चलाते हैं। ऐसे उद्योग MNC कहलाते भारत में आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद अधिकांश बहुराष्ट्रीय निगम ने अपनी व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापना की हैं। उदाहरण: सोनी (जापान), सैमसंग (द. कोरिया), हिंदुस्तान यूनी लिवर (UK) आदि।

1991 के नूतन आर्थिक सुधारों के बाद भारत सरकार ने कई प्रकार की बुनियादी सुविधा परियोजनाओं में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) अस्तित्व में आई है। 1991 के नूतन आर्थिक सुधारों के बाद, निजीकरण ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया ।

औद्योगिक क्षेत्र का महत्व: औद्योगिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को सबल करता है। आर्थिक विकास में इस क्षेत्र का महत्व :

1. राष्ट्र को अधिक राजस्व लाना है ।
2. लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
3. औद्योगिक विकास से लोगों के जीवन स्तर बढ़ता है ।
4. ट्रैक्टर, कृषि यंत्रोपकरण, उर्वरक आदि से कृषि के आधुनिकीकरण का सहयोग देता है।
5. लोगों को शहरों और कस्बों में बाँटकर कृषि भूमि पर निहित दबाव कम करता है।
6. अधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने में मदद करता है।
7. औद्योगिक क्षेत्र व्यापार, शिक्षा, परिवहन, बैंकिंग आदि केंद्रों के रूप में भी विकसित हो रहा है।

तृतीय क्षेत्र (Tertiary Sector) :

तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान समय में विश्व अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र से प्रशासित है। बैंकिंग, बीमा, व्यवसाय, परिवहन और संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण सेवा क्षेत्र के मुख्य घटक हैं।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

बैंक: जनता से विभिन्न प्रकार की जमाराशियों से धन प्राप्त करनेवाली वित्तीय संस्था ही बैंक होते हैं, जो जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करते हैं । 'बैंक बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच दलाल के रूप में कार्य करते हैं'।

बीमा: बीमा,वित्तीय नुकसान से बचने का एक तरीका है। यह मानव जीवन को खतरे में डालनेवाला, संपत्ति को नुकसान पहँचायी जानेवाली आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता हैं । जैसे मृत्यु, दुर्घटनाओं के कारण निर्बल, वृद्धावस्था, बीमारी, चोरी, आग दुर्घटना, भूकंप समुद्री चोरी, आदि। बीमा दो प्रकार का होता है। वे हैं- सामान्य बीमा और जीवन बीमा।

परिवहन: यात्रियों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली एक प्रणाली को परिवहन कहा जाता हैं। जिसमें भूमि, जल और वायु जैसे विभिन्न प्रकार हैं। वे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवहन वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक व्यापक बाजार प्रदान करता है।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

परिवहन

संपर्क: संपर्क, विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान-प्रदान करने की एक प्रणाली है। डाक सेवाएँ, दूरसंचार, फैक्सों, ई-मेल, समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि ने दुनिया के हर कोने में लोगों को जोड़ने में मदद की है।

स्वास्थ्य: 'स्वास्थ्य ही सौभाग्य है' और 'सुदृढ शरीर में सुदृढ मन का वास होता है' यह कथन सभी के जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को व्यक्त करता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)के अनुसार, 'शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक अस्वस्थता से मुक्त व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है ।

भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार हो रहा है। मृत्यु दर 7.2 प्रति हजार को, शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हजार को और शिशु मृत्यु दर 15

प्रति हजार को कम हो गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2011 में औसत अपेक्षित जीवतावधि 66.9 वर्ष बढ़ गया है।

चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रम यक्ष्मा और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। सरकार के इस संकल्प से भारत से पोलियो का पूरी तरह निर्मूलन हो गया हैं।

शिक्षाः Education शब्द Educare (एजुकेर) नामक लैटिन भाषा के शब्द से निष्पन्न है। इसका अर्थ है 'प्रकाश की ओर ले जाना'। राष्ट्रपिता गाँधी के अनुसार, 'शिक्षा से बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है'।

सरकार ने साक्षरता प्रमाण को बढ़ाने के लिए 1988 में 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन', 2001 में 'सर्व शिक्षा अभियान' (SSA), 1995 में 'मध्याह्न भोजन योजना' लागू किया है। हमारे देश में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए मार्च 2009 में 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' (RMSA) और सितंबर 2009 में 'साक्षरता भारत' कार्यक्रम लागू किया गया।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

क्षेत्र	1950-51 (%)	1990- 91 (%)	2000-01 (%)	2011-12 (%)
1. प्राथमिक क्षेत्र	59	35	27	14
2. द्वितीयक क्षेत्र	13	24	25	27
3. तृतीयक क्षेत्र	28	41	48	59

उपरोक्त आंकड़े राष्ट्रीय तीनो क्षेत्र राष्ट्रीय आय के लिए दिए उपलब्धि और तृतीयक क्षेत्र अपना विभिन्न घटकों के माध्यम से दिए योगदान को दर्शाते हैं।

कर्नाटक के अर्थव्यवस्था (Karnataka Economy) :

कर्नाटक 1,91,791 वर्ग किमी के क्षेत्र है। यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, इसे चार कर विभागो, 31 जिलों और 239 तालुकों में विभाजित किया गया है। यह पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों, समृद्ध वनस्पतियों, जीवों

और खनिज भंडार जैसे प्राकृतिक संसाधनों को योगदान देता है। इस तरह के संसाधनों से युक्त राज्य में विभिन्न इकाईयाँ आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया है।

कृषि: कर्नाटक में 52% से अधिक कामकाजी लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य में कृषि,विस्तृत फसल वैविध्य से युक्त है। कर्नाटक खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन दलहन उत्पादन में कमी जारी है। कृषि के अंतर्गत आने वाला लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है और 70 प्रतिशत वर्षा पर निर्भर है, बड़ी और छोटी सींचाई परियोजनाओं के निर्माण से सींचाई क्षमता को बढ़ाया जाता है। जैसे: घटप्रभा, मलाप्रभा,तुंगभद्रा, नारायणपुर, अलमट्टी, हेमावती, हारंगी, कृष्णराज सागर आदि।

कर्नाटक में धान, ज्वार, राई, गेहूं, मक्का और बाजरा प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कपास, गन्ना, तंबाकू, आलू तिलहन, काफी, चाय आदि राज्य के खाध्येतर फसलें हैं । इलायची, काली मिर्च, आम, नारियल, सुपारी और केला प्रमुख मसाला और बागवानी फसलें हैं। ये अर्थव्यवस्था में अपने योगदान दे रहे हैं।

बागवानी: कर्नाटक बागवानी में अग्रणी राज्य है। राज्य सरकार ने बागवानी फसलों की खेती में सुधार के लिए कई प्रोत्साहन के उपाय किए हैं। वे हैं प्रदेश विस्तार,कृषिक के लिए सहायता, बीज और पौधों की आपूर्ति, सूक्ष्म सींचाई, कीट और बीमारियों का नियंत्रण, फसलों की अवधि के बाद का संचालन और बाजार की व्यवस्था करना आदि। उद्यानों और नर्सरी को अधिक वैज्ञानिक रूप से विकसित करने के लिए 'कर्नाटक राज्य बागवानी विकास संस्था' की स्थापना की गई है। नाबार्ड (NABARD) बागवानी फसलों के विस्तार के लिए संस्थाओं के माध्यम से ऋण सुविधाएँ प्रदान कर रहा है।

बागवानी

कर्नाटक में फूल-खेती: पुष्प कृषि को फूलों की बागवानी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें फूल उगाना, बगीचों के लिए सजावटी पौधे उगाना और पुष्प उद्योग शामिल हैं। पुष्प कृषि में

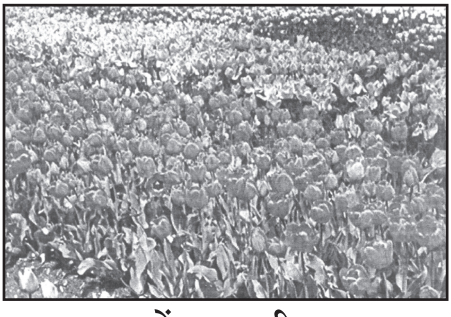

फूलों का बगीचा

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कर्नाटक सबसे आग्रणी है। राज्य में देवनहल्ली, चिक्कबल्लापुर, हूविन हडगली और सवणूर जैसे तहसीलों में पुष्प कृषि की जा रही है। भारत से फूलों का निर्यात बढ़ रहा है और इसके अधिकांश फूल कर्नाटक से निर्यात किए जाते हैं। 'कर्नाटक कृषि आधारित उद्योग संगठन' (Karnataka Agro Industries Corporation), 'राष्ट्रीय फूलों की खेती परिषद' कर्नाटक में पुष्पोद्यम को प्रतिष्ठापित करने के लिए शैत्यागार और उद्यमियों को परिवहन खर्च में प्रोत्साहन धन प्रदान कर रहा हैं। आजकल पुष्प कृषि एक उद्यम के रूप में विकसित हो रही हैं। राज्य के अर्थ व्यवस्था को योगदान दे रही है ।

पशुपालन और डेयरी विकास : कर्नाटक का स्थान, दूध उत्पादन में भारत में दूसरा है। देश में हमारे राज्य जानवर और कुक्कट (मुर्गी) का हिस्सा क्रमशः 6.20% और 6.48% है। राज्य का दूध उत्पादन 2021-22 में 11.80 मिलियन टन है और पूरे कर्नाटक में स्थापित पशु चिकित्सा विद्यालयों के माध्यम से जानवर और कुक्कट स्वास्थ्य रक्षण किया जा रहा है।

पशुपालन

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

कर्नाटक दुग्ध उद्यम (KMF) राज्य स्तरीय सहकारी संस्था है जो 'क्षीराभिवृद्धि कार्य संचालन' (Operation Flood) के तहत राज्य में डेयरी विकास को लागू कर रही है। यह उपयोगकर्ताओं को दूध और डेयरी उत्पादनों को भी बेचती है।

मत्स्य पालनः कर्नाटक राज्य में 320 कि.मी. लंबा तटीय प्रदेश है। 27,000 वर्ग कि.मी. एक विशाल महाद्वीपीय क्षेत्र में 6 लाख हेक्टेयर से अधिक अंतर्देशीय जल संसाधनों के साथ, मत्स्य पालन के विकास के पर्याप्त अवसर हैं। राज्य में 9.61 लाख मछुआरे हैं, जिनमें से 3.28 लाख मछुआरे तट पर हैं, जबकि 6.33 लाख मछुआरे अंतर्देशीय प्रदेश में हैं। 2021-22 में मछली उत्पादन लगभग 10.74 लाख मेट्रिक टन था। राज्य में मछली पालन के सात बंदरगाह हैं । वे हैं - कारवार, तद्री, होन्नावर, भटकल, गंगोली, मल्पे और मंगलूर। समुद्री उत्पादों का निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मूल्यवान विदेशी विनिमय प्राप्त कर रहा है।

उद्योग-धन्धेः कर्नाटक भारत के कुछ सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का केंद्र है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने भारतीय वायु सेना के लिए और देशीय

युद्ध विमान के निर्माण के संबंध में अनुसंधान और विकास के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। यह 9500 से अधिक कर्मचारियों के साथ कर्नाटक का सबसे बड़ा सार्वजनिक उद्यम है। नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (NAL), भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BHEL), इंडियन टेलीफोन फैक्ट्री (ITI), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT) आदि कर्नाटक में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के बृहद उद्यम हैं । मैसूर के मोटरसाइकिल निर्माण घटक, धारवाड़ के टाटा मोटर्स और किर्लोस्कर, लार्सन और टूब्रो (L&T) जैसे विद्युत उपकरण निर्माता कर्नाटक में कुछ प्रमुख निजी क्षेत्र के उद्यम हैं। इंफोसिस, विप्रो और टी.सी.एस. कर्नाटक की प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियाँ हैं।

कर्नाटक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में भी अग्रणी है। इसने काफी संसाधन और निपुणता को स्थान दिया है। कर्नाटक औद्योगिक आधारित जैव प्रौद्योगिकी नीति अपनाने वाला पहला राज्य है। औद्योगिक क्षेत्र राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद मिलेगी।

©KTBS
NOT TO BE REPUBLISHED

बैंकिंग: भारत रत्न सर. एम. विश्वेश्वरय्या ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में की थी। तब से कर्नाटक ने बैंकिंग व्यवसाय में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है। दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले 'बैंकिंग उद्यम का पालना (झूला)' माना जाता हैं। केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और विजया बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक हैं । इन दो जिलों में इनका मूल स्थान है। केनरा बैंक राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) को प्रायोजित करने वाला पहला बैंक था।

प्रस्तुत राज्य में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, 16 निजी वाणिज्यिक बैंक और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। IDBI, AXIS बैंक, ICICI बैंक और इंडस बैंक आदि राज्य के प्रमुख निजी बैंक हैं। बैंकिंग प्रणाली राज्य की अर्थव्यवस्था में मदद करती है।

पर्यटन: कर्नाटक,विशेष विरासत और सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि में एक अच्छी पर्यटन के सुस्थिर विकास के लिए विफुल अवसरों को पाया है। पर्यटन 1988 से सर्वो

च्च प्राथमिकता दी गयी है। पर्यटन राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास का कारणकर्ता है। इसके अलावा, कुशल युक्त और कुशल रहित श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों को प्रदान करता है। यह परिवहन व्यापार, स्वास्थ्य,बागवानी, फूलों की खेती और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास में भी मदद करता है।

ऊर्जा शक्ति: कर्नाटक में बिजली के पाँच अलग-अलग रूप उत्पन्न किया जा रहा है। ये जल ऊर्जा, औष्णीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ।

जल ऊर्जा राज्य में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत हैं। बिजली उत्पादन इकाइयाँ 'कर्नाटक विद्युत निगम नियमित' (KPCL) के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। 'कर्नाटक विद्युत प्रसारण निगम नियमित' (KPTCL) राज्य में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार है।

पवन विद्युत

सौर विद्युत शक्ति

जल विद्युत शक्ति केंद्र

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

परिवहन: परिवहन राज्य की अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है। कृषि, उद्योग, खनन और व्यापार जैसी आर्थिक गतिविधियाँ परिवहन व्यवस्था पर निर्भर हैं। अच्छे परिवहन के बिना आर्थिक विकास असंभव है। इसलिए परिवहन आर्थिक विकास की कुंजी है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल और उड्डयन भी आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सड़क परिवहन: कर्नाटक में एक व्यापक सड़क जाल है। सड़कें राज्य के सभी कोनों को जोड़ रही हैं। वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढाँचे के रूप में काम

करती है। निजी पूँजी निवेशक के सहयोग से प्रमुख सड़कों और पुलों का विकास किया जा रहा है। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मुख्य सड़कों से हर गाँव को भी सड़कें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

'कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम' एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है और कुशल सार्वजनिक परिवहन के लिए जाना जाता है। सरकार ने कुशल और कुशल संचालन के लिए निगम को चार निगमों में विभाजित किया है। ये हैं: 1) कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) 2) बैंगलूरु नगर परिवहन निगम (BMTC) 3) उत्तर-पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) और 4) पूर्वोत्तर कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (KKRTC)।

रेल परिवहन: रेल परिवहन राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास और राज्य की अखंडता के लिए बहुत योगदान देता है। बैंगलूरु से देश के सभी राज्य की राजधानी के लिए रेल संपर्क की व्यवस्था है। रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है। रेल संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग व्यवस्था की गयी है। हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है और राज्य के अधिकांश रेलवे इसके प्रशासन क्षेत्र में हैं। ये परिवहन न केवल यात्रियों को बल्कि वस्तुओं को भी ले जाते हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

जल परिवहन: कर्नाटक राज्य 320 कि.मी. लंबा तटीय प्रदेश युक्त है। इसमें एक बड़ा बंदरगाह और 13 छोटे बंदरगाह शामिल हैं। सबसे बड़े बंदरगाह नव मंगलूरू बंदरगाह का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है जबकि बाकी का स्वामित्व राज्य सरकार के पास है। इनमें से कारवार, बेलिकेरी, मल्पे और मंगलूर बंदरगाह काफी मात्रा में वस्तुओं निर्यात करते हैं। राज्य का जल परिवहन देश के कई राज्यों और दुनिया के कई देशों से जोड़ता है।

हवाई परिवहन: हवाई परिवहन तेज परिवहन है। यह वस्तुओं और यात्रियों को जल्दी से एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाया जा सकता है।

यह राज्य का आंतरिक और विदेशी व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है। बेंगलूर के पास देवनहल्ली में ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया गया है। यह राज्य के कृषि, उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास में प्रमुख योगदान दे रहा है। बैंगलूरु, मंगलूर, हुबली और मैसूर सहित कर्नाटक के अन्य शहरों में हवाई अड्डे

हैं। सरकार इस हवाई अड्डे के साथ एक निजी भागीदारी विकसित करने की कोशिश कर रही है।

संपर्क: दूरसंचार प्रणाली राज्य में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक हैदोनों क्षेत्रों द्वारा प्रबंधित। भारत संचार निगम नियमित लिमिटेड (BSNL) के अलावा, राज्य में दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाले कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं - वोडाफोन, एयरटेल, रिलायंस जियों आदि ।

स्वास्थ्य और शिक्षा: कर्नाटक ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सुस्थिर प्रगति की है। 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। कर्नाटक में कुल 2021-22 में 2396 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9476 उपकेंद्र, 202 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सार्वजनिक महत्व के कई राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू किया है । विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्था के माध्यम से राज्य के लोगों को व्यवस्थित स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ भी प्रदान करती है। जैसे: जननी सुरक्षा योजना, यशस्विनी, मडिलु आदि।

शिक्षा: कर्नाटक का आर्थिक विकास काफी हद तक ज्ञानाधारित समाज पर निर्भर है। राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के अलावा, शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कर रहा है। राज्य में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, स्नातक पूर्व विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं और वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।

कर्नाटक देश के सबसे तेज प्रगतिशील राज्यों में से एक है। 2011 में, इसने प्रतिशत 75.36% की साक्षरता दर हासिल की। कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक ज्ञान आयोग' की स्थापना की है। इसका मिशन न केवल उच्च शिक्षा का विस्तार करना है, बल्कि बढ़ते उद्योग और सेवा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करना भी है। उपयुक्त सभी क्षेत्र परस्पर सहयोग और निर्भरता के साथ कर्नाटक के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

अभ्यास :

I. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

1) भारत का प्रमुख्य उद्योग ______________ ।

2) स्वास्थ्य और शिक्षा ______________ क्षेत्र के अंतर्गत आता है ।

3) कर्नाटक का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ______________ ।

4) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के संस्थापक ______________ हैं ।

5) उत्पादक गतिविधियाँ ______________ क्षेत्र में जुडा है।

6) कर्नाटक का तटीय क्षेत्र की लंबाई ______________ कि.मी. है ।

7) कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा विस्तार आयोग की स्थापना ______________ में की है।

8) नई आर्थिक सुधार नीति ______________ में लागू हुई।

II. निम्नलिखित प्रश्नों की चर्चा समूहों में कीजिए और उत्तर लिखिए :

9) प्राथमिक क्षेत्र को परिभाषित कीजिए ।

10) भारतीय कृषि क्षेत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए ।

11) औद्योगिक क्षेत्र के महत्व की व्याख्या कीजिए ।

12) कर्नाटक के किन जिलाऔं को बैंकों का पालना कहा गया है?

13) गांधीजी के अनुसार शिक्षा का मतलब क्या है?

14) उद्योगों के समूहों के बारे में बताइए।

15) कर्नाटक में प्रमुख सींचाई परियोजनाओं की सूची बनाएं।

16) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है?

III. गतिविधियाँ :

1) आज तृतीयक क्षेत्र विश्व में सबसे आगे है। इस कथन का पूरक जानकारी इकट्ठा कीजिए और एक यथार्थवादी तस्वीर दीजिए।

2) अपने पर्यावरण में उद्योगों की सूची बनाइए, साथ ही साथ उन्हें वर्गीकृत कीजिए।

IV. परियोजना :

कर्नाटक की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

***

NOT TO BE REPUBLISHED © KTBS

व्यवहारिक अध्ययन

अध्याय - 16

व्यवहारिक प्रबंधन

W9X9M8

इस पाठ में निम्नलिखित अंशों की जानकारी प्राप्त करेंगे :

- व्यवहारिक प्रबंधन का अर्थ ।
- व्यवहारिक प्रबंधन के सिद्धांत ।
- निर्धारित कौशल और प्रक्रिया ।
- प्रबंधन का कार्य क्षेत्र तथा सीमा ।

प्रबंधन का अर्थ और परिभाषा :

आमतौर पर प्रबंधन शब्द का उपयोग किसी संगठन की गतिविधियों के प्रबंध की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जे. एल. हेंस के अनुसार प्रबंधन का मतलब है "किसी और से काम करवाने की कौशल है।"

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि प्रबंधन संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए लोगों के प्रयासों को समन्वय करना और यह संयोजन की रीति से निर्देश के द्वारा काम कराने की प्रक्रिया है। प्रबंधन का अर्थ है-योजना संगठन कर्मचारियों की आपूर्ति निर्देशन संयोजन और नियंत्रण जैसा प्रमुख कार्यों को करता है।

प्रबंधन के तत्व (Principles of Management):

एक व्यवहार संस्था को सरलता से और दक्षता से चलाना हो तो कुछ तत्वों को अपनाने की आवश्यकता होती है। हेनरी फयोल ने निम्नलिखित तत्वों को सूचित किया है।

1. कार्य विभाजन: कर्मचारियों के कार्यों को व्यवस्थित रूप से विभाजित करना चाहिए। इससे उत्पादन बढ़ता है। अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। उत्पादन में होने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। इस तत्व को सभी संस्था के विभागों में अपना सकते हैं।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

2. अधिकार और उत्तरदायित्वः यह तत्व अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। ये दोनों अंश अधिकार चलाने वाले अधिकारी और नौकरों की जिम्मेदारी से संबंधित है। इन अंश से अधिकारी की बुद्धिमता अनुभव, पूर्व अनुभव, नैतिक गुणों का सम्मिलन होता है।

3. अनुशासनः इस तत्वों से अधिकारी और नौकर वर्गों के बीचवाले कार्यप्रवर्तक गुण प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंबित होता है। ये गुण संगठन की उपलब्धियों की आपूर्ति करते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों में अनुशासन, स्पष्टता और निष्पक्षपात के गुण हों। यह न्याययुत दंड देते वक्त भी हो।

4. एकरूपता का आदेशः इस तत्व के अनुसार नौकर को अपने किसी एक वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा पालन करने के लिए सूचित किया जाता है।

5. एक रस निर्देशन : यह सिद्धांत बताता है कि एक समान उद्देश्यवाली, समूह गतिविधियों को एक ही आदेश दिया जाना चाहिए।

6. सामान्यहितः इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधन को भी संस्था समान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए ।

7. उद्योगियों का वेतन : उद्योगियों को वेतन इमानदारी से दिया जाना चाहिए, जो सभी नौकरों को तृप्तिदायक हो। यही इस तत्व का उद्देश्य है।

8. केंद्रीकृत व्यवस्थाः इस तत्व के अनुसार अधिकार केंद्रीकृत होकर व्यापार संगठन के लिए लाभदायक हो।

9. श्रेणीकृत व्यवस्थाः इस तत्व के अनुसार प्रत्येक संगठन में अधिकार वर्ग की श्रेणी हो। अधिकारी वर्ग और अधीन नौकरों के बीच स्पष्टता रहे।

10. क्रम : इस सिद्धांत के अनुसार लोगों को और चीज़ों को सही समय पर सही जगह पर उपलब्ध होना चाहिए।

11. समानताः इस तत्व के अनुसार अधिकारी और नौकर वर्गो के बीच समझौता, सहकारिता और समानता का होना आवश्यक है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

12. उद्योगियों की अधिकारावधि की स्थिरता: कर्मचारियों के काम में स्थिरता होनी चाहिए। उद्योगियों को शीघ्र नौकरी से निकालना भी खराब संप्रदाय को पैदा करता है।

13. नेतृत्व: संगठन का नेतृत्व संतोषप्रद हो। प्रबंधन की मूल व्यवस्था को पूर्णरूपेण उत्तम दिशा की ओर ले जानेवाला हो।

14. संघीय शक्ति (Espriate De-corps) : इस तत्व के अनुसार व्यवहारिक संगठन में सब नौकरों में संघभाव होना चाहिए। सांघिक शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों में लगे रहे।

संगठन के कार्यक्षेत्र में निर्णय लेना :

कार्यकुशलता और प्रक्रिया का निर्णय लेना, व्यवसाय प्रबंधन की एक मानसिक प्रक्रिया है।

निर्णय लेने की आवश्यकता (Need of Decision Making) : प्रत्येक संगठन का अपना लक्ष्य और उद्देश्य होता है। इसकी आपूर्ति के लिए वह निर्णय लेना पड़ता है। हर छोटे विषय में भी अनेक विकल्प होते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रवाना करना पड़ता है। उन वस्तुओं को अथवा पदार्थों को आयात करने के लिए लारी, रेल अथवा हवाई जहाजों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अत्यंत के उचित और कम खर्चावाला और सुरक्षित हो उसका चयन किया जाता है। इस चयन को निर्णय लेना कहा जाता है। इस प्रकार के निर्णय व्यवहार में महत्वपूर्ण होते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से उचित निर्णय लेना समर्थ प्रक्रिया मानी जाती है। आजकल भारत में अनेक विकासशील व्यवहार संगठनों का प्रवेश हुआ है। आगामी दिनों में और भी अधिक सांस्तिक मूल्यों के संस्थाओं का प्रवेश होता है। इस प्रकार योजनाबद्ध विश्लेषण संगठनों की अधिक आवश्यकता है। इसलिए निर्णय लेने में सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार निर्णयों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं।

1. व्यक्तिगत निर्णय   2. सामूहिक निर्णय

एकस्वामित्व के छोटे व्यवहार संगठनों में एक व्यक्ति निर्णय लेता है। इसे व्यक्तिगत निर्णय कहते हैं, यह निर्णय व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर होते हैं।

एक समूह द्वारा लिए जाने वाले निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाते है। साझेदारी संस्था, सहकार संघों के निर्णय सामूहिक निर्णय कहलाते हैं।

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

निर्णय लेने का महत्व: अच्छे निर्णय व्यवहारिक संगठनों में कई समस्याओं का सम ाधान कर सकते हैं। संगठन कितना बेहतर लाभ उठाता है। कोई भी संगठन सुचारू रूप से चलता है। इसी तरह गलत फैसलों से संगठन का नुकसान होता है। निर्णय उनको लेने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना जाना चाहिए। अर्थात, अनुभव, विवेक, धैर्य, साहस और स्पष्टता।

निर्णय लेने के लिए आयोजक के पास निम्नलिखित तत्वों का ज्ञान को व्यवस्थित किया जाना चाहिए -

- समस्या का विश्लेषण
- योजना की प्ररूप और कार्यान्वयन
- धैर्य और संयम बनाए रखना
- पूर्व विचार
- विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता

प्रबंधन की कार्य क्षेत्र की सीमा: प्रबंधन दूसरों से काम कराने की प्रक्रिया से संबंधित है। दूसरों से काम कराते वक्त प्रबंधन के क्रियाकलापों का व्यवस्थित रूप से अनुसरण करना पड़ता है। इस क्रमबद्ध प्रक्रियाओं का निर्वहण प्रबंधन की कार्य क्षेत्र की सीमा कहलाती है।

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

प्रबंधन कार्यों को विविध क्षेत्रों के द्वारा निर्वाह करना पड़ता है। जो निम्नलिखित है।

1) योजना (Planning)
2) संगठन (Organising)
3) कर्मचारी की आपूर्ति (Staffing)
4) निर्देशन (Directing)
5) संयोजन (Co-ordinating)
6) नियंत्रण (Controlling)

1) योजना: प्रबंधन क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण है। योजना का अर्थ है कि एक निर्दिष्ट अवधि के कार्यों की प्ररूप तैयार करना। योजना को प्रक्रिया संस्था के उद्देश्य निर्णय, नीति कार्य तंत्र कार्यक्रम आदि विशिष्ट गुणों से युक्त होता है।

2) संगठन:मानव और भौतिक शक्तियों को एकत्रित करने का काम संघठन कहलाता है। कुछ यंत्रोंपकरणों को मानव संसाधन के साथ मिलाकर संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना संघठन का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रतिनिधि को नियुक्ति करके दफ्तरों

के प्रतिनिधियों को आवश्यक भौतिक सुविधाओं को देकर अनेक अवस्था में काम करने वालों के बीच समन्वय स्थापित करना संघठन का मुख्य उद्देश होता है।

3) **कर्मचारियों की आपूर्ति:** यह अंश संघठन के लिए आवश्यक नौकरों को नियुक्ति, चयन स्थानी करण प्रशिक्षण और उनकी प्रगति से संबंधित है।

4) **निर्देशन:** यह अंश संस्था की लक्ष्य प्राप्ति के लिए नौकरों को सूचना देना, मार्गदर्शन करना, कार्यवाही करने के कामों से संबंधित है। अधीन अवस्था में काम करने वालों को सूचना और आदेश देकर उनका अनुपालन किया जाता है।

5) **संयोजन:** यह अंश अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को एकत्रित करके काम करने से संबंधित है।

6) **नियंत्रण:** यह अंश संघठन के प्रमुख कार्यों से संबंधित है। व्यवहारिक प्रबंधन के सभी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। संस्था के प्रत्येक प्रबंधक अथवा प्रतिनिधि इससे हमेशा जुड़े होते हैं। इस अंश के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है

   1) संगठन में अनुशासन और दक्षता का वातावरण प्रदान करें सुनिश्चित करें कि गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से अनुकूलता के साथ हों।

   2) पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुसार गतिविधियों को जारी रखना।

अभ्यास :

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-दो वाक्य में लिखिए :

1. प्रबंधन क्या है?
2. निर्णय लेना क्या है?
3. व्यक्तिगत निर्णय और सामूहिक निर्णय किसे कहते हैं?
4. प्रबंधन के तत्वों में अधिकार और उत्तरदायित्व के तत्व क्या है?

II. दो-तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए :

5. हेनरी फयोल के अनुसार प्रबंधन के तत्व कौन से हैं?
6. प्रबंधन के कार्यों को किन-किन क्षेत्रों द्वारा निर्वहण करना पडता है?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

7. अधिकार और जिम्मेदारी श्रेणी कृत और केंद्रीकृत तत्वों को व्यावहारिक संस्था के साथ जोडकर लिखिए।
8. व्यावहारिक प्रबंधन में निर्णय लेने का महत्व क्या है?
9. निर्णय लेने की प्रक्रिया के मूल तत्वों को लिखिए।
10. निर्णय लेते वक्त किन अंशों पर ध्यान देना पड़ता है?
11. प्रबंधन क्षेत्र में योजना और संघठन का पात्र क्या है?
12. नियंत्रण प्रबंधन कार्य में क्यों मुख्य है?
13. नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य कौन-से हैं?
14. निर्देशन और समझौता व्यवहारिक प्रबंधन में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाते हैं?

III. गतिविधियां :

1. अपने पड़ोस के किसी एक स्वामित्व के व्यापारी से मुलाकात करके निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। और वह निर्णय किस प्रकार लेते हैं जानकारी प्राप्त करके एक निबंध लिखिए।
2. अपने नजदीकी सहकारी समिति जाइए और वहाँ के अधिकारियों से रिपोर्ट संग्रह कीजिए।
   अ. कार्यक्रम सूची (Agenda)
   आ. आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या
   इ. कार्यवृत्त टिप्पणी (Minutes)

***

NOT TO BE REPUBLISHED
©KTBS